



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17072023-247383  
CG-DL-E-17072023-247383

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 175]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 17, 2023/आषाढ 26, 1945

No. 175]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 17, 2023/ASHADHA 26, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 2023

अंतिम जांच परिणाम

मामला सं. एडी (एसएसआर)-02/2023

विषय : चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए "70 एलईए काउंट से कम के फ्लैक्स यार्न" के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क का अंतिम जांच परिणाम- निर्णायक समीक्षा जांच।

फा. सं. 7/03/2023-डीजीटीआर.—डीजीटीआर: समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995, (जिसे आगे "नियमावली" अथवा "एडी नियमावली" भी कहा गया है), को ध्यान में रखते हुए।

निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे "प्राधिकारी भी कहा गया है") को मै. ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड (जय श्री टेक्सटाइल्स) और सिंटेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड (जिन्हें आगे "आवेदक" अथवा "घरेलू उद्योग" भी कहा गया है) द्वारा चीन जन.गण. (जिसे आगे संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए "70 एलईए काउंट से कम के फ्लैक्स यार्न" (जिन्हें आगे "संबद्ध वस्तु अथवा "पीयूसी" भी कहा गया है) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा जांच के लिए अधिनियम और नियमावली के अनुसार एक आवेदन प्राप्त हुआ।

#### क. मामले की पृष्ठभूमि

1. चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए "70 एलईए काउंट से कम के फ्लैक्स यार्न" के आयातों के संबंध में मूल पाटनरोधी जांच की शुरुआत दिनांक 07.02.2018 की अधिसूचना सं. फा.नं. 6/3/2018-डीजीएडी द्वारा की गई थी। प्राधिकारी ने 18.09.2018 के अपने अंतिम जांच परिणाम के द्वारा चीन जन.गण. से "70 एलईए काउंट से कम के फ्लैक्स यार्न" के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की।। इन सिफारिशों के आधार पर पाटनरोधी शुल्क दिनांक 18.10.2018 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 53/2018-सीमाशुल्क (एडीडी) के द्वारा लगाया गया था। उक्त शुल्क 5 वर्षों की अवधि के लिए लगाए गए थे।
2. पठित अधिनियम की धारा 9क(5) के संबंध में, लगाया गया पाटनरोधी शुल्क, यदि उसे पूर्व में निरस्त नहीं किया गया हो, इस प्रकार के अधिरोपण की तिथि के 5 वर्षों के समाप्त होने पर प्रभावी नहीं रहेगा। प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे इस तथ्य की समीक्षा करें कि क्या पाटनरोधी शुल्क के समाप्त होने के फलस्वरूप पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना है।
3. इसके अलावा, नियमावली के नियम 23(1ख) में निम्नलिखित प्रावधान है:
 

*"किसी बात के होते हुए भी अधिनियम के अंतर्गत लगाया गया कोई निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क उसके लगाए जाने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक प्रभावी रहेगा बशर्ते निर्दिष्ट प्राधिकारी उक्त अवधि से पूर्व अपनी खुद की पहल पर या घरेलू उद्योग की ओर से किए गए विधिवत पुष्टिकृत अनुरोध के आधार पर उक्त अवधि समाप्त होने से पूर्व उचित अवधि के भीतर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उक्त शुल्क की समाप्ति से पाटन एवं घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।"*
4. उपर्युक्त के अनुसार, प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि पूरे इस तथ्य के संबंध में कि क्या पाटनरोधी शुल्क के समाप्त होने के फलस्वरूप पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना है, घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से विधिवत पुष्टिकृत अनुरोध के आधार पर समीक्षा करें।
5. घरेलू उद्योग की ओर से तथा इस नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार दायर किए गए पाटन और क्षति की संभावना के पर्याप्त साक्ष्य के साथ घरेलू उद्योग द्वारा विधिवत पुष्टिकृत आवेदन को देखते हुए, प्राधिकारी ने संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए संबद्ध वस्तुओं के संबंध में लागू शुल्कों को लगातार अधिरोपित किए जाने की आवश्यकता की समीक्षा करने तथा इस तथ्य की जांच करने कि क्या ऐसे शुल्क के समाप्त होने के फलस्वरूप पाटन के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने तथा घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है, दिनांक 31 मार्च, 2023 की अधिसूचना सं. 07/03/2023-डीजीटीआर के द्वारा निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत की।
6. वर्तमान समीक्षा के कार्य क्षेत्र में दिनांक 18 सितंबर, 2018 की अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना सं.6/3/2018-डीजीएडी, जिसे दिनांक 18.10.2018 की अधिसूचना सं. 53/2018-सीमाशुल्क (एडीडी) के द्वारा लागू किया गया था, जारी किए गए संबद्ध वस्तुओं के संबंध में पूर्व जांच के सभी पहलू शामिल हैं।

#### ख. प्रक्रिया

7. यहां नीचे वही प्रक्रिया का अनुकरण संबद्ध जांच के संबंध में किया गया है :
  - i. प्राधिकारी ने इस जांच की शुरुआत करने की कार्रवाई करने के पूर्व पाटनरोधी आवेदन के प्राप्त होने के बारे में भारत में संबद्ध देश के दूतावास को अधिसूचित किया।
  - ii. प्राधिकारी ने चीन से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में अंतिम निर्णायक पाटनरोधी जांच समीक्षा की शुरुआत करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित दिनांक 31 मार्च 2023 को एक आम सूचना जारी की।

- iii. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देश के दूतावास, संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं, अन्य भारतीय उत्पादकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2023 को जांच की शुरुआत संबंधी अधिसूचना की एक प्रति भेजी।
- iv. प्राधिकारी ने इस नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार, भारत में संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों तथा दूतावास को आवेदन के अगोपनीय रूपांतर की एक प्रति उपलब्ध कराई।
- v. जांच की शुरुआत संबंधी अधिसूचना में, प्राधिकारी ने निष्पक्ष तुलना करने के उद्देश्य से हितबद्ध पक्षकारों से प्रस्तावित पीसीएन पद्धति पर टिप्पणियां मंगाई थी। हितबद्ध पक्षकारों से कोई टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई थी और इसके बाद, दिनांक 29 मई, 2023 के पत्र के द्वारा हितबद्ध पक्षकारों से अनुरोध किया गया था कि वे अंतिम निर्णय लिए गए पी सी एन पद्धति के अनुसार अपनी प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत करें।
- vi. हितबद्ध पक्षकारों से अनुरोध किया गया था कि वे निर्धारित रूप में और तरीके से संगत सूचना उपलब्ध कराएं और इस नियमावली के नियम 6(2) तथा 6(4) के अनुसार निर्धारित समय के भीतर लिखित रूप में अपने दृष्टिकोण से अवगत कराएं।
- vii. भारत में संबद्ध देश के दूतावास से भी अनुरोध किया गया था कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने के लिए अपने देश के उत्पादकों/निर्यातकों को सलाह दें। उत्पादकों/निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली भी संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के नाम और पते के साथ दूतावास को भेजी गई थी।
- viii. प्राधिकारी ने इस नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संबद्ध देश में निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को प्रश्नावलियां भेजी:
- क. झेजियांग जिनयुआन फ्लैक्स कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
- ख. हेइलॉंगजियांग यानशोउ जिजिया फ्लैक्स टेक्सटाइल कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
- ग. गुआंगडन, चीन जन. गण.की नानहाई टेक्सटाइल्स आयात और निर्यात कंपनी लिमिटेड
- घ. जियामुसी सान्हे लिनन टेक्सटाइल्स कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
- ड. जियांगसू जिनयुआन फ्लैक्स कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
- च. निंगबो विन वे कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
- छ. हुजौ ए जियांग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.,
- ज. चांगझौ मेइयुआन फ्लैक्स टेक्सटाइल कंपनी, चीन जन. गण.
- झ. हुझोउ गोल्डरिच लिनन टेक्सटाइल कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
- ञ. टोंगलिंग वर्ल्डबेस्ट लिनन एंड रेमी कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.,
- ट. हांगजो शांगलू सिल्क कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
- ठ. तुंग गा लिनन एंड काँटन (चांगझौ) कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.,
- ड. यिक्सिंग सनशाइन लिनन टेक्सटाइल कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.,
- ढ. हेइलॉंगजियांग किंगडम एंटरप्राइज कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.,
- ण. सूझोऊ जिनशेन लिनन इम्प एंड एक्सप. कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
- त. कुशान डेलिक्सी ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
- थ. दि ल्यूरेक्स कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
- द. हुआरेन लिनन (एचके) कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.

- ध. टोंगज़ियांग जिआका इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
- न. ग्रेट ईस्टर्न टेक्सटाइल्स (टोंगलिंग) कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
- प. झेजियांग एक्सियांग फ्लैक्स टेक्सटाइल कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
- फ. झेजियांग गोल्डन ईगल कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
- ब. झेजियांग गोल्डन ईगल स्पन सिल्क कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
- भ. झेजियांग गोल्डन ईगल यिली लिनन टेक्सटाइल कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
- म. झेजियांग जिनयुआन फ्लैक्स कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
- य. झेजियांग किंगडम लिनन कंपनी लिमिटेड, जन. गण.
- ix. उत्तर में, संबद्ध देश के निम्नलिखित निर्यातकों/उत्पादकों ने निर्धारित प्रपत्र में निर्यातक की प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया:
- क. झेजियांग किंगडम लिनन कंपनी लिमिटेड, चीन गण.
- ख. हेइलॉंगजियांग किंगडम लिनन कंपनी लिमिटेड, चीन गण.
- ग. जियांगसू जिनयुआन फ्लैक्स कंपनी लिमिटेड, चीन गण.
- घ. झेजियांग जिनयुआन फ्लैक्स कंपनी लिमिटेड, चीन गण.
- ड. हेइलॉंगजियांग यान्शौ जिजिया फ्लैक्स टेक्सटाइल कंपनी लिमिटेड, चीन गण.
- च. यिक्सिंग सनशाइन लिनन टेक्सटाइल कंपनी लिमिटेड, चीन गण.
- x. प्राधिकारी ने इस नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाते हुए भारत में संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को आयातक की प्रश्नावलियां भेजी :
- क. टेक्सवेंचर्स एलएलपी
- ख. बॉम्बे रेयॉन फैशन लिमिटेड, महाराष्ट्र,
- ग. सियाराम सिल्क मिल्स लिमिटेड, महाराष्ट्र,
- घ. रेमंड लक्ज़री कॉटन्स लिमिटेड, महाराष्ट्र,
- ड. श्री दामोदर यार्न मैनुफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड, दमन
- च. भारत विजय मिल्स, गुजरात
- xi. उत्तर में, निम्नलिखित आयातकों/प्रयोक्ताओं ने जवाब दिया है और आयातक/प्रयोक्ता की प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया :

**क. टेक्सवेंचर एलएलपी**

- xii. आवेदकों तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों से आगे सूचना उस सीमा तक मांगी गई थी, जिस सीमा तक उन्हें आवश्यक माना गया ।
- xiii. कोविड-19 की चल रही वैश्विक महामारी के कारण, सभी हितबद्ध पक्षकारों को यह कहा गया था कि वे ई-मेल के माध्यम से अन्य हितबद्ध पक्षकारों के साथ अपने सभी अनुरोधों के अगोपनीय रूपांतरों को साझा करें । सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा संगत मानी गई सीमा तक किए गए अनुरोधों पर अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना में विचार किया गया है ।
- xiv. यह याचिका 2019-20 से सितंबर, 2022 तक की अवधि के लिए बाजार आसूचना और गौण स्रोत से प्राप्त आयात आंकड़ों के आधार पर दायर की गई थी । प्राधिकारी द्वारा प्रणाली महानिदेशालय (डी जी एस) को इस आशय का एक अनुरोध किया गया था कि वे पिछले तीन वर्षों और जांच की अवधि के लिए संबद्ध वस्तु के आयातों का लेन-देनवार विवरण उपलब्ध कराएं जो प्राधिकारी को प्राप्त हो गया था ।

इस जांच में, यह प्राधिकरण के ध्यान में लाया गया कि एसईजेड इकाइयों में पर्याप्त आयात किया जा रहा है, इसलिए, प्राधिकरण ने वर्तमान जांच में अप्रैल 2019 से सितंबर 2022 की अवधि के लिए डीजी सिस्टम्स और एसईजेड से ऑनलाइन प्राप्त आंकड़ों पर विचार किया है। डीजी सिस्टम्स से आयात डेटा को एसईजेड आयात डेटा और उत्तर देने वाले निर्यातकों द्वारा दायर प्रतिक्रिया के साथ विधिवत पुष्टि की गई है।

- xv. घरेलू उद्योग ने वित्तीय आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। क्षति रहित कीमत (एनआईपी) का निर्धारण घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार तथा सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) तथा इस नियमावली के अनुबंध-III के अनुसार भारत में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की ईष्टतम लागत और उन वस्तुओं का निर्माण करने और बिक्री करने की लागत के आधार पर किया गया है। इस प्रकार की क्षति रहित कीमत पर यह सुनिश्चित करने के लिए विचार किया गया है कि क्या पाटन मार्जिन से कमतर पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।
- xvi. आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना का मौके पर उस सीमा तक सत्यापन, जिस सीमा तक उसे आवश्यक समझा गया, के द्वारा भौतिक निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा किया गया था। जहां कहीं भी लागू हुआ, आवश्यक संशोधन के साथ केवल ऐसी सत्यापित सूचना पर वर्तमान अंतिम जांच परिणामों के उद्देश्य से विश्वास किया गया है।
- xvii. उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना का उस सीमा तक सत्यापन, जिस सीमा तक उसे आवश्यक माना गया, प्राधिकारी द्वारा किया गया था और इस प्रकार की सत्यापित सूचना पर वर्तमान अंतिम जांच परिणामों के उद्देश्य से विश्वास किया गया है।
- xviii. वर्तमान पाटनरोधी जांच के उद्देश्य से जांच की अवधि (पीओआई) अक्टूबर 2021-सितंबर 2022 (12 माह) है। तथापि, क्षति जांच अवधि 2019-20, 2020-21, 2021-22, और जांच की अवधि के रूप में मानी गई है। 2021-22 के बीच छह महीने की अवधि तथा जांच की अवधि के अधिव्यापन पर क्षति का विश्लेषण करते समय विचार किया गया है।
- xix. इस नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को इस प्राधिकारी के समक्ष मौखिक रूप से संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अवसर उपलब्ध कराने हेतु दिनांक 20 जून, 2023 को मौखिक सुनवाई की। मौखिक सुनवाई में उपस्थित सभी पक्षकारों को सलाह दी गई थी कि वे मौखिक रूप से व्यक्त किए गए विचारों को लिखित अनुरोध के रूप में प्रस्तुत करें। लिखित अनुरोधों के अगोपनीय रूपांतरों को सभी हितबद्ध पक्षकारों को ई-मेल के द्वारा परिचालित किया गया था और उन्हें प्रत्युत्तर अनुरोध, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिया गया था।
- xx. हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त लिखित अनुरोधों/प्रत्युत्तरों में दिए गए तर्कों पर वर्तमान अंतिम जांच परिणामों में विचार किया गया है।
- xxi. जांच प्रक्रिया के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों का जहां कहीं भी संगत पाया गया, प्राधिकारी द्वारा इस अंतिम जांच परिणामों में निवारण किया गया है।
- xxii. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराई गई सूचना की जांच गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने जहां कहीं भी आवश्यक हुआ, गोपनीयता के दावे को स्वीकार किया है और इस प्रकार की सूचना को गोपनीय तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट न की गई सूचना मानी गई है। जहां कहीं भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था।
- xxiii. जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच की प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सूचना तक पहुंच देने से इंकार किया है, अथवा अन्य प्रकार से उपलब्ध नहीं कराया है या इस जांच में बहुत अधिक हद तक बाधा पहुंचाई है, प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी के रूप में माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर उसे रिकॉर्ड किया है।
- xxiv. उपर्युक्त नियमावली के नियम 16 के अनुसार, आवश्यक तथ्यों को प्राधिकारी द्वारा दिनांक 6 जुलाई, 2023 को संबंधित हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट किया गया था। 11 जुलाई, 2023 तक टिप्पणियों के

बारे में अनुरोध किया गया था। प्राधिकारी द्वारा संगत मानी गई सीमा तक प्रकटन विवरण के संबंध में प्राप्त टिपणियों पर इस अंतिम जांच परिणाम में विचार किया गया है।

- xxv. संबद्ध जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर 1 अम.डॉलर= 77.48 रूपए है।
- xxvi. इस अधिसूचना में \*\*\* गोपनीय आधार पर तथा इस नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा वैसी मानी गई सूचना, जिसे हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्रस्तुत किया गया है, का द्योतक है।

### ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

8. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा है, जांच की शुरुआत के चरण में, मूल जांच में यथापरिभाषित विचाराधीन उत्पाद का कार्य क्षेत्र वही रखा गया था। तदनुसार, विचाराधीन उत्पाद को निम्नानुसार परिभाषित किया गया था।

“7. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ विचाराधीन उत्पाद “70 एलईए काउंट से कम का फ्लैक्स यार्न (42 एनएम के समतुल्य)” है।

8. फ्लैक्स यार्न एक प्राकृतिक सेल्युलॉसिक फाइबर होता है जिसमें प्राकृतिक रूप से एंटीमाइक्रोबाइल, एंटीफंगल विशेषताएं होती हैं। इस यार्न को आमतौर पर 100 प्रतिशत फ्लैक्स फाइबर से बनाया जाता है और लिनेन यार्न या फ्लैक्स यार्न कहा जाता है। फ्लैक्स फाइबर को फ्लैक्स यार्न या लिनेन यार्न बनाने के लिए अन्य फाइबर के साथ मिश्रित भी किया जा सकता है। फ्लैक्स यार्न का प्राथमिक उपयोग फ्लैक्स फैब्रिक का निर्माण करने में होता है। फ्लैक्स फैब्रिक को परिधान और घरेलू वस्त्र में प्रयोग किया जाता है।

9. सभी अन्य प्राकृतिक सेल्युलॉसिक फाइबर जैसे कपास, हैम्प, जूट और रैमी वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर हैं। 70 या उससे अधिक एलईए फ्लैक्स यार्न विचाराधीन उत्पाद के दायरे से स्पष्ट रूप से बाहर हैं।”

### ग.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

9. अन्य हितबद्ध पक्षकारों में से किसी ने भी विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के दायरे के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया है।

### ग.2 घरेलू उद्योग के विचार

10. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में घरेलू उद्योग के विचार निम्नानुसार हैं :

- वर्तमान याचिका में विचाराधीन उत्पाद “70 एलईए (42 एनएम)” से कम का फ्लैक्स यार्न है। 70 और उससे अधिक एलईए का फ्लैक्स यार्न को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से स्पष्ट रूप से बाहर किया गया है।
- फ्लैक्स यार्न एक लिनेन यार्न है। यह एक प्राकृतिक सेल्युलॉसिक फाइबर, नमी को अत्यधिक अवशोषित करने वाला है, इसमें उच्चतर संयोजकता रहती है तथा इसमें प्राकृतिक रूप से एंटीमाइक्रोबाइल, एंटीफंगल गुण होते हैं। फ्लैक्स फाइबर से बनाए गए यार्न को फ्लैक्स यार्न/ लिनेन यार्न कहा जाता है। अन्य सभी प्राकृतिक सेल्युलॉसिक फाइबर जैसे कपास, हैम्प, जूट और रैमी वर्तमान याचिका के उद्देश्य से विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर हैं। यदि विचाराधीन उत्पाद का उल्लेख लिनेन/फ्लैक्स यार्न के रूप में किया जाता है, तब यह सीमाशुल्क और बाजार की भाषा में अच्छी तरह से समझा जाता है।
- ऑफ्लैक्स यार्न का प्रयोग फ्लैक्स फैब्रिक बनाने में किया जाता है। फ्लैक्स फैब्रिक का प्रयोग अपैरल जैसे ड्रेस, सूट, सेपरेट्स, स्कर्ट, जैकेट, पैंट, ब्लाउजेज, शर्ट्स, चिल्ड्रनस वीयर आदि तथा होम टेक्सटाइल्स जैसे पर्दा, ड्रेपरीज, अपहोस्टरी, बैडस्प्रेड्स, टेबल लिनन, शीट्स, डिस टावल्स आदि के लिए किया जाता है।
- चीन जन. गण. से निर्यात किए गए विचाराधीन उत्पाद तथा भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादन किए गए विचाराधीन उत्पाद में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। वर्तमान मामले में, आयात किए गए तथा घरेलू दोनों उत्पादों में भौतिक तथा रासायनिक विशेषताओं, निर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य एवं उपयोग, उत्पाद विनिर्देश, कीमतनिर्धारण, वितरण और विपणन तथा प्रशुल्क वर्गीकरण आदि जैसे मापदंडों के संबंध में तुलनीय विशेषताएं हैं। उपभोक्ता इनका उपयोग कर सकते हैं और वे एक दूसरे के स्थान पर इन दोनों का उपयोग कर रहे हैं। ये दोनों तकनीकी रूप से वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापन किए जाने योग्य हैं तथा इस प्रकार, ये समान वस्तु हैं।

- v. विचाराधीन उत्पाद का आयात आम तौर पर एचएस कोड 5306 1090 और 5306 2090 के अंतर्गत किया जाता है। हालांकि अन्य एच एस कोड के अंतर्गत भी आयात हो सकते हैं और इस कारण से यह स्पष्ट किया जाता है कि ये एच एस कोड केवल संसूचक हैं और उत्पाद का विवरण सभी परिस्थितियों में होगा।
- vi. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों से टिप्पणियों की मांग करने के बाद पीसीएन पद्धति अपनाई। आवेदकों ने घरेलू उद्योग के उत्पादन की पीसीएन-वार लागत सहित सभी संगत सूचना को रिकॉर्ड पर रखा।

### ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

11. वर्तमान जांच निर्णायक समीक्षा है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे में वही रहता है जिसे मूल जांच के अंतिम जांच परिणामों में परिभाषित किया गया।
- “70 एलईए काउंट से कम का फ्लैक्स यार्न (42 एनएम के समतुल्य)”। यह नोट किया गया था कि मूल अंतिम जांच परिणामों के पैरा 9 में, विचाराधीन उत्पाद का दायरा ‘सभी अन्य प्राकृतिक सेल्युलोसिक फाइबर जैसे कपास, हैंम, जूट और रैमी वर्तमान जांच के उद्देश्य से विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर हैं। 70 और उससे अधिक एलईए के फ्लैक्स यार्न को स्पष्ट रूप से विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर किया गया है।”
12. यह स्पष्ट किया जाता है कि पीयूसी का दायरा “70 एलईए काउंट से कम का फ्लैक्स यार्न (42 एनएम के समतुल्य)” तक सीमित है।
13. विचाराधीन उत्पाद सामान्य तौर पर सीमा प्रशुल्क अधिनियम के अध्याय 53 के अंतर्गत मद 5306 और उप मद 53061010, 53061090, 53062010 और 53062090 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। इन एच एस कोड को केवल संसूचक माना जाता है और उत्पाद का विवरण वर्तमान जांच के उद्देश्य से निर्णायक है।
14. फ्लैक्स यार्न एक प्राकृतिक सेल्युलोसिक फाइबर है जिसमें प्राकृतिक रूप से एंटीमाइक्रोबियल, एंटीफंगल गुण होते हैं। इस यार्न को आम तौर पर 100 प्रतिशत फ्लैक्स फाइबर से बनाया जाता है तथा इसे लिनेन यार्न अथवा फ्लैक्स यार्न कहा जाता है। फ्लैक्स फाइबर को फ्लैक्स यार्न अथवा लिनेन यार्न बनाने के लिए अन्य फाइबरों के साथ मिश्रित भी किया जा सकता है। फ्लैक्स यार्न का प्राथमिक उपयोग फ्लैक्स फैब्रिक बनाने में होता है। फ्लैक्स फैब्रिक का उपयोग अपैरल के लिए और होम टैक्सटाइल में होता है।
15. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तुओं का आयात विभिन्न एल ई एकाउंट में किया जा रहा है। आवेदकों ने पीसीएन से पीसीएन तुलना करने के उद्देश्य से उत्पाद नियंत्रण संख्याओं(पीसीएन) का प्रस्ताव किया था। इन मानदंडों, जो उत्पाद की संबद्ध लागत और कीमतों को प्रभावित करते हैं, पर विचार करते हुए, प्राधिकारी ने जांच की शुरुआत संबंधी अधिसूचना के द्वारा प्रस्तावित पीसीएन पद्धति पर टिप्पणियां आमंत्रित की। हालांकि हितबद्ध पक्षकारों से निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई थी। प्राधिकारी ने दिनांक 29 मई, 2023 के संप्रेषण सं. 7/3/2023-डीजीटीआर के द्वारा पीसीएन पद्धति अधिसूचित की। वर्तमान जांच में अपनाई गई पीसीएन पद्धति निम्नानुसार है :

क्र.सं.	एलईए श्रेणी	एनएम श्रेणी	पीसीएन
1	5 एलईए तक	3 एनएम तक	01
2	5 से अधिक और 10 तक	3 से अधिक और 6 तक	02
3	10 से अधिक और 15 तक	6 से अधिक और 9 तक	03
4	15 से अधिक और 20 तक	9 से अधिक और 12 तक	04
5	20 से अधिक और 25 तक	12 से अधिक और 15 तक	05
6	25 से अधिक और 30 तक	15 से अधिक और 18 तक	06
7	30 से अधिक और 35 तक	18 से अधिक और 21 तक	07
8	35 से अधिक और 40 तक	21 से अधिक और 24 तक	08
9	40 से अधिक और 45 तक	24 से अधिक और 27 तक	09

10	45 से अधिक और 50 तक	27 से अधिक और 30 तक	10
11	50 से अधिक और 55 तक	30 से अधिक और 33 तक	11
12	55 से अधिक और 60 तक	33 से अधिक और 36 तक	12
13	60 से अधिक और 65 तक	36 से अधिक और 39 तक	13
14	65 से अधिक और 70 से कम	39 से अधिक और 42 से कम	14

16. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित तथा संबद्ध देश से आयात किया गया विचाराधीन उत्पाद भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, कार्य एवं उपयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा इन वस्तुओं का प्रशुल्क वर्गीकरण के मामले में तुलनीय है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित तथा संबद्ध देश से आयात की गई वस्तु इस नियमावली के संदर्भ में समान वस्तु हैं। ये दोनों तकनीकी रूप से और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापन के योग्य हैं। प्राधिकारी यह मानते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) के दायरे एवं अर्थ से संबद्ध देश से आयात किए गए विचाराधीन उत्पाद की समान वस्तु हैं।

### घ. घरेलू उद्योग का क्षेत्र और आधार

#### घ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

17. किसी भी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने घरेलू उद्योग के आधार और दायरे के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया है।

#### घ.2 घरेलू उद्योग के विचार

18. घरेलू उद्योग द्वारा घरेलू उद्योग के आधार और दायरे के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :

- यह आवेदन मै. जय श्री टेक्सटाइल्स लिमिटेड और मै. सिंटेक्स इंडस्ट्रीज द्वारा दायर किया गया है। आवेदक का भारत में संबंधित उत्पाद के कुल भारतीय उत्पादन में बड़ा हिस्सा है।
- इस आवेदन का समर्थन यह आवेदन दायर करते समय मै. लिनेन आर्ट प्राइवेट लिमिटेड, मै. गोल्डन फाइबर एलएलपी और मै. रेमंड लज्जरी कॉटंस लिमिटेड द्वारा किया गया था।
- ये आवेदक न तो चीन जन.गण. में विचाराधीन उत्पाद के किसी उत्पादक/निर्यातक से संबंधित हैं और न ही वे भारत में किसी आयातक अथवा संबद्ध देश में निर्यातक से संबंधित हैं। इसके अलावा, आवेदकों को इस नियमावली के संबंध में घरेलू उद्योग बनने के लिए पात्र माना जाना चाहिए।
- ये आवेदक चीन में संबद्ध वस्तुओं के किसी उत्पादक-निर्यातक अथवा भारत में किसी आयातक से संबंधित नहीं हैं।
- इन आवेदकों के पास पर्याप्त आधार है और इस नियमावली के अर्थ से यह घरेलू उद्योग है। यद्यपि, यह वह शर्त नहीं है जो निर्णायक समीक्षा जांच के लिए अनिवार्य हो।

#### घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

19. पाटन रोधी नियमावली के नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:-

“*(ख) घरेलू उद्योग*” का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में ‘घरेलू उद्योग’ पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।

20. वर्तमान आवेदन मै. ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड (जय श्री टेक्सटाइल्स) और सिंटेक्स इंडस्ट्रीज लि. द्वारा दायर किया गया है। मै. रेमंड लज्जरी कॉटंस, मै. लिनेन आर्ट प्राइवेट लिमिटेड तथा मै. गोल्डन फाइबर एलएलपी ने भी इस याचिका का समर्थन किया है और शुल्क लगाए जाने का अनुरोध किया है। संबद्ध वस्तुओं के तीन और



घरेलू उत्पादक हैं अर्थात् मै. चंपदानी इंडस्ट्रीज, मै. कमरहाटी जूट मिल्स तथा मै. डब्ल्यू एफ बी बर्ड एंड कं. इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। यह देखा गया है कि घरेलू उत्पादकों की संख्या में मूल जांच से वृद्धि हुई है।

21. इसके अलावा, आवेदकों द्वारा उत्पादन कुल भारतीय उत्पादन का लगभग \*\*\*% है और यह भारतीय उत्पादन का बड़ा हिस्सा है। हालांकि इन उत्पादकों द्वारा उपलब्ध कराई गई संगत सूचना की जांच इसके बावजूद यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संगत स्थानों पर किया गया है कि क्या इसका कार्य निष्पादन आवेदकों की तुलना में वास्तविक रूप से अलग स्थिति को दर्शाता है।
22. ऊपर में दिए हुए रिकॉर्ड पर सामग्री की जांच करने पर तथा कानूनी प्रावधानों पर विचार करने पर, प्राधिकारी यह मानते हैं कि आवेदक पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के संदर्भ में घरेलू उद्योग है और यह आवेदन इस नियमावली के नियम 5(3) के संदर्भ में आधार के मानदंड को पूरा करता है।

## ड. गोपनीयता से संबंधित मुद्दे

### ड.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

23. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उनके द्वारा तथा घरेलू उद्योग के द्वारा दावा किए गए गोपनीयता और घरेलू उद्योग के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :
  - i. घरेलू उद्योग ने इस सूचना, जो गोपनीय नहीं है, जैसे उनका वित्तीय विवरण और भारतीय उत्पादन का विवरण के संबंध में गोपनीयता का दावा किया है। यह अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अपना अनुरोध करने से रोक रहा है क्योंकि उन्हें इस सूचना तक पहुंच नहीं मिलती है।
  - ii. याचिकाकर्ता समर्थकों द्वारा आयात प्रकट किया जाना चाहिए ताकि अन्य हितबद्ध पक्षकार पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अंतर्गत घरेलू उद्योग के रूप में माने जाने के लिए याचिकाकर्ता की पात्रता पर वस्तुनिष्ठ तरीके से टिप्पणी कर सकते हैं।
  - iii. प्रपत्र ग 1 में सूचित किए गए कच्चे माल, उपयोगिता, अन्य परिवर्तन लागत और व्याज लागत के संबंध में सूचना को एक गैर-गोपनीय सारांश द्वारा संलग्न किए बिना गोपनीय माना जाता है।
  - iv. याचिकाकर्ता ने अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है और इस प्रकार बचाव के अधिकार का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया जा सकता है। याचिकाकर्ता इस नियमावली के नियम 7 तथा दिनांक 9 दिसंबर, 2013 के व्यापार नोटिस सं. 01/2013 में निर्धारित मानदंडों को पूरा नहीं करता है। हमारा बचाव का अधिकार कम हो जाता है क्योंकि बहुत अधिक आंकड़े एन सी वी याचिका में उचित रूप से सूचीबद्ध नहीं हैं।

### ड.2 घरेलू उद्योग के विचार

24. घरेलू उद्योग द्वारा गोपनीयता के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :
  - i. आवेदकों ने केवल ऐसी सूचना से गोपनीय होने का दावा किया है जो या तो पब्लिक डोमेन में है या जिसे विधि द्वारा प्रकट करने का अधिकार नहीं दिया गया है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने गोपनीयता का दावा करने के लिए उपयुक्त स्थानों पर कारण भी दिए हैं।
  - ii. उत्पादन (अपना, समर्थकों का, अन्य उत्पादकों का, भारत में कुल का), निर्यात बिक्री की मात्रा, घरेलू बिक्री की मात्रा (अपना, समर्थकों का, अन्य उत्पादकों का), याचिकाकर्ता और समर्थकों द्वारा संबद्ध वस्तुओं का आयात, बाजार हिस्सा, कैप्टिव खपत, क्षमता का उपयोग, मालसूची और याचिकाकर्ता का रोजगार से संबंधित सूचना व्यापार संवेदनशील सूचना है जिसका प्रकटन याचिकाकर्ता के व्यापारिक हितों को गंभीर रूप से खतरे में डालेगा।
  - iii. लागत संबंधी सूचना प्रकृतिवश अत्यधिक व्यापार संवेदनशील है और इस कारण से इसे गोपनीय के रूप में दावा किया गया है। याचिकाकर्ता ने कानूनी प्रतिष्ठान के प्रकाशित सूचना के आधार पर अपनी क्षति संबंधी सूचना तैयार नहीं की है। आवेदक संबद्ध वस्तुओं का व्यापार कर रहे प्रभागों जो कंपनी का एक प्रभाग अथवा इकाई के रूप में कार्य करता है, के लिए अलग वित्तीय रिकॉर्ड रखते हैं। आवेदकों के वित्तीय लेखाओं से सभी सूचना ली गई है जिनका पृथक रूप से लेखा परीक्षण किया जाता है। आवेदकों से संबंधित वित्तीय सूचना पब्लिक डोमेन में अलग से उपलब्ध नहीं है। संगत सूचना प्राधिकारी को गोपनीय आधार पर दी गई है क्योंकि उसका प्रकटन आवेदकों के हितों को खतरे में डालेगा।

- iv. आवेदकों ने निवल निर्यात कीमत और भारतीय अन्य उत्पादकों की बिक्री की गणना के लिए संयुक्त भत्तों/कटौतियों का अनुमान लगाया है। निर्यातकों ने यह नहीं दर्शाया है (वास्तव में दावा भी नहीं किया है) कि आवेदकों द्वारा ली गई राशि अत्यधिक है। किसी भी स्थिति में प्राधिकारी उचित सत्यापन के बाद निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों पर विचार करेंगे।
- v. आवेदकों और समर्थकों द्वारा किए गए आयातों का विवरण व्यापार संवेदनशील सूचना है और इस कारण से प्रकट नहीं किया जा सकता है। यह सूचना सूचीबद्ध रूप में दी गई है जो विधि के अनुसार औचित्य ठहराए जाने योग्य है।
- vi. प्रपत्र ग 1 में सूचित किए गए कच्चे माल, युटीलिटी, अन्य परिवर्तन लागत और ब्याज लागत के संबंध में सूचना गोपनीय प्रकृति की है और जिसका प्रकटन आवेदकों के हितों को गंभीर रूप से खतरे में डालेगा।
- vii. प्रतिवादियों ने निर्यातक की प्रश्नावली के उत्तर में अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है और यह टिप्पणी करने के हमारे अधिकार को कम करता है क्योंकि इस पर उसके लिए बिना कोई सही कारण बताए सार्थक सारांश उपलब्ध नहीं कराता है। संबद्ध देश से सभी निर्यातकों और उत्पादकों के अनुरोध की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए और उन्हें अलग बर्ताव से इंकार नहीं करना चाहिए।

### ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

25. गोपनीयता के संबंध में जांच की प्रक्रिया के दौरान आवेदकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनेक अनुरोध किए गए हैं और उनकी प्राधिकारी द्वारा संगत मानी गई सीमा तक निम्नानुसार जांच की गई है।
26. सूचना की गोपनीयता के संबंध में पाटन-रोधी नियमावली के नियम-7 में निम्नानुसार व्यवस्था है:-
 

*“(1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।*

*(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।*

*(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।”*
27. प्राधिकारी यह मानते हैं कि कोई भी सूचना जो गोपनीय प्रकृति की है (उदाहरण के लिए क्योंकि इसका प्रकटन प्रतियोगी के लिए बहुत अधिक प्रतिस्पर्धी लाभ का होगा अथवा चूंकि इसके प्रकटन का सूचना देने वाले व्यक्ति अथवा उस व्यक्ति जिससे उस व्यक्ति ने ये सूचना प्राप्त की पर बहुत अधिक हद तक प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा) अथवा जिसे इन पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दिया गया है, सही कारण दर्शाए जाने पर इसे प्राधिकारी द्वारा वैसा माना जाना चाहिए। इस प्रकार की सूचना को उसे प्रस्तुत करने वाले पक्षकार की विशिष्ट अनुमति के बिना प्रकट नहीं किया जा सकता है।
28. प्राधिकारी ने आवेदकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए गोपनीयता के दावे पर विचार किया है और इसके बारे में संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने गोपनीयता के संबंध में दावे की अनुमति दी है। प्राधिकारी सभी हितबद्ध पक्षकारों को विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतर जांच के लिए उपलब्ध कराया है।

### च. विविध अनुरोध

#### च.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

29. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं :

- i. याचिकाकर्ता द्वारा पाटनरोधी जांच की शुरुआत करने के लिए शर्त का प्रावधान करने के लिए कोई पुष्टिकृत साक्ष्य नहीं लाया है जबकि जांच करने वाले प्राधिकारी ने तथ्यों की उपयुक्त छानबीन नहीं की है।
- ii. भारतीय बाजार में विचाराधीन उत्पाद की घरेलू आपूर्ति बहुत कम है क्योंकि घरेलू उद्योग सहित विचाराधीन उत्पाद के अधिकांश भारतीय उत्पादक अपनी आवश्यक मांग को पूरा करने के लिए अधिक चिंतित हैं। वे विचाराधीन उत्पाद की अपनी कैप्टिव खपत में तब वृद्धि करते हैं जब लिनेन टैक्सटाइल और अपैरल का निर्माण करने और उनके अपने रिटेल स्टोर तक उसकी आपूर्ति करने के लिए मांग बहुत अधिक होती है (पीक सीजन), घरेलू उद्योग स्वयं अपनी कैप्टिव मांग को पूरा करने के लिए बंगलादेश से आयात करता है। इसका अपना उत्पादन कम पड़ जाता है। डाउन स्ट्रीम प्रयोक्ता चीन और अन्य देशों से उच्चतर कीमत का भुगतान कर अपनी मांग को पूरा करने के लिए आयात करने के लिए मजबूर हो जाते हैं।
- iii. आवेदकों ने स्वयं बंगलादेश से आयात किया है और यह उल्लेख किया है कि भारत को बंगला देश की कीमत पर सामान्य मूल्य की संरचना के लिए विचार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ये पाटित आयात हैं। इसे घरेलू उद्योग के स्व-स्वीकरण के रूप में माना जाना चाहिए कि वे अपने लिए पाटित कीमतों पर बंगलादेश से आयात कर रहे हैं। यह उनके द्वारा स्वयं क्षति की जा रही है।
- iv. आवेदक अत्यधिक संरक्षण की मांग कर रहे हैं जो पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य नहीं है। पाटनरोधी शुल्क एक समान अवसर सृजित करने के उद्देश्य से लगाया जाता है जो इसने पहले ही कर लिया है। इस कारण से इसे जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है।
- v. प्राधिकारी को यह सत्यापित करना होगा कि क्या आवेदक किसी उत्पादन की दिशा में अलग-अलग उत्पादों का निर्माण कर रहे हैं क्योंकि विचाराधीन उत्पाद और विभक्तिकरण में कोई असंगत का समाधान किया जाना चाहिए।
- vi. पेपर बुक सुनवाई के पूर्व सभी हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित किया जाना चाहिए।
- vii. याचिकाकर्ता, ग्रासिम इंडस्ट्रीज पाटनरोधी शुल्कों का लाभ लेता है जब यह नकारात्मक परिस्थितियों से गुजरता है और पर्याप्त संरक्षण याचिकाकर्ता के अन्य उत्पादों में पहले ही दिया गया है। यह पाटनरोधी शुल्क का एक आदतन उपयोगकर्ता है।
- viii. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने एकाधिकारवादी कार्य पद्धतियों को अपनाने और अपनी प्रभावी स्थिति का दुरुपयोग करने के लिए ग्रासिम उद्योग पर 302 करोड़ रूपए का जुर्माना लगाया है। यदि शुल्क की सिफारिश की जाती है तब वे फ्लैक्सयार्न में भी एकाधिकारवादी स्थिति उत्पन्न करने के लिए पाटनरोधी तंत्र का दुरुपयोग कर सकते हैं।

## च.2 घरेलू उद्योग के विचार

30. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित विविध विचार किए गए हैं :

- i. इस याचिका में दी गई सूचना स्पष्ट रूप से यह दर्शाती है कि घरेलू उद्योग का कार्य निष्पादन पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद बेहतर हुआ है। प्राधिकारी ने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति तथा पाटन और क्षति, जिसके कारण घरेलू उद्योग को हानि हुई है, के बीच कारणात्मक संबंध की संभावना का पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर वर्तमान जांच शुरू की थी।
- ii. भारतीय उद्योग की कैप्टिव मांग कुल मांग का 15 प्रतिशत से कम है। भारतीय उद्योग की क्षमता का बहुत अधिक हिस्से का अभी भी कम उपयोग हुआ है विशेषकर अन्य उत्पादकों के मामले में ऐसा हुआ था। कैप्टिव मांग आयातों में वृद्धि का कारण नहीं हो सकती है क्योंकि भारत की समग्र मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता अभी भी मौजूद है।
- iii. घरेलू उद्योग के प्रदर्शन में पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद सुधार हुआ है। हालांकि घरेलू उद्योग की स्थिति अभी भी जोखिमपूर्ण है जैसा कि प्रस्तुत किया गया जांच की अवधि के बाद की अवधि के प्रदर्शन से स्पष्ट है जो यह दर्शाता है कि इस उद्योग में हानि उठाना शुरू किया है।

- iv. घरेलू उद्योग को बंगला देश से आयातों के कारण क्षति नहीं हुई है। हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि चीन से 3407 मी.ट. की मात्रा क्षति पहुंचाने में सक्षम नहीं थी और आवेदकों में से एक आवेदक द्वारा आयात की गई 75 एम टी की मात्रा से घरेलू उद्योग को क्षति हुई।
- v. बंगलादेश से आयात भारत में उत्पादन और खपत के संबंध में मात्रा में बहुत कम है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग में से एक उद्योग द्वारा किए गए आयात का हिस्सा इसके उत्पादन और भारतीय खपत पर विचार करते हुए बहुत कम था।
- vi. समग्र भारतीय मांग को पूरा करने के लिए क्षमता के साथ भारत में कुल 8 उत्पादकों के साथ भी, चीन के आयात लागू शुल्क के बावजूद आधार वर्ष के बजाए क्षति की पूरी अवधि के दौरान लगभग 20 प्रतिशत हुआ है। यह दर्शाता है कि भारतीय उद्योग का प्रदर्शन चीन के उत्पादकों के लिए किसी मतलब का नहीं है।
- vii. घरेलू उद्योग के प्रदर्शन में सुधार हुआ है। हालांकि उतना सुधार नहीं हुआ है जितना कि प्रतिवादियों द्वारा अनुमान लगाया गया है।
- viii. 3,407 एम टी का आयात अभी भी बहुत अधिक है क्योंकि ये आयात तब हो रहे हैं जब मांग आपूर्ति में कोई अंतर नहीं है और इस स्थिति के विपरीत जो जांच की अवधि न थी जहां आयात आवश्यकता बन गए थे। ये आयात मांग में लगभग 20 प्रतिशत के हिस्से को बनाए रखता है और उसे नगण्य के रूप में नहीं माना जा सकता है।
- ix. आवेदक अनुचित व्यापार कार्य पद्धतियों और पाटित विदेशी आयातों, जिनके कारण क्षति हो रही है, के विरुद्ध असहाय हैं। कानून में उक्त कार्य पद्धतियों के विरुद्ध उपलब्ध एकमात्र निदान व्यापार उपचारात्मक शुल्क है। पाटन के कारण क्षति का सामना कर रहा उद्योग पाटनरोधी शुल्क की जांच के माध्यम से केवल क्षति के निदान की मांग कर सकता है और इस कारण से असंबंधित पाटनरोधी शुल्क की जांच में भाग लेने का वर्तमान जांच के लिए कोई मतलब नहीं है।
- x. पेपर बुक में वह सूचना निहित थी जो अन्य हितबद्ध पक्षकारों के साथ साझा किए गए आवेदन के अगोपनीय रूपांतर में पूर्ण रूप से उपलब्ध था। चूंकि मौखिक सुनवाई के दौरान कोई नई सूचना साझा नहीं की गई थी, अतः पेपर बुक को पूर्व में परिचालित नहीं किया गया था क्योंकि सभी सूचनाओं को अगोपनीय रूपांतर में पहले ही साझा कर दिया गया था।
- xi. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की जांच चल रही समीक्षा जांच से संबंधित नहीं है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की कार्रवाई का चल रही जांच पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके अलावा, वर्तमान समीक्षा जांच समग्र भारतीय उद्योग के लिए है और न कि एक कंपनी के लिए है।

### ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

31. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा विविध अनुरोधों की जांच निम्नानुसार की गई है :

- i. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए इन अनुरोधों के संबंध में कि घरेलू उद्योग द्वारा पाटनरोधी जांच की शुरुआत के लिए शर्त की व्यवस्था करने हेतु कोई पुष्टिकृत साक्ष्य नहीं लाया गया है और जांच करने वाले प्राधिकारी ने तथ्यों की उपयुक्त छान-बीन नहीं की है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि जिन आवेदकों ने पर्याप्त सूचना उपलब्ध कराई थी, जो वर्तमान समीक्षा जांच को शुरू करने के लिए अपेक्षित शर्तों को पूरा करते हैं। इस जांच की शुरुआत इस तथ्य से संतुष्ट होने के बाद की गई थी कि नियमावली के अंतर्गत यथा अपेक्षित पर्याप्त साक्ष्य जांच की शुरुआत को औचित्यपूर्ण ठहराते हुए उपलब्ध थे।
- ii. जहां तक इस तर्क का प्रश्न है कि भारतीय बाजार में विचाराधीन उत्पाद की घरेलू आपूर्ति भारतीय उत्पादक के अपनी कैप्टिव मांग को पूरा करने के लिए अधिक प्रयुक्त होने के कारण बहुत अधिक कम है। घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार भारतीय उद्योग की कैप्टिव खपत कुल भारतीय मांग का 15 प्रतिशत से कम है। प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि भारतीय उद्योग के पास अप्रयुक्त क्षमता बची हुई है जो उस मात्रा से अधिक है जिसकी खपत कैप्टिव रूप से भारतीय उत्पादकों द्वारा की जा रही है। यह दर्शाता है कि कैप्टिव खपत ड्राउन स्ट्रीम उद्योग द्वारा किए जाने वाले आयात का कारण नहीं है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अपने तर्क को सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है। किसी भी स्थिति में, प्राधिकारी यह मानते हैं कि मांग और आपूर्ति में अंतर संबद्ध आयातों द्वारा पाटन और क्षति की

संभावना के विरुद्ध निवारण की मांग करने से घरेलू उद्योग को वंचित करने के लिए कारण नहीं हो सकता है।

- iii. इस अनुरोध के संबंध में कि आवेदकों ने बंगलादेश से आयात किया है और इस उद्योग को अपने ही कारण से क्षति हो रही है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक कंपनी द्वारा किया गया आयात इसके उत्पादन और भारतीय खपत की तुलना में नगण्य है। इसके अलावा, बंगला देश से कुल आयात चीन से आयातों, जो शुल्क लगाए जाने के बावजूद भी बहुत अधिक है, के विरुद्ध भारतीय खपत की तुलना में कम हैं। डी जी प्रणाली के आंकड़ों, जिन पर विचार किया गया है, यह दर्शाता है बंगलादेश से कीमत उस कीमत की तुलना में उच्चतर है जिस पर वस्तुओं का निर्यात चीन से किया जा रहा है।
- iv. इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग को पेपर बुक परिचालित करना चाहिए, प्राधिकारी ने नोट किया है कि घरेलू उद्योग ने अपने आवेदन के अगोपनीय रूपांतर में पहले ही उपलब्ध कराये गए आंकड़े और सूचना दर्शायी थी। आवेदन का यह अगोपनीय रूपांतर पहले ही आवेदक द्वारा अन्य हितबद्ध पक्षकारों के साथ परिचालित किया गया था। इसके अलावा, आवेदकों ने हितबद्ध पक्षकारों को अपने लिखित अनुरोधों में टिप्पणिया देने के लिए सक्षम बनाने के उद्देश्य से मौखिक सुनवाई के बाद पेपर बुक परिचालित किया।
- v. इस तर्क के संबंध में कि आवेदक पाटनरोधी शुल्क का बार-बार और आदतन उपयोग करता है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क उपचारात्मक शुल्क है जिन्हें विस्तृत छानबीन और जांच के बाद ही लगाया जा सकता है। इन शुल्कों को पाटन, क्षति और इन दोनों के बीच कारणात्मक संबंध की मौजूदगी को सिद्ध करने के बाद ही लगाया जाता है। प्राधिकारी यह मानते हैं कि अन्य उत्पादों में अन्य पाटनरोधी जांचों में आवेदक की भागीदारी का वर्तमान समीक्षा जांच पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
- vi. इस अनुरोध के संबंध में कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने एकाधिकारवादी कार्य पद्धति के लिए ग्रासिम पर जुर्माना लगाया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा यह जांच वर्तमान समीक्षा जांच से संबंधित नहीं है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने एक असंबंधित उत्पाद में कार्य पद्धतियों के लिए ग्रासिम की जांच की थी। उपरोक्त के अलावा, सीसीआई की भूमिका और एडी नियमों के तहत उपाय एक अलग आधार पर हैं, और इसलिए यह कहना है कि चूंकि वर्तमान जांच में घरेलू उद्योग के आवेदकों में से एक पर सीसीआई द्वारा जुर्माना लगाया गया है और इसलिए एडी नियमों के तहत उपचार प्रदान नहीं किया जा सकता, यह अक्षम्य है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच का दायरा विचाराधीन उत्पाद की पाटन जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना की जांच करने के संबंध में है, क्या इससे घरेलू उद्योग को नुकसान होने की संभावना है और क्या पाटनरोधी शुल्क लागू करना या बढ़ाया जाना आवश्यक है।

## छ. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत तथा पाटन मार्जिन का निर्धारण

### छ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

32. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के निर्धारण पर अन्य हितबद्ध द्वारा किए गए अनुरोध निम्नानुसार हैं :
  - i. इथियोपिया से कीमतों की उपेक्षा केवल इस कारण से नहीं की जानी चाहिए कि इथियोपिया में चीन के निर्माताओं द्वारा निवेश किया गया है। इथियोपिया में उत्पादित वस्तु न तो चीन के मूल की है और न ही चीन में कीमतों से प्रभावित होती है। किंगडम ग्रुप, चीन के साथ इथियोपिया के उत्पादक का संबंध असंगत है। इसके अलावा, आवेदकों ने इस संबंध में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है कि इस प्रकार से इथियोपिया में निवेश इथियोपिया से विचाराधीन उत्पाद की कीमत को प्रभावित करता है। वास्तव में इथियोपिया की कीमतें जांच की अवधि के दौरान बंगलादेश की कीमतों से अधिक हैं।
  - ii. भारत में उचित प्रतिफल के साथ संरचित लागत के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण गैर कानूनी और अनुबंध-1 के पैरा-7 के विरुद्ध है। सामान्य मूल्य का निर्धारण अनुबंध-1 के पैरा-7 के अंतर्गत दिए गए विभिन्न परिणामी विकल्पों के संबंध में किया जाना अपेक्षित है।
  - iii. सामान्य मूल्य का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 में विहित पद्धतियों के पदानुक्रम के अनुसार किया जाना चाहिए। बंगलादेश से विचाराधीन उत्पाद की कीमत का उपयोग 1995 की नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 7 के अंतर्गत दूसरे विकल्प में सामान्य मूल्य के रूप में किया जाना चाहिए।

- iv. किंगडम ग्रुप की निर्यात कीमत का निर्धारण अपनी प्रश्नावली के उत्तर के आधार पर किया जाना चाहिए। प्रतिवादियों ने तीसरे देशों को निर्यात का लेन-देन वार विवरण तथा पहचान किए गए पीसीएन के साथ एसएसआर जांच के उद्देश्य से प्रश्नावलियों के दोनों भाग प्रस्तुत किए।
- v. नकारात्मक पाटन मार्जिन के साथ पीसीएन की उपेक्षा करना और सकारात्मक पाटन मार्जिन के साथ केवल पीसीएन पर विचार करना जीरोइंग कहलाता है जो गैर कानूनी है। भारतीय कानून के अंतर्गत जीरोइंग के लिए कोई प्रावधान नहीं है। यूरोपीय समुदाय में अपीलिय निकाय रिपोर्ट- भारत से कॉटन टाइप बेड लिनेन तथा संयुक्त राज्य – साफ्टवुड लुंबर में अपीलिय निकाय की रिपोर्ट का संदर्भ लिया गया जहां यह माना गया था कि जीरोइंग निर्यात लेन देन जो जांच की अवधि के दौरान होता है, की वास्तविक कीमत का पूर्ण रूप से और विधिवत उल्लेख नहीं करता है जिसके फलस्वरूप पाटन मार्जिन में वृद्धि होती है।
- vi. आवेदकों ने यह दावा करने के लिए कि वर्तमान समीक्षा में लक्षित पाटन है, के लिए कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है।
- vii. आवेदकों ने अन्य हितबद्ध पक्षकारों को कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं कराया है कि घरेलू उद्योग का कार्य निष्पादन जांच की अवधि के बाद और बदतर हुई है।
- viii. घरेलू उद्योग को दिए गए पर्याप्त संरक्षण के फलस्वरूप, संबद्ध आयातों में मूल जांच की जांच अवधि में 9,371 एमटी से वर्तमान समीक्षा की जांच की अवधि में 3,407 एमपी तक गिरावट आई। चीन से आयात कीमत मूल जांच में जांच की अवधि की तुलना में वर्तमान समीक्षा की जांच की अवधि में लगभग दुगुनी हो गई है।
- ix. घरेलू उद्योग ने यह नहीं दर्शाया है कि यह कंपनी भारत में विचाराधीन उत्पाद का पाटन कर रही है और न ही इसने यह दर्शाया था कि उसके पास अधिक अथवा अतिरिक्त क्षमताएं हैं। इसने यह नहीं दर्शाया है कि बाजार में कीमत ह्रास अथवा न्यूनीकरण हुआ है और उसने इसके दावे के समर्थन में कोई अन्य संगत साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है।
- x. सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 9क (6क) का प्रावधान जो यह उल्लेख करता है कि निर्यातक के लिए पाटन का मार्जिन का निर्धारण उस निर्यातक द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर किया जाना है जिन पर यह प्रावधान सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 9 क (5) के अनुसरण में की गई मूल जांच तथा निर्णायक समीक्षाओं, दोनों पर लागू होता है।

## छ.2 घरेलू उद्योग के विचार

33. घरेलू उद्योग द्वारा सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के निर्धारण के संबंध में किए गए अनुरोध निम्नानुसार हैं :-
  - i. संबद्ध देश ने पाटनरोधी शुल्क के लगाए जाने के बावजूद भारत में पाटन करना जारी रखा है।
  - ii. कुछ पीसीएन के लिए पाटन मार्जिन जहां, आयात उच्चतर हैं, बहुत अधिक है। इसका आशय "लक्षित पाटन" है।
  - iii. प्राधिकारी को इस तथ्य का निर्धारण करना चाहिए कि क्यों पाटन मार्जिन का निर्धारण सभी आयातों के आधार पर किया जाना चाहिए जब निर्यातकों ने भारतीय बाजार में लक्षित पाटन का सहारा लिया है।
  - iv. नकारात्मक पाटन मार्जिन के साथ पीसीएन की उपेक्षा की जानी चाहिए और केवल सकारात्मक पाटन मार्जिन के साथ पीसीएन को लिया जाना चाहिए।
  - v. बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा प्रतिवादियों को नहीं दिया जा सकता है यदि प्रतिवादी निर्यातक इस बात को संतुष्ट नहीं करते हैं कि उनके किसी भी बड़े शेयर धारक राज्य के स्वामित्व वाले/राज्य द्वारा नियंत्रित किए जाने वाले प्रतिष्ठान हैं, यह भी कि प्रमुख इनपुट्स की कीमतें पर्याप्त रूप से बाजार मूल्यों को दर्शाते हैं, यदि प्रतिवादी चीन के निर्यातक इस नियमावली के अंतर्गत निर्धारित प्रत्येक मापदंड के संबंध में जांच में सफल नहीं होते हैं और यह कि प्रतिवादी कंपनी ने विचाराधीन उत्पाद के सथ शामिल अपने संबंधित पक्षकारों के साथ वर्तमान जांच में भाग लिया है।

- vi. बाजार अर्थव्यवस्था का बर्ताव नहीं दिया जा सकता है, जहां चीन के निर्यातक यह सिद्ध करने में सक्षम नहीं होते हैं कि उनका बुक्स अंतराष्ट्रीय लेखांकनमा नदंड (आईएएस) के अनुरूप है।
- vii. यह प्रतिवादी चीन के निर्यातकों और न कि प्राधिकारी के लिए है कि वे सिद्ध करें कि वे बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियों के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं।
- viii. ऐसे मामले में चीन के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण उपर्युक्त तथ्यों और स्थितियों को ध्यान में रखकर पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के प्रावधानों के अनुसार ही किया जा सकता है।
- ix. चीन में विचाराधीन उत्पाद का सामान्य मूल्य का निर्धारण इस कारण से बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत अथवा संरचित मूल्य के आधार पर नहीं किया जा सका कि संगत सूचना सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है।
- x. चीन में सामान्य मूल्य का निर्धारण भारत सहित अन्य देश को ऐसे तीसरे देश से कीमत के आधार पर नहीं किया जा सका क्योंकि संगत सूचना बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देशों से अन्य देशों को निर्यातों के संबंध में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। चीन को छोड़कर भारत में आयातों के संबंध में, इथियोपिया और बंगलादेश से आयात हुए हैं। इथियोपिया से आयात चीन के उत्पादक के संबंधित पक्षकार से हुआ है और यह उसी समूह निर्यात (किंगडम ग्रुप) में है और बंगला देश से आयात कीमत पाटित है, इस कारण से इन दोनों कीमतों को सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए उपयुक्त रूप से नहीं लिया जाना है।
- xi. आवेदक ने कच्चे माल और उपयोगिता के लिए घरेलू उद्योग के खपत मापदंडों पर विचार करते हुए, घरेलू उद्योग के अनुसार सभी कच्चे मालों की कीमत लेते हुए और उसे बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्च के साथ विधिवत समायोजित करते हुए तथा आवेदकों के खपत मापदंड पर विचार करते हुए उत्पादन की लागत के आधार पर चीन में सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है।
- xii. निर्यात कीमत सामान्य मूल्य के साथ इसे तुलनीय बनाने के लिए इस उद्योग के पास सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर उचित समायोजन करने के बाद आयात आंकड़ों से उपलब्ध सूचना के आधार पर संगठित किया जाता है।
- xiii. पाटन मार्जिन सकारात्मक और वास्तविक है।
- xiv. प्रतिवादियों के उत्तर को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए यदि निर्यातकों ने तीसरे देशों को निर्यातों का लेनदेनवार ब्यौरा प्रस्तुत नहीं किया है और किसी भी मामले में उनमें पीसीएन की पहचान नहीं की है, प्राधिकारी को ईक्यूआर स्वीकार नहीं करना चाहिए।
- xv. यह तथ्य कि निर्यातकों ने पाटन का सहारा लिया है, पाटन की मौजूदगी से इंकार नहीं करने में अपनी परोक्ष स्वीकारोक्ति द्वारा सिद्ध हो जाता है।
- xvi. किसी भी निर्यातक ने बाजार अर्थव्यवस्था के बर्ताव का दावा नहीं किया है। वास्तव में उन्होंने कहा है कि वे बाजार अर्थव्यवस्था बर्ताव के लिए अनुरोध नहीं करते हैं और यह कि वे डीजीटीआर द्वारा निर्धारित सामान्य मूल्य को स्वीकार करते हैं।

### छ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

34. धारा 9 क (1)(ग) के अधीन, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:

- i. व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा
- ii. जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा :-  
(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा

(ख) उपधारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उदगम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत ;

परंतु यह कि उदगम वाले देश से इतर किसी देश से वस्तु के आयात के मामले में अथवा जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश के जरिए मात्र यानांतरित किया गया है अथवा जहां ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यातक के देश में नहीं किया जाता है, निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उदगम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

35. डब्ल्यू टी ओ में चीन के एक्सेशन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 में निम्नानुसार व्यवस्था है:

"जी ए टी टी 1994 का अनुच्छेद-VI, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य करार, 1994 ("पाटनरोधी करार") के अनुच्छेद-VI का कार्यान्वयन संबंधी करार और एससीएम करार किसी डब्ल्यू टी ओ सदस्य में चीन के मूल के आयातों में शामिल कार्यवाही में निम्नलिखित के संगत लागू होगा:

"(क) जीएटीटी, 1994 के अनुच्छेद-VI और पाटनरोधी करार के अंतर्गत कीमत तुलनीयता के निर्धारण में आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे या उस पद्धति को उपयोग करेंगे जो निम्नलिखित नियमों के आधार पर चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने में आधारित नहीं है:

(i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती हैं तो आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।

(ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त तुलना पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग के लिए लागू नहीं हैं।

(ख) एससीएम समझौते के भाग II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राज्य हायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए ऐसी पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखा जाए कि चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती हैं। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों के उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यमान निबंधन और शर्तों को समायोजित करना चाहिए।

(ग) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैराग्राफ (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी प्रक्रिया समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को सब्सिडी तथा प्रतिसंतुलनकारी उपायों संबंधी समिति को अधिसूचित करेगा।

(घ) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के तहत चीन के एक बार बाजार अर्थव्यवस्था सिद्ध हो जाने पर, उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) के प्रावधान समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते कि आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में एक्सेशन की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ (क)(ii) के प्रावधान एक्सेशन की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त हो जाएंगे। इसके अलावा, आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"

36. यह नोट किया जाता है कि जबकि अनुच्छेद 15 (क)(ii) में निहित प्रावधान 11.12.2016 को समाप्त हो गए हैं। तथापि, एक्सेसन प्रोटोकॉल के 15 (क)(i) के अंतर्गत दायित्व के साथ पठित विश्व व्यापार संगठन के अनुच्छेद 2.1.1.1 के प्रावधानों के लिए बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे का दावा करने के लिए पूरक प्रश्नावली में दी जाने



वाली सूचना /आंकड़ों के माध्यम से संतुष्ट किए जाने के लिए भारत के पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8 में मापदंड को निर्धारित किया जाना अपेक्षित है।

37. जांच की शुरुआत के चरण में, प्राधिकारी ने आवेदकों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार कार्रवाई आरंभ की। जांच की शुरुआत किए जाने पर, प्राधिकार ने चीन जन.गण. में उत्पादकों/निर्यातकों को जांचकी शुरुआत की सूचना देने के लिए तथा बाजार अर्थव्यवस्था के उनके दर्जे के निर्धारण से संगत सूचना उपलब्ध कराने की सलाह दी। प्राधिकारी ने इस नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8(3) में निर्धारित मानदंड के अनुसार गैर बाजार अर्थव्यवस्था के पूर्वानुमान का खंडन करने के लिए सभी ज्ञात उत्पादक/निर्यातकों को पूरक प्रश्नावली की प्रतियां भेजी। प्राधिकारी ने चीन जन गण की सरकार से यह भी अनुरोध किया कि वह संगत सूचना उपलब्ध कराने के लिए चीन जन गण में उत्पादकों/निर्यातकों को सलाह दें। निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत कर इस जांच में सहयोग किया है।

- क. झेजियांग किंगडम लिनन कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण.  
 ख. हेइलॉंगजियांग किंगडम लिनन कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण.  
 ग. जियांगसू जिनयुआन फ्लैक्स कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण.  
 घ. झेजियांग जिनयुआन फ्लैक्स कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण.  
 ड. हेइलॉंगजियांग यान्शू जिजिया फ्लैक्स टेक्सटाइल कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण.  
 च. यिक्सिंग सनशाइन लिनन टेक्सटाइल कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण.

38. किसी भी निर्यातक/उत्पादक ने चीन के एनएमई दर्जे पर आपत्ति नहीं की है। इस प्रकार उक्त स्थिति को देखते हुए और चीन की किसी निर्यातक कंपनी द्वारा गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की मान्यता का खंडन नहीं करने पर प्राधिकारी चीन जन. गण. को वर्तमान जांच में एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में मानना उचित समझते हैं और चीन जन. गण. के मामले में सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 7 के अनुसार कार्रवाई करते हैं।
39. इस तर्क के संबंध में कि लक्षित पाटन मार्जिन को वर्तमान मामले में निर्धारित किया जाना चाहिए, यह नोट किया गया है कि यह दर्शाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं दिए गए हैं कि निर्यातकों द्वारा निर्यात कीमत खरीदार, क्षेत्र या समयावधि के अनुसार काफी अलग-अलग होती है। इस प्रकार प्राधिकारी ने लक्षित पाटन मार्जिन निर्धारित नहीं किया है।

#### छ.4 चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य

40. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा या अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देशों में कीमतों संबंधी कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है। वैश्विक व्यापार आंकड़े भी इसमें शामिल विभिन्न पीसीएन के तथ्य को देखते हुए किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश से कीमत पर विचार हेतु प्रयोग नहीं किये जा सकते हैं। इसके अलावा, जहां तक भारत में आयात का संबंध है। यह देखा गया है कि इथियोपिया और बांग्लादेश से आयात काफी अधिक हैं। आवेदकों ने दलील दी है कि इथियोपिया से भारत में आयात की कीमत इसलिए विक्रित है क्योंकि निर्यातक चीन के एक उत्पादक की विस्तारित कंपनी है। आवेदकों ने इथियोपियन उत्पादक को दी जा रही सब्सिडी की मौजूदगी की भी सूचना दी है। यद्यपि इथियोपिया में प्रचलित स्कीमों की प्रतिसंतुलन योग्यता वर्तमान जांच का संबंधित विषय नहीं है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि इथियोपिया से आयात केवल 2 पीसीएन के लिए है। जहां तक बांग्लादेश से आयात पर विचार किया गया है, इसे भी नहीं अपनाया जा सका क्योंकि बांग्लादेश से आयात केवल 3 पीसीएन के लिए है। ये 2/3 पीसीएन इस जांच के लिए प्राधिकरण द्वारा विचार किए गए 14 पीसीएन का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार, ऐसे तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सका।
41. अतः प्राधिकारी ने एडी नियमावली, 1995 के अनुबंध-1 के पैरा 7 में यथा निर्धारित "भारत में वास्तव में प्रदत्त या देय कीमत" के अनुसार चीन में संबद्ध आयातों के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित किया है। इसे बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्च तथा लाभ के लिए तर्कसंगत योग के साथ घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत के आधार पर परिकलित किया गया है। सामान्य मूल्य उचित तुलना हेतु पीसीएन वार परिकलित किया गया था। प्रतिनिधि

उत्पादक निर्यातक द्वारा विभिन्न पीसीएन की मात्राओं के आधार पर भारत औसत नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

#### छ.5 निर्यात कीमत

क) किंगडमग्रुप: मैसर्स झेजियांग किंगडम लिनन कंपनी लिमिटेड, मैसर्स झेजियांग जिनयुआन फ्लैक्स कंपनी लिमिटेड, और मैसर्स जियांगसू जिनयुआन फ्लैक्स कंपनी लिमिटेड, मैसर्स हेइलॉगजियांग किंगडम लिनन कंपनी लिमिटेड।

42. प्रदत्त उत्तरों से यह नोट किया गया है कि किंगडम ग्रुप में भारत को संबंधित उत्पाद के उत्पादन और निर्यात में निम्नलिखित चार कंपनियां शामिल हैं:

- i. झेजियांग किंगडम लिनन कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
- ii. हेइलॉगजियांग किंगडम लिनन कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
- iii. जियांगसू जिनयुआन फ्लैक्स कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
- iv. झेजियांग जिनयुआन फ्लैक्स कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.

43. ऊपर उल्लिखित चारों कंपनियों ने निर्यातक प्रश्नावली के अलग-अलग उत्तर प्रस्तुत किये हैं। झेजियांग किंगडम लिनन कंपनी लिमिटेड पीओआई के दौरान संबद्ध वस्तु के सीधे निर्यात में शामिल नहीं थी। उसने पीओआई के दौरान झेजियांग जिनयुआन फ्लैक्स कंपनी लिमिटेड और जियांगसू जिनयुआन फ्लैक्स कंपनी लिमिटेड के जरिये भारत को निर्यात किये थे।

44. ईक्यूआर अनुरोधों के अनुसार निर्यातकों/उत्पादकों द्वारा दावा की गई मात्रा की तुलना डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों के साथ की गई थी। प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों की तुलना करने पर निर्यातकों/उत्पादकों द्वारा सूचित आंकड़ों के बीच अंतर को नोट किया था। प्राधिकारी ने निर्यात कीमत निर्धारित करने के प्रयोजनार्थ डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों में यथा सूचित इन उत्पादकों द्वारा किये गये निर्यातों का प्रयोग करने का प्रस्ताव किया है। प्रकटन विवरण जारी होने पर सभी प्रतिवादी निर्यातकों/उत्पादकों ने तर्क दिया है कि निर्यात कीमत पर निर्यातकों द्वारा उनके ईक्यूआर में दिये गये उत्तर के आधार पर विचार किया जाना चाहिए। प्रतिवादी निर्यातकों/उत्पादकों द्वारा किये गये अनुरोधों में उन्होंने बताया है कि आंकड़ों में अंतर इस तथ्य के कारण था कि (क) एसईजेड में स्थित इकाइयों की बिक्री डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों में पूरी तरह प्रदर्शित नहीं हुई होगी। (ख) एफटीडब्ल्यूजेड को संबद्ध वस्तु का अंतरण डेटा बेस में प्रदर्शित नहीं हुआ होगा और (ग) नौवहन की तारीख और भारत में पहुंच की तारीख के बीच समय का अंतर था। अतः प्राधिकारी ने निर्यातकों के उत्तर के आधार पर निर्यात कीमत पर विचार किया है। निर्यातकों द्वारा दावा किये गये समायोजनों पर प्राधिकारी ने विधिवत रूप से विचार किया है।

45. प्राधिकारी ने ईक्यूआर के आंकड़ों के विश्लेषण और डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों के साथ उनके प्रति सत्यापन करते समय यह पाया था कि कंपनी "हेइलॉगजियांग किंगडम लिनन कंपनी लिमिटेड" ने उनके ईक्यूआर में यथा सूचित के विपरीत पीओआई के दौरान किसी मात्रा का निर्यात नहीं किया है। निर्यातक द्वारा प्रस्तुत बीजकों में किसी अन्य कंपनी का नाम दिया गया है। तत्पश्चात निर्यातकों ने जांच के रिकार्ड में पहले से व्यापार लाइसेंस, बीजक, निर्यात दस्तावेजों के जरिये उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर स्पष्ट किया है कि कंपनी का चीनी नाम समान है और यह कंपनी एक अद्वितीय यूनिफार्म सोशल क्रेडिट कोड रखती है जिससे पुष्टि होती है कि ये कंपनियां समान हैं। प्राधिकारी ने शुल्क तालिका में निर्यात दस्तावेजों में यथा सूचित रूप में "हेइलॉगजियांग किंगडम एंटरप्राइजेज कंपनी लिमिटेड" पर विचार किया है।

46. तदनुसार, संबंधित सीएनवी से तुलना के लिए एनईपी को पीसीएन वार ज्ञात किया गया है और उसके बाद भारत औसत परिकलित किया गया है। भारत को निर्यात के लिए निर्धारित भारत औसत निवल निर्यात कीमत निम्नलिखित पैराग्राफों में तालिका के अनुसार पाटन मार्जिन में दर्शाये गये अनुसार है।

#### ख) मेसर्स यिक्सिंग सनशाइन लिनन टेक्सटाइल कंपनी लिमिटेड (उत्पादक/निर्यातक)

47. मेसर्स यिक्सिंग सनशाइन लिनन टेक्सटाइल कंपनी लिमिटेड ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दिया है। यह नोट किया गया है कि मेसर्स यिक्सिंग सनशाइन लिनन टेक्सटाइल कंपनी लिमिटेड संबद्ध वस्तु का उत्पादक और निर्यातक है। पीओआई के दौरान मेसर्स यिक्सिंग सनशाइन लिनन टेक्सटाइल कंपनी लिमिटेड भारत को सीधे संबद्ध वस्तु का निर्यात किया था।

48. ईक्यूआर अनुरोधों के अनुसार निर्यातकों/उत्पादकों द्वारा दावा की गई मात्रा की तुलना डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों के साथ की गई थी। प्राधिकारी ने नोट किया कि डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों की तुलना करने पर निर्यातकों द्वारा सूचित आंकड़ों के बीच अंतर मौजूद है। प्राधिकारी ने निर्यात कीमत निर्धारित करने के प्रयोजनार्थ डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों में यथा सूचित इन उत्पादकों द्वारा किये गये निर्यातों का प्रयोग करने का प्रस्ताव किया है। प्रकटन विवरण जारी होने पर प्रतिवादी निर्यातकों/उत्पादकों ने तर्क दिया है कि निर्यात कीमत पर निर्यातकों द्वारा उनके ईक्यूआर तथा एसईजेड को सभी निर्यात बिक्रियों के आधार पर विचार किया जाना चाहिए। यह अनुरोध किया गया है कि प्राधिकारी ने पूर्व जांच में एसईजेड को निर्यात बिक्रियों पर विचार किया है। प्राधिकरण ने डीजी सिस्टम्स और एसईजेड डेटा से डेटा की सटीकता की पुष्टि की है और इसलिए निर्यातकों की प्रतिक्रिया के आधार पर निर्यात मूल्य पर विचार किया निर्यातकों द्वारा दावा किये गये समायोजनों पर प्राधिकारी ने विधिवत रूप से विचार किया है।
49. समुद्री भाड़ा जिसे प्रतिवादी उत्पादक/निर्यातक द्वारा नहीं दिया गया था, को छोड़कर प्रतिवादी उत्पादक/निर्यातक के दावे के अनुसार समायोजनों पर प्राधिकारी द्वारा विचार किया गया है। समुद्री भाड़ा के लिए प्राधिकारी ने संबद्ध देश के सबसे बड़े निर्यातक द्वारा प्रदत्त सूचना पर विचार किया है। यह तर्क दिया गया था कि निर्यातक द्वारा कमीशन नहीं दिया गया है। इसलिए प्रदत्त कमीशन के लिए किये गये समायोजन में सुधार किया गया है
50. तदनुसार, संबंधित सीएनवी से तुलना के लिए एनईपी को पीसीएन वार ज्ञात किया गया है और उसके बाद भारत औसत परिकलित किया गया है। भारत को निर्यात के लिए निर्धारित भारत औसत निवल निर्यात कीमत निम्नलिखित पैराग्राफों में तालिका के अनुसार पाटन मार्जिन में दर्शाये गये अनुसार है।

**ग) मैसर्स हेइलॉगजियांग यान्शौजिजिया फ्लैक्स टेक्सटाइल कंपनी लिमिटेड (उत्पादक/निर्यातक)**

51. मेसर्स हेइलॉगजियांग यान्शौजिजिया फ्लैक्स टेक्सटाइल कंपनी लिमिटेड ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है। यह नोट किया गया है कि वह संबद्ध वस्तु का एक उत्पादक और निर्यातक है। पीओआई के दौरान उसने संबद्ध वस्तु का सीधे निर्यात किया है। उत्पादक और निर्यातक द्वारा अंतरदेशीय परिवहन और अन्य, विदेशी भाड़ा, विदेशी बीमा, बैंक प्रभार और ऋण के लिए समायोजनों का दावा किया गया है और प्राधिकारी ने उनकी अनुमति दी है।
52. ईक्यूआर अनुरोधों के अनुसार निर्यातकों/उत्पादकों द्वारा दावा की गई मात्रा की तुलना डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों के मूल्य साथ की गई थी। प्राधिकारी ने नोट किया कि डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों की तुलना करने पर निर्यातकों द्वारा सूचित आंकड़ों के बीच अंतर मौजूद है। प्राधिकारी ने निर्यात कीमत निर्धारित करने के प्रयोजनार्थ डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों में यथा सूचित इन उत्पादकों द्वारा किये गये निर्यातों का प्रयोग करने का प्रस्ताव किया है। प्रकटन विवरण जारी होने पर सभी प्रतिवादी निर्यातकों/उत्पादकों ने तर्क दिया है कि निर्यात कीमत पर निर्यातकों द्वारा उनके ईक्यूआर तथा एसईजेड को सभी निर्यात बिक्रियों के आधार पर विचार किया जाना चाहिए। यह अनुरोध किया गया है कि प्राधिकारी ने पूर्व जांच में एसईजेड को निर्यात बिक्रियों पर विचार किया है। प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम्स और एसईजेड डेटा से डेटा की सटीकता की पुष्टि की है और इसलिए निर्यातकों की प्रतिक्रिया के आधार पर निर्यात मूल्य पर विचार किया है। निर्यातकों द्वारा दावा किये गये समायोजनों पर प्राधिकारी ने विधिवत रूप से विचार किया है।
53. तदनुसार, संबंधित सीएनवी से तुलना के लिए एनईपी को पीसीएन वार ज्ञात किया गया है और उसके बाद भारत औसत परिकलित किया गया है। भारत को निर्यात के लिए निर्धारित भारत औसत निवल निर्यात कीमत निम्नलिखित पैराग्राफों में तालिका के अनुसार पाटन मार्जिन में दर्शाये गये अनुसार है।

**ज. पाटन मार्जिन का निर्धारण**

54. पीसीएन वार परिकलित सामान्य मूल्य और निवल निर्यात के आधार पर प्रत्येक सहयोगी उत्पादक/निर्यात के लिए पाटन मार्जिन को निम्नानुसार निर्धारित किया गया है।

क्र. सं.	उत्पादक/निर्यातक	मात्रा	सीएनवी	एनईपी	पाटन मार्जिन		
		एमटी	यूएस डॉलर/ कि.ग्रा.	यूएस डॉलर/ कि.ग्रा.	यूएस डॉलर/ कि.ग्रा.	%	%रेंज
1	जिआंगसु जिनयुआन फ्लैक्स कंपनी, लिमिटेड/ झेजियांग जिनयुआन फ्लैक्स कंपनी लिमिटेड/ झेजियांग किंगडम लिनन कंपनी लिमिटेड/ हेइलॉगजियांग किंगडम एंटरप्राइजेज कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	***	ऋणात्मक
2	यिक्सिंग सनशाइन लिनेन टेक्सटाइल कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	***	ऋणात्मक
3	हेइलॉगजियांग यान्शोउजिजिया फ्लैक्स टेक्सटाइल कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	***	ऋणात्मक
4	क्रम संख्या 1-3 में उत्पादकों के अलावा कोई अन्य	***	***	***	***	***	25-35

### झ. क्षति और कारणात्मक संबंध का आकलन

#### झ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

55. क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं:

- यहां तक कि संबद्ध आयातों के कारण आवेदकों ने भी क्षति का दावा नहीं किया था बल्कि एडीडी के कारण सुधार बताया है कि और यह कि संरक्षण आवश्यक है क्योंकि उद्योग एक नाजुक स्थिति में है। भारतीय उद्योग की स्थिति उस स्तर तक सुधर गई जहां भारतीय विनिर्माताओं के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है। बाजार आसूचना के आधार पर प्रतिवादियों ने घरेलू उद्योग और अन्य भारतीय उत्पादकों की औसत बिक्री कीमतों को देखा है जिनका सत्यापन प्राधिकारी कर सकते हैं।
- घरेलू उद्योग कीमत संवेदनशीलता के अनुसार कमजोर नहीं है। भारतीय उत्पादकों के बीच एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है। यह इतनी अधिक है कि अन्य भारतीय विनिर्माता निर्यातकों तथा आवेदकों की कीमत में कटौती कर रहे हैं।
- यह कानूनी रूप से अव्यवहारिक अनुरोध है कि यदि एक शर्त पूरी होती है तो शुल्क नहीं हटाया जा सकता है क्योंकि कोई एक कारक वास्तविक क्षति के जारी रहने की संभावना के निर्धारण के लिए निर्णायक मार्गदर्शन नहीं हो सकता है।
- आवेदक का यह तर्क गलत है कि किसी भी प्रतिवादी ने संभावना या क्षति के खतरे के विरुद्ध तर्क नहीं दिया है। प्रतिवादी ने दिनांक 20 जून, 2023 को मौखिक सुनवाई के दौरान और लिखित अनुरोध में भी क्षति की संभावना या खतरे के विरुद्ध तर्क दिये हैं।
- यह प्रमाण देने का दायित्व आवेदकों का है कि क्षति की संभावना सिद्ध की जाए। तथापि, आवेदक कोई सकारात्मक साक्ष्य देने में विफल रहे हैं। आवेदक केवल क्षति की संभावना बताने के लिए मात्र आरोप या सुदूर संभावनायें दर्शा रहे हैं। यह यूई से पाकिस्तान – बियागजली ओएंटेड पॉलीप्रापाइलीन फिल्म में डब्ल्यूटीओ पैनल की रिपोर्ट और मैक्सिको से यूएस - ऑयल कंट्री टुबुलर गुड्स (ओसीटीजी) में डब्ल्यूटीओ आपीलीय निकाय की रिपोर्ट का उल्लंघन है।

- vi. प्राधिकारी को एनआईपी के परिकलन के लिए पीओआई के दौरान आवेदक की औसत उत्पादन लागत का प्रयोग करना चाहिए और न कि उत्पादन लागत का। यह बात एडी नियमावली के अनुबंध-III के पैरा 3 और 4 का प्रत्यक्ष उल्लंघन है। घरेलू उद्योग की पीओआई के लिए उत्पादन लागत से संबंधित वास्तविक आंकड़ों पर केवल एनआईपी के निर्धारण में विचार करने की आवश्यकता है।
- vii. घरेलू उद्योग ने स्वयं बताया है कि कोई कीमत न्यूनीकरण या ह्रास नहीं हुआ है। उन्होंने यह नहीं दर्शाया कि शुल्क की समाप्ति पर आयातों के कारण कीमत ह्रास/न्यूनीकरण कैसे हो सकता है।
- viii. प्राधिकारी को अलग-अलग घरेलू उत्पादकों की एनआईपी के भारत औसत पर विचार करना चाहिए और समग्र रूप से घरेलू उद्योग के लिए भारत औसत एनआईपी की गणना हेतु संबद्ध वस्तु के घरेलू उत्पादन का संबंधित हिस्सा लेना चाहिए।
- ix. आवेदकों की लाभप्रदता में वर्तमान संख्या की पूरी क्षति अवधि में वृद्धि हुई है। इस प्रकार, चीन जन. गण. से आयात और लाभप्रदता के बीच कोई संबंध नहीं है। इस अवधि में बाजार हिस्सा भी स्थिर रहा है। अन्य उत्पादक अपना हिस्सा बढ़ाने में सक्षम रहे हैं। आवेदकों तथा भारतीय बाजार में उनके प्रतिस्पर्धियों के निष्पादन की विफलता के लिए आयात जिम्मेदार नहीं है। घरेलू उद्योग निर्यात करने का इरादा रखता है और वह काफी लाभप्रद ढंग से निर्यात बाजारों में व्यापार कर रहा है। भारतीय उद्योग का फोकस उसकी अपनी आवद्ध खपत और निर्यात बाजार हैं।
- x. घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा पूरी क्षति अवधि में स्थिर रहा है और संबद्ध देश या अन्य देशों से आयात इतने कम रहे हैं कि उनसे घरेलू देश के बाजार हिस्से पर प्रभाव नहीं पड़ा है।
- xi. वर्तमान मामले में पाटनरोधी शुल्क पांच वर्षों से लागू है। घरेलू उद्योग और भारतीय उत्पादकों की आर्थिक स्थिति में तब से काफी सुधार हुआ है। अब भारत में संबद्ध वस्तु के 8 घरेलू उत्पादक हैं जो वर्ष 2018 में मूल जांच के दौरान चार घरेलू उत्पादकों के मुकाबले काफी अधिक वृद्धि है।
- xii. घरेलू उद्योग के नकद लाभ में पूरी क्षति अवधि में जबरदस्त वृद्धि हुई है, परंतु ब्याज की उच्च लागत के कारण उसका पीवीटी कम हुआ है।
- xiii. चीन के आयातों का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की औसत बिक्री कीमत के बराबर है। उक्त तालिका में दी गई 0-10 प्रतिशत की कीमत कटौती की व्यापक रेंज बहुत कम या शून्य कीमत कटौती को केवल छुपाने के लिए है। इसके अलावा, चीन से इतनी अधिक पहुंच कीमत जो घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से तुलनीय है, को देखते हुए कीमत ह्रास या कीमत न्यूनीकरण बिल्कुल सोच से बाहर है। किंगडम ग्रुप के लिए आयातित वस्तु का पहुंच मूल्य उच्चतर है [उच्चतर और कुछ मामलों में घरेलू उद्योग तथा अन्य भारतीय उत्पादकों के बिक्री कीमत के समतुल्य]।
- xiv. कोई मात्रात्मक प्रभाव या कीमत प्रभाव नहीं है। आर्थिक मापदंडों में सुधार हुआ है।
- xv. हेइलॉगजियांग यान्शोउजिजिया के लिए पाटन मार्जिन, क्षति मार्जिन और शुल्क की दर का पुनः परिकलन किया जाना चाहिए। क्योंकि इन्होंने मूल जांच के दौरान निर्यात नहीं किये थे और केवल एसएसआर में किये थे। यदि प्राधिकारी शुल्क की सिफारिश करना चाहते हैं तो उन्हें अनुबंध 3 के साथ पठित नियम 23(1), नियम 23(3), नियम 4(घ) और नियम 17(1) पर विचार करना चाहिए और पाटन मार्जिन की गणना करते समय इसे शामिल करना चाहिए। ऐसी जांचों जिनमें पाटनरोधी शुल्क एसएसआर जांच में घटा या बढ़ा था कि सूची और ऐसी जांचों जहां प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी शुल्क हटाया गया था, की सूची खंडन अनुरोध में पृष्ठ 7 और 8 पर दी गई है।
- xvi. घरेलू उद्योग बांग्लादेश से उत्पाद का आयात कर रहा है जिसके वह पाटित होने का दावा करता है, से संकेत मिलता है कि घरेलू उद्योग स्वयं को क्षति पहुंचा रहा है।
- xvii. सिनटेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो दिवालिया कार्यवाही का सामना कर रहा था और जिसे इस वर्ष रिलायंस इंडस्ट्रीज लि० ने अधिग्रहीत कर लिया था, के वित्तीय कुप्रबंधन के लिए निर्यातकों और आयातकों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

- xviii. सिनटेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक दिवालिया और ऋण शोधन अक्षम कंपनी होने के नाते काफी उच्च ब्याज लागत चुकाता है। ब्याज लागतों को सामान्य बनाना पूर्व जांचों में निर्दिष्ट प्राधिकारी की प्रथा रहा है। जैसा कि सेचुरिटेड फैटी एल्कोहल मामले में माना गया था।
- xix. घरेलू उद्योग को कथित क्षति चीन जन. गण. के बजाय अन्य कारणों की वजह से हुई है।
- xx. एकाधिकारी प्रक्रिया अपनाने और प्रभुत्व शक्ति का दुरुपयोग करने के लिए ग्रासिम पर सीसीआई द्वारा जुर्माना लगाने में घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट की काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी जिससे संबद्ध वस्तु का कथित पाटन हुआ है और याचिकाकर्ता प्राधिकारी को यह बताने में विफल रहे थे।
- xxi. वे अपने ऊपर क्षति आरोपित कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने ऐसा कोई साक्ष्य नहीं दिया है कि बांग्लादेश से आयात, पाटित आयात कैसे हैं।

## झ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

56. क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं:

- i. चीन जन. गण. से मूल मामले अर्थात् 2014-2017 के दौरान अधिक मात्राओं की तुलना में 2019-20 आयातों में गिरावट आई है। पीओआई सहित 2020-21 के बाद से आयातों में एक बार फिर वृद्धि हुई है।
- ii. चीन के आयात अब भी भारत में कुल आयातों का लगभग 82 प्रतिशत हैं।
- iii. चीन में किंगडम ग्रुप (संबद्ध वस्तु का सबसे बड़ा निर्यातक) ने इथियोपिया में क्षमताएं स्थापित की हैं और इसलिए इथियोपिया से आयात चीन के छद्म आयात हैं जिनकी कीमतें चीन की कीमतों से तुलनीय हैं।
- iv. भारतीय उत्पादन और खपत की दृष्टि से चीन के आयातों में 2018 में शुल्क लगने के बाद काफी गिरावट आई है। तथापि, उसके बाद इनमें वृद्धि शुरू हो गई है और अब काफी अधिक है।
- v. आयातों से केवल इसलिए भारी क्षति नहीं हुई थी क्योंकि शुल्क मौजूद थे।
- vi. आयातों के कारण घरेलू बाजार में कीमत कटौती हो रही है। तथापि, लागू शुल्कों में आयातों को पीओआई में बाजार में कीमत ह्रास या न्यूनीकरण नहीं करने दिया है।
- vii. आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की क्षतिरहित कीमत से कम है, उच्च आयात मात्राओं के साथ पीसीएन में उच्चतर है। एडीडी के अभाव में बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों पर ह्रासकारी प्रभाव पड़ेगा।
- viii. मूल जांच से घरेलू उद्योग की क्षमता में वृद्धि के बाद भारतीय उद्योग अब भारतीय मांग को पूरा करने में पर्याप्त है। इसके बावजूद आयातों के बाजार हिस्से में वर्तमान क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।
- ix. संबद्ध देश से आयातों में पहले गिरावट आई, परंतु इसके बाद निरंतर बढ़ते रहे हैं। इसके अलावा, वर्तमान पीओआई में आयातों की मात्रा काफी अधिक बनी रही है।
- x. उद्योग के आरओआई में सुधार हुआ है। तथापि, अब भी यह प्राधिकारी द्वारा समझे गये तर्कसंगत स्तरों से कम है। डीआई को वर्तमान क्षति अवधि के पहले दो वर्षों में घाटा उठाना है, डीआई अब पाटन पूर्व अवधि अर्थात् 2014-15 के लाभ के आसपास अब वापस आ गया है। नकद लाभ में भी यही रुझान है।
- xi. मालसूची में आयातों में वृद्धि के साथ पीओआई में पुनः वृद्धि हुई है।
- xii. शुल्क लागू होने से सकारात्मक वृद्धि हुई थी। तथापि, घरेलू उद्योग अब भी नाजुक स्थिति में है और क्षति के प्रति कमजोर है।
- xiii. पाटन मार्जिन अब भी सकारात्मक और काफी अधिक है।
- xiv. यदि शुल्क समाप्त हो जाता है तो संबद्ध देश से आयातों में और अधिक वृद्धि होगी। परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को अपने उत्पाद की कीमत में कटौती करने को बाध्य होना पड़ेगा जिसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग पर पाटन का प्रतिकूल कीमत प्रभाव पड़ेगा।
- xv. यदि घरेलू उद्योग अपनी कीमतें घटाने को बाध्य होता है तो उसका स्वाभाविक प्रभाव घरेलू उद्योग की लाभप्रदता पर पड़ेगा और परिणामस्वरूप आरओआई और नकद लाभों पर पड़ेगा।

- xvi. यदि घरेलू उद्योग कीमतों के वर्तमान स्तर को बनाये रखना चुनता है तो उसे भारी कीमत कटौती पर विचार करते हुए प्रतिकूल मात्रात्मक प्रभाव को झेलना पड़ेगा।
- xvii. यदि घरेलू उद्योग बिक्री मात्राएं गंवाने को चुनता है तो उससे और अधिक क्षति होगी। क्षति मात्रा में गिरावट के परिणामस्वरूप मालसूची के स्तर में वृद्धि होगी और उत्पादन, क्षमता उपयोग और उत्पादकता में परिणामी गिरावट आएगी।

### झ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

57. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को क्षति के संबंध में सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की जांच की है। यहां नीचे प्राधिकारी द्वारा किया गया क्षति विश्लेषण हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये विभिन्न अनुरोधों का समाधान करता है।
58. सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम धारा 9(क)(5) के अनुसार लागू पाटनरोधी शुल्क को यदि पहले न हटाया जाये तो उसे लागू किये जाने की तारीख से पांच वर्षों की समाप्ति पर निष्प्रभावी हो जाता है। बशर्ते कि यदि केंद्र सरकार एक समीक्षा में यह राय व्यक्त करती है कि ऐसे शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने या उनकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है तो वह समय-समय पर शुल्क लागू होने की अवधि को आगामी पांच वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा सकती है और ऐसी आगामी अवधि समय बढ़ाने के आदेश की तारीख से आरंभ होगी।
59. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चूंकि यह पहले से लागू पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा है। इसलिए घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति के जारी रहने तथा वास्तविक क्षति के जारी रहने या उसके पुनरावृत्ति की संभावना की जांच संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के वास्तविक और संभावित आयातों के संदर्भ में की जानी चाहिए। वर्तमान मामले में प्राधिकारी नोट करते हैं कि आयातों में मूल जांच के मुकाबले गिरावट आई है। तथापि, आयातों में वर्तमान क्षति अवधि के आधार वर्ष की तुलना में पीओआई में वृद्धि हुई है।
60. इस संबंध में, प्राप्त अनुरोधों पर विचार करते हुये प्राधिकारी ने सर्वप्रथम संबद्ध देश से आयातों के कारण पाटन और क्षति के संभावना पहलुओं की जांच करने से पहले घरेलू उद्योग को वर्तमान क्षति, यदि कोई हो, की जांच की है।

### पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव और घरेलू उद्योग पर प्रभाव

#### i. मांग का आकलन

61. प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ भारत में संबद्ध वस्तु की मांग या स्पष्ट खपत को भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्रियों और सभी स्रोतों से आयातों के योग के रूप में परिभाषित किया है। विचाराधीन उत्पाद की मांग नीचे दी गई है।

क्र. सं.	विवरण	यूनिट	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
1	आबद्ध सहित घरेलू उद्योग की बिक्री	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	64	107	118
2	आबद्ध सहित समर्थकों की बिक्री	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	82	114	132
3	अन्य उत्पादकों की बिक्री	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	67	116	117
4	संबद्ध देश से आयात	एमटी	3,167	2,061	3,315	3,455
5	अन्य देशों से आयात	एमटी	186	110	557	830
6	आबद्ध सहित कुल मांग	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	68	111	123

7	आबद्ध को छोड़कर कुल मांग	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	69	108	120

62. यह देखा गया है कि पीयूसी की मांग में आधार वर्ष से 2020-21 में गिरावट आई है और उसके बाद पीओआई तक वृद्धि हुई है।

**ii. आयात की मात्रा और संबद्ध देश से आयात का हिस्सा**

63. संबद्ध आयातों की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी के लिए यह विचार करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप से अथवा भारत में उत्पादन या खपत की दृष्टि से भारी वृद्धि हुई है। संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों की मात्रा का विश्लेषण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	विवरण	यूनिट	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
1	संबद्ध देश से आयात	एमटी	3,167	2,061	3,315	3,455
2	अन्य देश से आयात	एमटी	186	110	557	830
3	कुल आयात	एमटी	3,353	2,172	3,873	4,285
4	भारतीय उत्पादन के संबंध में संबद्ध आयात	%	***	***	***	***
5	भारतीय खपत के संबंध में संबद्ध आयात	%	***	***	***	***

64. यह देख गया है कि:

क. संबद्ध देश से आयातों में मूल जांच अवधि से गिरावट आई है। वर्तमान क्षति अवधि में आयातों में 2020-21 में गिरावट आई है और उसके बाद क्षति अवधि में वृद्धि हुई है।

ख. उत्पादन और खपत की दृष्टि से आयातों में मामूली गिरावट आई है। तथापि, ये काफी अधिक रहे हैं।

65. घरेलू मांग को पूरा करने के लिए उद्योग द्वारा क्षमता बढ़ाने के बावजूद अब भी आयातों का घरेलू खपत में काफी अधिक हिस्सा है।

**iii. संबद्ध आयातों का कीमत प्रभाव और घरेलू उद्योग पर प्रभाव**

66. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी ने विचार किया है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा भारी कीमत कटौती की गई है या क्या ऐसे पाटित आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों में काफी अधिक कमी करना है या ऐसी कीमत वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा काफी अधिक बढ़ गई होती।

**iv. कीमत कटौती**

67. आयातों की पहुंच कीमत के साथ जांच अवधि के लिए घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत की तुलना द्वारा कीमत कटौती ज्ञात की गई है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित प्रत्येक पीसीएन के लिए अलग से कीमत कटौती निर्धारित की गई है और उसके बाद समग्र रूप से विचाराधीन उत्पाद के लिए निर्धारित की गई है। भारत औसत कटौती गणना निम्नानुसार है:

पीओआई	मात्रा एमटी	पहुंच मूल्य रु/कि.ग्रा.	एनएसआर रु/कि.ग्रा.	कीमत कटौती (रु/कि.ग्रा.)	कीमत कटौती (%)
संबद्ध देश	3,455	1,424	***	***	0-10



68. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पीओआई के दौरान भारत औसत कटौती सकारात्मक रही है।

v. कम कीमत पर बिक्री/क्षति मार्जिन

69. प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तु की क्षति रहित कीमत ज्ञात की है और उसे कम कीमत पर बिक्री की मात्रा का पता लगाने के लिए आयातित वस्तु की पहुंच मूल्य के साथ उसकी तुलना की है। प्रत्येक पीसीएन के लिए कम कीमत पर बिक्री/क्षति मार्जिन अलग से निर्धारित किया गया है और उसके बाद समग्र रूप से विचाराधीन उत्पाद के लिए निर्धारित किया गया है।

70. नीचे तालिका से यह नोट किया जाता है कि कम कीमत पर बिक्री/क्षति मार्जिन सकारात्मक है जो दर्शाता है कि आयातों ने क्षतिकारी कीमत पर बाजार में प्रवेश किया है। सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए क्षति मार्जिन का मूल्यांकन भी निम्नानुसार किया गया है:

देश	उत्पादक	एनआईपी	पहुंच कीमत	क्षति मार्जिन	क्षति मार्जिन	क्षति मार्जिन
	भारत औसत	यूएस डॉलर/कि.ग्रा.	यूएस डॉलर/कि.ग्रा.	यूएस डॉलर/कि.ग्रा.	%	रेंज
चीन जन. गण.	जिआंगसु जिनयुआन फ्लैक्स कंपनी, लिमिटेड/ झेजियांग जिनयुआन फ्लैक्स कंपनी लिमिटेड/ झेजियांग किंगडम लिनन कंपनी लिमिटेड/ हेइलॉगजियांग किंगडम एंटरप्राइजेज कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	0-10
	यिक्सिंग सनशाइन लिनेन टेक्सटाइल कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	ऋणात्मक
	हेइलॉगजियांग यान्शोउजिजिया फ्लैक्स टेक्सटाइल कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	ऋणात्मक
	अन्य	***	***	***	***	15-25
समग्र रूप से चीन जन. गण.		***	***	***	***	ऋणात्मक

vi. कीमतहास और न्यूनीकरण

71. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या आयातों का प्रभाव कीमतों को कम करना है या ऐसी कीमत वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा बढ़ गई होती, प्राधिकारी ने आयातों की पहुंच कीमत और क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लागतों और कीमतों में परिवर्तन की जांच की है।

क्र. सं.	विवरण	यूनिट	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
1	बिक्री की लागत	रू/क्रि.ग्रा.	***	***	***	***
2	प्रवृत्ति	सूचीवद्ध	100	90	93	105
3	बिक्री कीमत	रू/क्रि.ग्रा.	***	***	***	***
4	प्रवृत्ति	सूचीवद्ध	100	92	110	122

72. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग की बिक्री लागत में शुरूआत में गिरावट आई है, परंतु पीओआई में आधार वर्ष से भी अधिक बढ़ गई है और बिक्री कीमत में निरंतर वृद्धि हुई है। इस प्रकार आयातों से बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों पर कोई ह्रासकारी या न्यूनकारी प्रभाव नहीं पड़ रहा था। पीओआई में चीन जन. गण. के लिए भारत औसत पहुंच मूल्य 1,424 रुपये/कि.ग्रा. है जो भारत औसत बिक्री कीमत के स्तर से कम है जिसके परिणामस्वरूप सकारात्मक कटौती हुई है।

#### घरेलू उद्योग से संबंधित आर्थिक मापदंड

73. नियमावली में अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण में ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की वस्तुनिष्ठ जांच शामिल होगी। ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में नियमावली में यह भी प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर आयातों के प्रभाव की जांच में उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत आर्थिक कारकों और संकेतकों जिनमें बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सा, उत्पादकता, निवेश पर आय या क्षमता उपयोग पर वास्तविक या संभावित गिरावट; घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक, नकद प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभावों का वस्तुनिष्ठ और निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होना चाहिए। तदनुसार, प्राधिकारी ने नीचे क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन की जांच की है।

#### i. उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्री

74. उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग, घरेलू बिक्री और निर्यात के संबंध में क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की स्थिति निम्नानुसार है:

क्र.सं.	विवरण	यूनिट	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
1	क्षमता	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	100	100
2	उत्पादन – कुल	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	61	115	125
3	उत्पादन – पीयूसी	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	61	116	126
4	क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	61	115	125
5	घरेलू बिक्रियां	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	64	104	116
6	निर्यात बिक्रियां	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	42	137	168

75. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की क्षमता क्षति अवधि के दौरान समान स्तर पर रही है। 2020-21 कोविड अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में गिरावट आई थी परंतु उसके बाद सुधार हुआ था।

76. क्षमता, उत्पादन और बिक्रियों के संबंध में समर्थकों द्वारा प्रदत्त सूचना नीचे दी गई है:

विवरण	यूनिट	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
क्षमता	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	100	100	110
उत्पादन	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	84	120	119

क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	84	120	107
घरेलू बिक्रियां	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	87	102	122

77. यह देखा गया है कि समर्थकों की क्षमता में वृद्धि हुई है। समर्थकों के उत्पादन और बिक्रियों में भी वृद्धि हुई है।

### ii. मांग में बाजार हिस्सा

78. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग और घरेलू उत्पादकों का बाजार हिस्सा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	बाजार हिस्सा	यूनिट	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
1	घरेलू उद्योग की बिक्री	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	93	96	96
2	समर्थकों की बिक्री	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	121	102	108
3	अन्य उत्पादकों की बिक्री	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	98	104	95
4	संबद्ध देश	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	95	94	89
5	अन्य देश	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	87	269	363
6	कुल मांग	%	100	100	100	100

79. मूल जांच के बाद अनेक नये उत्पादकों ने भारत में मांग पर विचार करते हुए उत्पादन क्षमताएं स्थापित की थी। यह बताया गया है कि भारतीय उद्योग की क्षमता अब भारतीय मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है और परिणामस्वरूप भारतीय उद्योग के बाजार हिस्से में मूल जांच से वृद्धि हुई है और चीन के हिस्से में गिरावट आई है। तथापि, घरेलू उद्योग के पास अब लगभग पूरी भारतीय मांग की पूर्ति करने की क्षमता होने के बावजूद संबद्ध आयातों का बाजार हिस्सा काफी अधिक बना हुआ है। संबद्ध आयातों के पास अब भी घरेलू मांग का \*\*\* प्रतिशत हिस्सा है। जबकि घरेलू उद्योग की क्षमताओं का ईष्टतम स्तर पर उपयोग नहीं है।

### iii. लाभ या हानि, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय

80. लाभ या हानि, नकद लाभ और निवेश पर आय के संबंध घरेलू उद्योग की स्थिति निम्नानुसार है:

क्र. सं.	विवरण	यूनिट	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
1	बिक्रियों की लागत	रू/क्रि.ग्रा.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	90	93	105
2	बिक्री कीमत	रू/क्रि.ग्रा.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	92	110	122

3	लाभ/(हानि)	रू/क्रि.ग्रा.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीवद्ध	-100	-52	167	176
4	लाभ/(हानि)	रू लाख	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीवद्ध	-100	-33	173	205
5	पीबीआईटी	रू लाख	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीवद्ध	100	13	319	425
6	नकद लाभ	रू लाख	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीवद्ध	100	321	1,481	1,671
7	आरओसीई	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीवद्ध	100	13	325	449

81. प्राधिकारी नोट करते हैं कि:

- क. घरेलू उद्योग को क्षति अवधि के आरंभिक दो वर्षों में घाटा उठाना पड़ा है जिसके लिए उद्योग ने कोविड के साथ ही याचिकाकर्ता कंपनियों में से एक में उच्च ब्याज लागत और तदनुसार कम बिक्री मूल्य को जिम्मेदार ठहराया है।
- ख. तथापि, घरेलू उद्योग को पीओआई सहित 2021-22 के बाद से लाभ होना शुरू हुआ।
- ग. घरेलू उद्योग नकद लाभ, पीबीआईटी और नियोजित पूंजी पर आय में भी समान प्रवृत्ति रही है और क्षति अवधि में इनमें वृद्धि हुई है। आवेदकों ने दावा किया है कि पीओआई में आरओआई उच्चतम स्तर पर रहने के बावजूद तर्कसंगत स्तर से कम रही है।

#### iv. मालसूची

82. संबद्ध वस्तु की मालसूची से संबंधित आंकड़े निम्नानुसार हैं:

क्र. सं.	विवरण	यूनिट	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
1	औसत मालसूची	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीवद्ध	100	57	75	82

83. यह नोट किया गया है कि औसत मालसूची में 2020-21 में गिरावट आई और तत्पश्चात क्षति अवधि में वृद्धि हुई।

#### v. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

84. क्षति अवधि दौरान रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता के संबंध में घरेलू उद्योग की स्थिति निम्नानुसार है:

क्र. सं.	विवरण	यूनिट	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
1	मजदूरी	रू. लाख	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीवद्ध	100	91	120	127
2	रोजगार	सं.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीवद्ध	100	78	93	98
3	प्रति दिन उत्पादकता	एमटी/दिन	***	***	***	***

	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	61	116	126
4	प्रति कर्मचारी उत्पादकता	प्रति सं.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	79	125	129

85. यह देखा गया है कि मजदूरी और उत्पादकता में वृद्धि हुई है परंतु क्षति अवधि के दौरान कर्मचारियों की संख्या में गिरावट आई है।

**vi. वृद्धि**

86. घरेलू उद्योग के मात्रा और लाभ मापदंडों की प्रवृत्ति नीचे दर्शाई गई है।

क्र. सं.	विवरण	यूनिट	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
1	उत्पादन	%	-	-39%	89%	9%
2	घरेलू बिक्रियां	%	-	-36%	62%	12%
3	प्रति यूनिट लाभ (कर पूर्व लाभ)	%	-	-48%	-420%	5%

87. यह नोट किया गया है कि पूर्ववर्ती वर्ष और आधार वर्ष की तुलना में घरेलू उद्योग के उत्पादन, बिक्री और प्रति यूनिट लाभ में सकारात्मक वृद्धि रही है।

**कारणात्मक संबंध**

88. एडी नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार इस संबंध में संगत कारकों में अन्य बातों के साथ-साथ पाटित कीमतों पर नहीं बेचे गये आयातों की मात्रा और कीमत, मांग में संकुचन या खपत प्रवृत्ति में परिवर्तन, व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथायें और विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकी में विकास और घरेलू उद्योग का निर्यातक निष्पादन और उत्पादकता शामिल हैं। प्राधिकारी इस बात की जांच करते हैं कि क्या पाटित आयातों से इतर कारक घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण हो सकते हैं।

**क. तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और कीमत**

89. अन्य देशों से आयात या तो कम है या चीन से उच्चतर कीमत पर है। इसके अलावा, बांग्लादेश से आयात कीमत कम है। तथापि, घरेलू उद्योग के निष्पादन में पीओआई में कोई क्षति प्रदर्शित नहीं हुई है और इसलिए तीसरे देश से आयात के कारण क्षति नहीं हो सकती है।

**ख. मांग में संकुचन और खपत की प्रवृत्ति में बदलाव**

90. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मांग में कोई संकुचन नहीं हुआ है। इसके अलावा, खपत की प्रवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

**ग. प्रतिस्पर्धा की स्थितियां और व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं**

91. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच से प्रतिस्पर्धा की स्थितियों या किसी व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाओं में किसी परिवर्तन का पता नहीं चला है।

**घ. प्रौद्योगिकी में विकास**

92. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने प्रौद्योगिकी में किसी बदलाव को दर्शाने वाला कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है।

**ड. घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन**

93. यह नोट किया गया है कि आवेदकों के घरेलू निष्पादन के आधार पर क्षति विश्लेषण किया गया है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग द्वारा किये गये निर्यात उत्पादन की दृष्टि से अधिक नहीं रहे हैं।

**च. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और बेचे जा रहे अन्य उत्पादों का निष्पादन**

94. प्राधिकारी ने केवल संबद्ध वस्तुओं के प्रदर्शन से संबंधित आंकड़ों पर विचार किया है। इसलिए, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और बेचे गए अन्य उत्पादों का प्रदर्शन घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति का संभावित कारण नहीं है।

**ब. पाटन और क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति होने की संभावना**

**ब.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध**

95. पाटन और क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति होने की संभावना के बारे में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गये थे:

- i. किंगडम ग्रुप के उत्पाद का प्रीमियम मूल्य है। उनका अपनी कीमतें कम करने का कोई इरादा नहीं है। वे भारत को उच्च कीमत पर निर्यात करते हैं और अपनी कीमतों में कमी करने के इच्छुक नहीं हैं क्योंकि कच्ची सामग्री की कीमत पहले ही काफी अधिक है। भारत को किंगडम की कीमत कच्ची सामग्री की कीमत से काफी अधिक है।
- ii. डीआई के डब्ल्यूएस के पैरा 4-10 में यह बताया गया है कि उनकी स्थिति में कैसे सुधार हुआ है। यह बात और आवेदक का यह कथन "उपायों का प्रभाव न केवल भारतीय उद्योग के निष्पादन मापदंडों में प्रदर्शित होता है बल्कि अन्य मापदंडों में भी दिखाई देता है", यह दर्शाता है कि एडीडी ने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया है।
- iii. कोई संभावना नहीं है क्योंकि कोई पाटन कोई अतिरिक्त या अधिशेष क्षमता नहीं है (जिसे प्रस्तुत ईक्यूआर से भी सत्यापित किया जा सकता है)। स्थानीय बाजार में पीयूसी की मांग में तैयार वस्तुओं के लिए वृद्धि के कारण वृद्धि हुई है। स्थानीय बाजार और निर्यात बाजार में मांग पर विचार करते हुए कोई अतिरिक्त और अधिशेष क्षमताएं नहीं हैं। इसके अलावा, कोई कीमत हास / न्यूनीकरण नहीं है और आवेदक ने मालसूची के संबंध में कोई सूचना नहीं दी है। आवेदकों ने अपनी जरूरतों के अनुरूप चीन में उनकी क्षमताओं को बढ़ा-चढ़ा कर बताया है।
- iv. आवेदकों ने इस संबंध में कोई स्पष्टता नहीं दर्शायी है कि तीसरे देशों को कौनसे निर्यात संभावना के अनुरोध में प्रदत्त तालिका में विश्लेषण हेतु लिये गये हैं।
- v. यह दावा किया गया है कि संबद्ध वस्तु को उस कीमत से कम कीमत पर आयात किया जा रहा है जिस पर घरेलू बाजार में उसे बेचा जा रहा है और शुल्क समाप्त होने पर चीन के निर्यातक तीसरे देशों को अपने निर्यातों को भारतीय बाजार में भेज देंगे। इसका खंडन किया जाता है क्योंकि भारत चीन के निर्यातकों के लिए एक गौण बाजार है। चीन के उत्पादक भारत को अपाटित कीमतों पर निर्यात करते हैं और वे अपनी वस्तु की कीमत कम करने की इच्छा नहीं रखते हैं। किंगडम ग्रुप द्वारा निर्यातित वस्तु का मूल्य प्रीमियम है।
- vi. आवेदकों ने पैराग्राफ 56 में दावा किया है कि किंगडम ग्रुप ने कोविड 19 के बावजूद 20,756, एमटी पीयूसी का उत्पादन किया है। तथापि, यह बात आवेदकों पर भी लागू होती है क्योंकि कोविड-19 के प्रकोप के बावजूद उनके आर्थिक मापदंडों पर भी सुधार हुआ था।
- vii. प्राधिकारी को चीन के निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत उत्तरों और अनुरोधों के आधार पर संभावना निर्धारित करनी चाहिए। आंकड़े यह दर्शाएंगे कि चीन के निर्यातकों की कीमतें अधिक हैं और निर्यात मात्रा में गिरावट आई है क्योंकि सहयोगी निर्यातकों के लिए भारत एक गौण बाजार है।
- viii. एडीडी की समाप्ति पर क्षति की पुनरावृत्ति की संभावना के बारे में याचिकाकर्ता द्वारा बताये गये कारण पीओआई के दौरान संबद्ध वस्तु की कीमत प्राप्ति और कीमत प्रवृत्तियों द्वारा समर्थित नहीं हैं।
- ix. भारत में मजबूत घरेलू उद्योग और उनके बीच काफी अधिक परस्पर प्रतिस्पर्धा के कारण भारतीय बाजार किंगडम ग्रुप के लिए एक सूक्ष्म बाजार बन गया है।
- x. घरेलू उद्योग ने यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया है कि किंगडम ग्रुप के पास काफी अधिक ऐसी अप्रयुक्त क्षमताएं हैं जिन्हें एडीडी को हटाये जाने पर भारत की ओर भेज दिया जाएगा।
- xi. इथियोपिया में चीन के स्वामित्व वाली कंपनियों द्वारा भविष्य में भारत में पाटन शुरू करने की संभावना गलत है क्योंकि इथियोपिया से आयात कम हैं।

- xii. क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति की कोई संभावना नहीं है क्योंकि कोई पाटन नहीं हुआ था। मांग में वृद्धि के साथ आयातों और याचिकाकर्ताओं के विक्रियों में भी वृद्धि हुई है। याचिकाकर्ताओं के आर्थिक मापदंडों में भी भारी वृद्धि हुई है। जैसा कि याचिकाकर्ताओं के लिखित अनुरोध के पैरा 4 से 10 में दर्शाया गया है।
- xiii. संबद्ध देश में उत्पादकों के पास मुक्त रूप से निपटान योग्य क्षमताओं संबंधी याचिकाकर्ताओं का दावा निराधार और साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है। क्षमता उपयोग 70 प्रतिशत के स्तर पर है जिसमें से केवल पांच प्रतिशत का भारत को निर्यात किया जाता है।
- xiv. याचिकाकर्ता को यह सिद्ध करना चाहिए कि भारत को अधिशेष क्षमताओं को भेजे जाने की संभावना है। इंडियन स्पिनर्स एसोसिएशन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी, 2004 (170) ईएलटी 144 में यह निर्णय हुआ था कि केवल अधिशेष उत्पादन क्षमता की मौजूदगी को घरेलू उद्योग को क्षति के भावी और आसन्न स्पष्ट खतरे के रूप में नहीं माना जा सकता है।
- xv. याचिकाकर्ताओं का यह दावा कि सामग्री की ऐसी काफी मात्रा है जिसे सामान्य मूल्य से कम कीमत पर बेचा गया है, निराधार है क्योंकि यदि उत्पादों को तीसरे देशों में पाटित किया गया था तो ऐसे देशों द्वारा उनके विरुद्ध जांच शुरू कर दी जानी चाहिए थी। तथापि, ऐसी कोई जांच शुरू नहीं हुई है।

## ब.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

96. पाटन और क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति होने की संभावना के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
- चीन से निरंतर पाटन और क्षतिकारी निर्यात हुए हैं। शुल्क लगाये जाने के बाद 2019-20 में आयातों में गिरावट आई है। तथापि, शुल्क लागू होने के बावजूद पीओआई में आयात आधार वर्ष के आयातों के 245 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गये हैं।
  - चीन के पास काफी अधिक मुक्त रूप से निपटान योग्य क्षमता है। चीन के उत्पादकों के पास ज्ञात क्षमता लगभग 1 लाख एमटी है। चीन के उत्पादकों के पास भारतीय मांग से काफी अधिक क्षमता मौजूद है।
  - चीन काफी अधिक निर्यातोन्मुख है। वह पीयूसी का सबसे बड़ा वैश्विक उत्पादक है और सबसे बड़ा निर्यातक भी है।
  - संबद्ध देश के पास विशाल क्षमता के साथ उनका निर्यातोन्मुख होना भारतीय उद्योग के लिए काफी बड़ा खतरा है। वैश्विक रूप से संबद्ध वस्तु के लगभग 28000 एमटी के निर्यात हैं।
  - संबद्ध देश में निर्यातकों के पास क्षमता काफी अधिक अल्प प्रयुक्त है क्योंकि उसे घरेलू मांग से काफी अधिक बनाया गया है। इस प्रकार, संबद्ध देश में उत्पादक अपनी क्षमता के उपयोग के लिए हमेशा अनुकूल बाजारों की तलाश में रहते हैं।
  - यूरोपीय कंफेडरेशन फ्लैक्स एंड हेंप ने अपने प्रकाशन में यह बताया है कि चीन के उत्पादकों के पास लगभग 1,00,000 स्पिन्डल्स अप्रयुक्त पड़े हैं जो लगभग 20,000 एमटी उत्पादन करते हैं जो समूची भारतीय मांग के बराबर है। इन्हें आसानी से भारत को भेजा जा सकता है।
  - चीन में उत्पादक काफी निर्यातोन्मुखी हैं। 2020 में चीन ने 163 एम डॉलर के फ्लैक्स यार्न का निर्यात किया था, यह विश्व में सबसे बड़ा निर्यातक है।
  - पीओआई में चीन के उत्पादकों द्वारा तीसरे देशों को पाटित निर्यात भारतीय मांग के संबंध में लगभग 40 प्रतिशत बनते हैं।
  - पीओआई में तीसरे देशों को निर्यात भारत में कीमत से कम कीमत पर हुये थे। तीसरे देशों को निर्यातों का लगभग 118 प्रतिशत भारतीय मांग के संबंध में कीमत आकर्षक मात्रा है।
  - पीओआई में तीसरे देशों को चीन के निर्यातों की कीमतों के साथ एनआइपी की तुलना की गई है। तदनुसार, आयातों का 14 प्रतिशत भारतीय मांग की दृष्टि से मात्रा के रूप में क्षतिकारी है।

- xi. भारतीय बाजार काफी कीमत संवेदनशील है। कम कीमत के आयातों के कारण घरेलू उद्योग पर प्रतिकूल कीमत प्रभाव पड़ेगा।
- xii. कोविड-19 के बावजूद चीन जन. गण. से आयातों की काफी भारी मात्रा आई है।
- xiii. भारतीय बाजार अब भी बिल्कुल आरंभिक अवस्था में है और इसलिए वह उत्पाद की कीमत संवेदनशीलता की दृष्टि से काफी कमजोर है।
- xiv. घरेलू उद्योग के निष्पादन में पाटनरोधी शुल्क लगने के बाद सुधार हुआ है। तथापि, घरेलू उद्योग की स्थिति अब भी कमजोर है जैसा कि बताये गये पीओआई के बाद के निष्पादन से स्पष्ट है जो दर्शाता है कि उद्योग ने घाटा उठाना शुरू कर दिया है।
- xv. चीन ने आधार वर्ष को छोड़कर पूरी क्षति अवधि में लगभग 20 प्रतिशत का हिस्सा बनाये रखा है जिसे किसी भी तरह कम नहीं कहा जा सकता है। ऐसा तब हुआ है जब भारत में कोई मांग – आपूर्ति अंतर नहीं है और भारतीय उद्योग संपूर्ण भारतीय मांग को पूरा करने में सक्षम है।
- xvi. संभावना का प्रश्न देश व्यापी निर्धारण का है और न कि कंपनी विशिष्ट निर्धारण का।
- xvii. इथियोपिया में चीन के स्वामित्व वाली कंपनी द्वारा भविष्य में भारत में पीयूसी का पाटन शुरू करने की संभावना है।
- xviii. चूंकि यह एक निर्णायक समीक्षा का मामला है इसलिए कारणात्मक संबंध की पुनः जांच करना और सिद्ध करना आवश्यक नहीं है। कारणात्मक संबंध पहले ही मूल जांच में सिद्ध किया गया था। वर्तमान मामले में कारणात्मक संबंध के पुनः जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल संभावना की जांच करना आवश्यक है।
- xix. किंगडम ग्रुप ने स्वयं दावा किया है कि भारत अनेकों बार उसके सबसे बड़े बाजारों में से एक रहा है तथा भारत को आयातों की मात्रा में शुल्क लागू होने के कारण गिरावट आई थी और न कि किसी अन्य कारण की वजह से।
- xx. इंडियन बेड एंड बाथ लिनेन बाजार के आकार के 2023 में 487,566 मिलियन रुपये से बढ़कर 2028 तक 716,372 मिलियन रुपये होने का अनुमान है और पूर्वानुमान अवधि (2023-2028) के दौरान 8.00 प्रतिशत की सीएजीआर पर बढ़ेगा। कम एलईए गणनायें उन पीसीएन के लिए हैं जिनमें वर्तमान क्षति अवधि के दौरान संबद्ध देश से आयात की कम मात्रा रही है। इसका अर्थ होगा कि कमतर एलईए गणना के पीसीएन जिनके इस समय संबद्ध देश से कम और न्यूनतम आयात हैं, उनका बाजार बढ़ना शुरू करेगा। इससे भावी वर्षों में संबद्ध देश से पाटित आयातों में वृद्धि की संभावना भी बढ़ जाती है।

### ब.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

97. वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है और इस जांच का उद्देश्य इस बात की जांच करना है कि यदि वर्तमान में कोई क्षति न होने पर भी पाटनरोधी शुल्क को हटाया जाता है तो क्या पाटन और परिणामी क्षति जारी रहेगी या उसकी पुनरावृत्ति होगी। इसमें यह विचार करना भी अपेक्षित है कि क्या लागू शुल्क क्षतिकारी पाटन को समाप्त करने का अपना लक्षित उद्देश्य पूरा कर रहा है।
98. यह भी नोट किया जाता है कि यद्यपि घरेलू उद्योग ने बताया है कि कोई क्षति जारी नहीं है, तथापि, यह मौजूदा पाटनरोधी शुल्क की वजह से हुआ है जो क्षति का निवारण कर रहा है। घरेलू उद्योग ने यह भी दावा किया है कि यदि पाटनरोधी शुल्क को हटाया जाता है तो क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना है। घरेलू उद्योग निष्पादन में सुधार करने में सक्षम रहा है।
99. प्राधिकारी के संज्ञान में लाये गये सभी कारकों की यह निर्धारित करने के लिए जांच की गई है कि क्या शुल्क के समाप्त होने पर पाटन और क्षति के जारी रहने या उनकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है। प्राधिकारी ने जांच की प्रक्रिया के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उपलब्ध करायी गई विभिन्न सूचना पर विचार किया है ताकि पाटन या क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति होने की संभावना का मूल्यांकन किया जा सके। प्राधिकारी ने प्रतिवादी उत्पादक/निर्यातक द्वारा सूचित व्यापार के स्तर पर बीजक मूल्य पर विचार किया है।



100. ऐसा कोई संभावना विश्लेषण करने के लिए कोई विशिष्ट पद्धति उपलब्ध नहीं है। तथापि, नियमावली के अनुबंध-II के खंड (vii) में अन्य बातों के साथ-साथ ऐसे कारक बताये गये हैं जिन पर विचार किया जाना चाहिए अपेक्षित है। अर्थात:-

- i. भारत में पाटित आयातों में वृद्धि की काफी अधिक दर जो काफी बढ़े हुये आयातों की संभावना दर्शाती है।
- ii. निर्यातकों की पर्याप्त मुख्य रूप से निपटान योग्य, या आसन्न या काफी बड़ी हुई क्षमता जो किसी अतिरिक्त निर्यात को खपाने के लिए अन्य निर्यात बाजारों की उपलब्धता पर विचार करते हुए भारतीय बाजार को काफी अधिक बढ़े हुए पाटित निर्यातों की संभावना दर्शाती हो।
- iii. क्या आयात ऐसी कीमतों पर प्रवेश कर रहे हैं जिनसे घरेलू कीमतों पर काफी अधिक ह्रासकारी या न्यूनकारी प्रभाव पड़ेगा और उनसे आगे और निर्यातों की मांग में वृद्धि की संभावना है: और
- iv. वस्तु की मालसूची की जांच की जा रही है।

101. इसके अलावा, प्राधिकारी ने पाटन तथा घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति होने की संभावना पर प्रभाव डालने वाले अन्य संगत कारकों की भी जांच की है। संभावना के मापदंडों की जांच निम्नानुसार है:

**क. संबद्ध देश से निरंतर आयात**

102. चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तुओं के आयात में मूल जांच से गिरावट आई और उसके बाद वृद्धि हुई। घरेलू उद्योग के पास लगभग संपूर्ण घरेलू मांग को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता होने के बावजूद आयात पूर्ण और सापेक्ष रूप से महत्वपूर्ण बना हुआ है। घरेलू मांग का 17% अभी भी संबद्ध देश के पास है जब भारतीय उद्योग की क्षमताओं का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया गया है।

**ख. संबद्ध देश में अधिशेष क्षमताएँ**

103. प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों ने अपने एसएसआर प्रश्नावली उत्तर भाग-II में संबद्ध देश में मौजूद क्षमता नहीं बतायी है। घरेलू उद्योग ने साक्ष्य के साथ विभिन्न उत्पादकों की क्षमता संबंधी सूचना उपलब्ध करायी है। हितबद्ध पक्षकारों ने यह टिप्पणी की है कि आवेदकों द्वारा सूचीबद्ध एक उत्पादक फ्लैक्स यार्न का उत्पादन नहीं करता है जिसे उचित पाया गया है और उस पर विचार नहीं किया गया है। जांच की प्रक्रिया के दौरान उपलब्ध करायी गई उत्पादकों की क्षमता संबंधी सूचना निम्नानुसार है:

उत्पादक/निर्यातक	क्षमता (टन में)
किंगडम ग्रुप	***
हेइलोगजियांग यान्शोउजिजिया फ्लैक्स टेक्सटाइल कंपनी लिमिटेड	***
यिक्सिंग सनशाइन	***
जिनजियांग जिंगलिलै यार्नस कंपनी लिमिटेड	10,000
यिक्सिंग योंग्ये लिनेन टेक्सटाइल कंपनी लिमिटेड	14,600
ग्रेट ईस्टर्न टेक्सटाइल (टोंगलिंग) कंपनी लिमिटेड	2,000
चांगझोऊ मेयुआन फ्लैक्स टेक्सटाइल कंपनी लिमिटेड	1,500
हेनन पिंगमियान टेक्सटाइल ग्रुप कंपनी, लिमिटेड	7,200
ज्ञात उत्पादकों की कुल क्षमता	69,834 एमटी
रेंज	60,000 -80,000 एमटी

\*प्रतिवादी निर्यातकों द्वारा प्रदत्त सूचना पर प्रदत्त उत्तर के आधार पर विचार किया गया है।

104. निर्यातकों द्वारा यथा प्रदत्त क्षमता और उत्पादन संबंधी सूचना निम्नानुसार दर्शायी गई है:

क्र. सं.	विवरण	पीओआई
<b>1</b>	<b>क्षमता (एमटी)</b>	
क	यान्शोउजिजिया	***
ख	यिक्सिंग सनशाइन	***
ग	झेजियांग किंगडम	***
घ	हेइलोगजियांग किंगडम	***
ड.	जिआंगसु जिनयुआन	***
च	झेजियांग जिनयुआन	***
	<b>कुल</b>	<b>34,534</b>
<b>2</b>	<b>उत्पादन (पीयूसी + एनपीयूसी) (एमटी)</b>	
क	यान्शोउजिजिया	***
ख	यिक्सिंग सनशाइन	***
ग	झेजियांग किंगडम	***
घ	हेइलोगजियांग किंगडम	***
ड.	जिआंगसु जिनयुआन	***
च	झेजियांग जिनयुआन	***
	<b>कुल</b>	<b>30,722</b>
<b>3</b>	<b>क्षमता उपयोग (%)</b>	
क	यान्शोउजिजिया	***
ख	यिक्सिंग सनशाइन	***
ग	झेजियांग किंगडम	***
घ	हेइलोगजियांग किंगडम	***
ड.	जिआंगसु जिनयुआन	***
च	झेजियांग जिनयुआन	***
	<b>कुल</b>	<b>89%</b>

105. यह देखा गया है कि किंगडम ग्रुप के पास अतिरिक्त क्षमता \*\*\*एमटी है, यान्शोउजिजिया के लिए यह \*\*\*एमटी और यिक्सिंग सनशाइन के पास \*\*\*एमटी क्षमता है। प्रतिवादी निर्यातकों के पास संचयी अतिरिक्त क्षमता 3812 एमटी है।

106. प्राधिकारी नोट करते हैं कि रिकार्ड में उपलब्ध सूचना यह दर्शाती है कि चीन संबद्ध वस्तु का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। प्राधिकारी सीईएलसी अर्थात् दि यूरोपियन कंफेडरेशन ऑफ फ्लैक्स एंड हेंप द्वारा

यथा सूचित चीन में अतिरिक्त क्षमता संबंधी घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त साक्ष्य को नोट करते हैं। 2022 में रिपोर्ट की गई अतिरिक्त क्षमता 1,00,000 स्पिन्डल्स है जो लगभग 20,000 एमटी बनती है।

### ग. तीसरे देश को पाटन

107. घरेलू उद्योग ने संबद्ध देश से निर्यात के संबंध में यह दर्शाने के लिए सूचना प्रस्तुत की है कि संबद्ध देश में उत्पादक पाटित कीमतों पर तीसरे देशों को संबद्ध वस्तु का भारी मात्रा में निर्यात कर रहे हैं। तथापि आंकड़े पीसीएन स्तर पर नहीं है और उनमें एनपीयूसी भी शामिल हो सकता है। अतः प्राधिकारी ने प्रतिवादी निर्यातकों द्वारा प्रदत्त सूचना की जांच की है। प्रतिवादियों द्वारा किये गये निर्यातों की तुलना आवश्यक समायोजनों के बाद प्रतिवादी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा सूचित निर्यात कीमत के साथ चीन के लिए निर्धारित सामान्य मूल्य के साथ की गई है। निम्नांकित तालिका वास्तविक सूचना दर्शाती है।

विवरण	पीओआई
तीसरे देश को पाटित निर्यात (एमटी)	6,653
तीसरे देश को कुल निर्यात (एमटी)	14,956
पाटित निर्यातों का %	44%
भारतीय मांग के संबंध में पाटित निर्यात % में	30-40
भारतीय मांग (एमटी)	***

108. प्रतिवादी निर्यातक द्वारा सूचित कुल निर्यात 14,956 एमटी है। इसमें से 44 प्रतिशत निर्यात पाटित कीमत पर किये गये हैं। यह मात्रा भारतीय मांग का 32 प्रतिशत बनती है। मौजूदा पाटनरोधी शुल्क के समाप्त होने पर तीसरे देशों को ये पाटित निर्यात भारत को भेजे जाने की संभावना है।

### घ. निर्यातों की क्षतिकारी मात्रा

109. घरेलू उद्योग ने संबद्ध देश से निर्यातों के संबंध में यह दर्शाने के लिए सूचना प्रदान की है कि संबद्ध देश में उत्पादक भारत को क्षतिकारी कीमत पर अन्य देशों को संबद्ध वस्तुओं का महत्वपूर्ण मात्रा में निर्यात कर रहे हैं। तथापि, यह डेटा पीसीएन स्तर पर नहीं है और इसमें एनपीयूसी को भी शामिल किए जाने की संभावना है। इस प्रकार प्राधिकारी ने प्रतिवादी निर्यातकों द्वारा प्रदान की गई सूचना की जांच की है। प्रतिवादियों द्वारा किए गए निर्यातों की कीमत की जांच की अवधि और क्षति अवधि के दौरान निर्धारित एनआईपी के साथ तुलना की गई है। नीचे दी गई तालिका में वास्तविक सूचना दर्शाई गई है।

विवरण	पीओआई
क्षतिकारी कीमत पर निर्यात (मी.टन)	6,138
अन्य देश को कुल निर्यात (मी.टन)	14,956
क्षतिकारी कीमत पर निर्यातों का %	41%
भारतीय मांग के संबंध में क्षतिकारी मात्रा %	25-35
भारतीय मांग (मी. टन)	***

110. प्रतिवादी निर्यातक द्वारा सूचित कुल निर्यात 14,956 एमटी है। इसमें से 41 प्रतिशत निर्यात क्षतिकारी कीमत पर किये गये हैं। जो भारतीय मांग के संबंध में लगभग 30 प्रतिशत बनता है। मौजूदा पाटनरोधी शुल्क के समाप्त होने पर तीसरे देशों को ये निर्यात भारत को भेजे जाने की संभावना है जिससे घरेलू उद्योग को अपना बाजार हिस्सा बनाये रखने के लिए क्षतिकारी कीमत पर पीयूसी बेचना पड़ेगा और अंततः घाटा उठाना पड़ेगा।

**ड. भारतीय बाजार की कीमत आकर्षता**

111. घरेलू उद्योग ने यह दर्शाने के लिए संबद्ध देश से निर्यातों के संबंध में सूचना प्रदान की है कि संबद्ध देश में उत्पादन अन्य देशों को संबद्ध वस्तुओं का महत्वपूर्ण मात्रा में निर्यात उस कीमत के स्तर से नीचे के स्तर पर कर रहे हैं, जिस पर संबद्ध वस्तुएं भारत को निर्यात की जा रही हैं। तथापि, यह डेटा पीसीएन स्तर पर नहीं है और इससे एनपीयूसी को भी शामिल किए जाने की संभावना है। इस प्रकार प्राधिकारी ने प्रतिवादी निर्यातकों द्वारा प्रदान की गई सूचना की जांच की है। प्रतिवादियों द्वारा किए गए निर्यातों की विधिवत समायोजनों के बाद प्रतिवादी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा सूचित निर्यात कीमत के साथ चीन से भारत में की गई संबद्ध वस्तुओं के लिए निर्धारित पहुंच मूल्य के साथ तुलना की गई है। नीचे दी गई तालिक में वास्तविक सूचना दर्शाई गई है:

विवरण	जांच की अवधि
भारत को निर्यात की कीमत से नीचे दिए गए निर्यात (मी. टन)	9,598
अन्य देश को कुल निर्यात (मी.टन)	14,956
भारत को निर्यात की कीमत से नीचे किए गए निर्यात का %	64%
भारतीय मांग के संबंध में कीमत आकर्षक मात्रा %	40-50
भारतीय मांग (मी. टन)	***

112. प्रतिवादी निर्यातकों द्वारा सूचित कुल निर्यात 14,956 मी. टन है। इन निर्यातों में 64% निर्यात ऐसी कीमत से नीचे किए गए हैं, जिस पर भारत को वस्तुएं निर्यात की जा रही हैं। इस मात्रा में कुल भारतीय मांग के संबंध में 40-50% शामिल है।

113. घरेलू उद्योग द्वारा किये गये अनुरोध के अनुसार यह नोट किया गया है कि प्रतिवादी निर्यातकों द्वारा सूचित क्षमता ज्ञात उत्पादकों के पास क्षमता का लगभग आधा है। पाटित, क्षतिकारी और कीमत आकर्षक मात्रा जिसे भारतीय बाजार में भेजे जाने की संभावना है। वह चीन से काफी अधिक होगी।

**पाटन और क्षति की संभावना पर निष्कर्ष**

114. मौजूदा पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति की स्थिति में निम्नलिखित के कारण घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने और उसकी प्रनरावृत्ति होने की संभावना है:

- पाटनरोधी शुल्क लागू रहने के परिणामस्वरूप, संबद्ध देश से आयात की मात्रा में 2021 में गिरावट आई है, और उसके बाद वृद्धि हुई और पूर्ण और सापेक्ष रूप में महत्वपूर्ण बनी हुई है।
- प्राधिकारी ने पाटनरोधी शुल्कों की समाप्ति की स्थिति में पाटन और क्षति की संभावना का आकलन करने के लिए, फालतू क्षमता, पाटित निर्यातों, क्षतिकारी निर्यातों, निर्यात उन्मुखीकरण और कीमत की आकर्षकता पर विचार किया है। प्राधिकारी नियमों के अनुसार, पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने की स्थिति में पाटन और क्षति की संभावना का मूल्यांकन करते समय इन कारकों को लगातार देखता रहा है। इस वर्तमान मामले में, चूंकि चीन जन.गण. में सहयोगी निर्यातकों की भारत औरसत क्षमता का उपयोग 89% है, अतः भारत के लिए सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा निर्यातों का अन्य देश को विपथन करना अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। उपरोक्त के बावजूद, प्रतिवादी उत्पादकों/निर्यातकों की क्षमताएं चीन में ज्ञात क्षमता की आधी हैं और यहां तक कि मौजूदा फालतू क्षमता भारत में मांग की तुलना में काफी महत्वपूर्ण हैं। 20,000 मी. टन की अधिक क्षमता के बारे में सूचित साक्ष्य भारत में समग्र व्यापार बाजार की पूर्ति के लिए पर्याप्त है।
- चीन जन.गण. के संबद्ध वस्तुओं के आयातों की संभावना का विश्लेषण यह दर्शाता है कि चीन जन.गण. से अन्य देशों को सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा संबद्ध वस्तुओं के करीब 44% निर्यात पाटित कीमत पर हैं। कुल भारतीय मांग की तुलना में अन्य देशों के संबद्ध वस्तुओं के 30-40% निर्यात पाटित कीमतों पर है।

- iv. चीन जन.गण. के संबंध में, चीन जन.गण. से अन्य देशों को सहयोगी निर्यातकों/उत्पादकों द्वारा संबद्ध वस्तुओं के करीब 41% निर्यात क्षतिकारी मात्रा में है। संबद्ध वस्तुओं के 25-35% अन्य देश के निर्यात भारतीय मांग के संबंध में क्षतिकारी मात्रा में हैं।
- v. इसके अलावा, चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तुओं के आयातों का विश्लेषण यह दर्शाता है कि चीन जन.गण. से सहयोगी उत्पादकों/ निर्यातकों द्वारा संबद्ध वस्तुओं के निर्यातों का करीब 64% ऐसे कीमत से नीचे के स्तर पर है। जिस पर संबद्ध वस्तुएं भारत को निर्यात की गई हैं। इस मात्रा में कुल भारतीय मांग के संबंध में 40-50% शामिल हैं।
- vi. इसके अलावा, कुल भारतीय मांग की तुलना में चीन की निष्क्रिय क्षमता एक महत्वपूर्ण मात्रा है।
- vii. सहयोगी उत्पादक/निर्यातक अपने उत्पादन के एक महत्वपूर्ण भाग का उपरोक्त निर्यात के उद्देश्यों के लिए कर रहे हैं, जो संबंधित देश के उत्पादकों/निर्यातकों के निर्यात उन्मुखी होने को दर्शाता है।

## ट. प्रकटीकरण के उपरांत टिप्पणियां

### ट.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

115. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रकटीकरण उपरांत के अनुरोध निम्नलिखित हैं:

- i. "हेइलॉगजियांग किंगडम इंटरप्राइज कं. लि." और "हेइलॉगजियांग किंगडम लिनेन कं. लि." एक ही कंपनी से संबंधित है, उसका अंग्रेजी नाम "हेइलॉगजियांग किंगडम लिनेन कं. लि." है, लेकिन निर्यात गतिविधियों के लिए कंपनी हेइलॉगजियांग किंगडम इंटरप्राइज कं. लि. नाम का उपयोग करती है। लिनेन कं. लि. नाम व्यापार लाइसेंस पर दिखाई देता है और इसे ईक्यूआर में प्रस्तुत किया गया था।
- ii. चीन में प्रत्येक कंपनी के पास यूनीक यूनिफार्म सोशल क्रेडिट कोड है। चूंकि दोनों एक ही कानूनी संख्या के नाम हैं, अतः देश का यूनिफार्म सोशल क्रेडिट कोड समान है।
- iii. "हेइलॉगजियांग किंगडम इंटरप्राइज कं. लि." नाम का प्रयोग कंपनी द्वारा निर्यात गतिविधियों के लिए किया जाता है। चीन में निर्यातकों को चीनी और अंग्रेजी नाम के साथ चीनी अधिकारियों से विदेशी व्यापार ऑपरेटरों के लिए पंजीकरण प्राप्त करना होगा। कंपनी द्वारा एक घोषणा यह प्रमाणित करते हुए प्रस्तुत की गई थी कि दोनों वास्तव में एक ही संस्था हैं।
- iv. हेइलॉगजियांग किंगडम इंटरप्राइज कं. लि. नाम को शुल्क तालिका में शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि यह भारत के निर्यात दस्तावेज में दिखाई देता है।
- v. यह स्पष्ट किया जाता है कि झेजियांग किंगडम के मामले में डीजी सिस्टम डेटा व्यापारियों/ निर्यातकों के नाम दर्ज करेगा, जैसे झेजियांग जिनयुआन फ्लेक्स कं. लि. और जियांगसू जिनयुआन फ्लेक्स कं. लि.। यहां तक कि मूल जांच में झेजियांग किंगडम ने केवल संबंधित पक्षकार के माध्यम से निर्यात किया था।
- vi. केवल इसीलिए कि एक चीनी कंपनी ने इथियोपिया में निवेश किया है और इथियोपियाई कंपनी ने भारत को विचाराधीन वस्तुओं का निर्यात किया है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि इथियोपियाई संख्या की निर्यात कीमतें स्वतः खराब हो गई हैं।
- vii. भारत या डब्ल्यूटीओ के किसी अन्य सदस्य देश द्वारा इथियोपिया से विचाराधीन वस्तुओं के निर्यात के खिलाफ कोई पाटनरोधी शुल्क या यहां तक कि कोई पाटनरोधी जांच भी नहीं इसलिए प्राधिकारी को अपने तर्क में यह स्थापित करने की जरूरत है कि इथियोपिया में किसी अन्य देश द्वारा केवल निवेश से इथियोपिया से भारत को निर्यात की कीमतें कैसे खराब हो सकती हैं।
- viii. सब्सिडी की मौजूदगी के केवल आरोप से स्वचालित रूप से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि ऐसे देश से निर्यात मूल्य खराब है।
- ix. यहां तक कि यदि आवेदक उन सभी पीसीएन का उत्पादन नहीं करता है, जो जांच के अधीन हो सकते हैं, तो प्राधिकारी पीसीएन के समान उपलब्ध निर्यात मूल्य के आधार पर ऐसे पीसीएन के लिए सामान्य मूल्य का विस्तार कर सकता है। बंगलादेश से निर्यात के लिए वर्तमान जांच में भी प्राधिकारी द्वारा ऐसा किया जा सकता है।

- x. धारा 9क (6क) के अनुसार, प्राधिकारी सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य से संबंधित निर्यातक या उत्पादक के रिकार्ड के आधार पर पाटन के मार्जिन को निर्धारित करने के लिए कानूनी तौर पर बाध्य है। चूंकि किंगडम ग्रुप बाजार में अर्थव्यवस्था उपचार का दावा नहीं कर रहा है, अतः किंगडम ग्रुप का निर्यात मूल्य किंगडम ग्रुप के चार निर्यातक प्रश्नावली उत्तरों के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए, जो इसके रिकार्ड के आधार पर दाखिल किए गए थे।
- xi. कानून केवल उस मामले में “उपलब्ध तथ्यों” मानक के लागू होने को अनिवार्य करता है, जहां निर्यातक या उत्पादक निर्यात मूल्य की गणना के लिए रिकार्ड या जानकारी प्रदान करने में विफल रहता है।
- xii. विशेष आर्थिक क्षेत्रों में जिन निर्यात लेन देन को मंजूरी दी गई थी, उन्हें किंगडम ग्रुप के लिए कारखाना बाह्य निर्यात मूल्य, भूमि मूल्य, पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन निर्धारित करने पर विचार करना चाहिए।
- xiii. संबद्ध वस्तुओं का आयात और घरेलू रूप से उत्पादित संबद्ध वस्तुएं एसईजैड ग्राहकों को बिक्री के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही हैं और इस प्रकार, सीधे तौर पर प्रतिस्पर्धा में है। अतः प्राधिकारी की यह टिप्पणी सही नहीं है कि संबद्ध वस्तुओं का आयात घरेलू उपयोग के लिए नहीं है।
- xiv. संबद्ध वस्तुएं, चाहे वे आयातित हों या डीटीए से प्राप्त की गई हों, एसईजैड में खपत हो रही हैं और यह केवल तैयार वस्तुओं जैसे सन फौब्रिक है, जो घरेलू उपयोग के लिए नहीं है और ऐसी तैयार वस्तुओं को एसईजैड बाहर निर्यात किया जा सकता है। अतः प्राधिकारी को किंगडम ग्रुप द्वारा अपने निर्यातक प्रश्नावली उत्तरों में सूचित किए गए सभी लेन देन पर विचार करना चाहिए, चाहे डीटीए या एसईजैड में भारतीय ग्राहकों द्वारा बेची गई हों।
- xv. यहां तक कि मूल जांच में किंगडम ग्रुप ने भारतीय एसईजैड में स्थित ग्राहकों को निर्यात किया था और प्राधिकारी द्वारा किंगडम ग्रुप के लिए कारखाना बाह्य निर्यात कीमत, पहुंच मूल्य, पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन निर्धारित करने पर विधिवत विचार किया गया था। मूल जांच के बाद से कानून में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
- xvi. डीजी सिस्टम आयात डेटा संबद्ध वस्तुओं के लेनदेन को पूरी तरह से रिकार्ड नहीं करता है। प्राधिकारी डीजी सिस्टम से उनके आयात डेटा में किसी भी कमी के कारणों के बारे में मांग कर सकते हैं।
- xvii. एसईजैड यूनिट को किए गए निर्यात और ऐसी एसईजैड यूनिटों से डीटीए को मंजूरी को “एसईजैड ऑनलाइ” पोर्टल में दर्ज किया जाता है। भारत सरकार की इन दो डेटा संग्रहण एजेंसियों के रिकार्ड को अलग करना एक कारण हो सकता है कि एसईजैड में आयात वर्तमान मामले में डीजी सिस्टम के आयात संबंधी डेटा में नहीं दर्शाया गया है।
- xviii. निर्यात कीमत की गणना करने के लिए केवल एसईजैड बिक्रियों को बाहर करने का प्राधिकारी का निर्णय पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.4 और पाटनरोधी नियमावली के अनुलग्नक I क पैरा (6) I में प्रदत्त उचित तुलना के सिद्धांत का उल्लंघन है।
- xix. प्राधिकारी ने प्रतिवादी द्वारा एसईजैड यूनिटों को की गई बिक्री को हटाकर प्रतिवादी के लिए निर्यात मूल्य निर्धारित किया है। तथापि, घरेलू उद्योग के सामान्य मूल्य और क्षतिरहित मूल्य की गणना करते समय प्राधिकारी द्वारा ऐसा कोई अवलोकन नहीं किया गया है।
- xx. निर्यातक प्रश्नावली उत्तर में सूचित किए गए निर्यात और डीजी सिस्टम के आयात संबंधी डेटा में आयात में अंतर निम्नलिखित कारणों से हो सकता है:
- xxi. किंगडम ग्रुप द्वारा एसईजैड में स्थित यूनिटों को की गई बिक्री डीजी सिस्टम के आयात डेटा में दिखाई नहीं दे सकती।
- xxii. विचाराधीन उत्पाद का एफटीडब्ल्यूजैड में स्थानांतरण डीजी सिस्टम के आयात डेटा दिखाई नहीं दे सकता।
- xxiii. किंगडम ग्रुप द्वारा विचाराधीन उत्पाद की शिपिंग की तारीख और भारत में विचाराधीन उत्पाद के पहुंचने की तारीख के बीच समय का अंतर है।

- xxiv. झेजियांग किंगडम के मामले में, डीजी सिस्टम के आयात डेटा में व्यापारियों/निर्यातकों के नाम दर्ज किए जाते हैं, जैसे झेजियांग जिनयुआन फ्लेक्स कं. लि. और जियांगसू जिनयुआन फ्लेक्स कं. लि.। मूल जांच में भी झेजियांग किंगडम ने भारत को कोई भी प्रत्यक्ष निर्यात नहीं किया था। इसने अपने संबंधित पक्षकार के माध्यम से ही भारत को निर्यात किया था। प्राधिकारी ने झेजियांग किंगडम को भी सहकारी दर प्रदान की थी।
- xxv. हेइलॉंगजियांग किंगडम निर्यात के प्रयोजनों के लिए 'हेइलॉंगजियांग किंगडम इंटरप्राइज कं. लि.' नाम का प्रयोग करता है और उसे शुल्क तालिका में शामिल किया जाना चाहिए।
- xxvi. प्रतिवादी का दावा है कि घरेलू उद्योग को कोई वास्तविक नुकसान नहीं हो रहा है, याचिका में दिए गए डेटा और प्रतिवादी के विश्लेषण से यह स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि संबद्ध आयात के कारण कोई मात्रा संबंधी प्रभाव, मूल्य संबंधी प्रभाव या क्षति नहीं है।
- xxvii. मौखिक सुनवाई में यह प्रस्तुत किया गया है कि घरेलू उद्योग के वकील ने कहा कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति नहीं हुई है जिससे वास्तविक क्षति की जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
- xxviii. घरेलू उद्योग ने यह नहीं दर्शाया है कि यदि पाटन रोधी शुल्क को समाप्त करने की अनुमति दी जाती है, तो कीमत दबाव/गिरावट नहीं हुई है।
- xxix. संगत आर्थिक मापदंडों के विश्लेषण से पता चलता है कि घरेलू उद्योग ने सभी संगत आर्थिक मापदंडों में उल्लेखनीय सुधार देखने में आया है।
- xxx. भारतीय बाजार में अपने प्रतिस्पर्धियों के साथ-साथ प्रदर्शन करने में विफलता को संबद्ध देश के आयात के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।
- xxxi. अन्य देशों के आयात की बाजार हिस्सेदारी क्षति की अवधि के दौरान बढ़ी है। घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी को प्रभावित करने के लिए संबद्ध देश या अन्य देशों से आयात बहुत ही कम है। भारतीय उत्पादकों और घरेलू उद्योग के पास अभी भी महत्वपूर्ण बाजार हिस्सेदारी है।
- xxxii. आवेदक के डेटा के आधार पर आवेदकों को किसी भी क्षति की कोई भावी प्रवृत्ति नहीं है।
- xxxiii. क्षति यदि कोई हो, घरेलू उद्योग द्वारा स्वयं की उत्पत्ति है, क्योंकि घरेलू उद्योग बंगलादेश से विचाराधीन उत्पाद का आयातक है।
- xxxiv. यह क्षति उद्योग की अन्य भारतीय उत्पादकों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थता के कारण है।
- xxxv. भारतीय उद्योग की स्थितियों में उस स्तर तक सुधार हुआ है, जहां विचाराधीन उत्पाद के भारतीय निर्यातकों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है।
- xxxvi. क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की कोई संभावना नहीं है। घरेलू उद्योग संभावना प्रदान करने के लिए पाटनरोधी नियमों और करार में निर्धारित मानदंडों को पूरा करने के लिए सकारात्मक साक्ष्य प्रदान करने में पूर्णतया विफल रहा है।
- xxxvii. किंगडम ग्रुप भारत में विचाराधीन उत्पाद का पाटन नहीं कर रहा है जैसा कि किंगडम द्वारा दाखिल उत्तरों से सत्यापित किया जा सकता है।
- xxxviii. किंगडम के पास अतिरिक्त और अधिशेष क्षमता नहीं है, जैसा कि निर्यातक प्रश्नावली उत्तर से सत्यापित किया जा सकता है। तैयार वस्तुओं (डाउनस्ट्रीम) की मांग में वृद्धि के कारण संबद्ध देश के स्थानीय बाजारों में विचाराधीन उत्पाद की मांग भी बढ़ी है।
- xxxix. घरेलू उद्योग ने अन्य संगत साक्ष्य जैसे अतिरिक्त वस्तुसूची आदि नहीं दिए हैं।
- xl. कुल उत्पादन का अधिकोश हिस्सा चीन में घरेलू मांग को पूरा करने और अन्य देशों को निर्यात करने के लिए लक्षित है। मजबूत घरेलू उद्योग और भारत में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण भारतीय बाजार ग्रुप के लिए मामूली बाजार बन गया है।
- xli. प्राधिकारी द्वारा बताए गए कारक क्षति की संभावना की मौजूदगी को नहीं दर्शाते। प्राधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह केवल संभावना के आधार पर संभावना का निर्धारण न करें।

- xlii. प्राधिकारी द्वारा विश्लेषित कारक केवल यह दर्शाते हैं कि क्षति का जारी रहना या पुनरावृत्ति होना केवल संभव है न कि संभावना है। यह पाकिस्तान में विश्व व्यापार संगठन के पैनल में निर्धारित सिद्धांतों – यूई से बाइएक्सयली ओरिएण्टेड पॉलिप्रोपाइलीन फिल्म में पाटनरोधी उपायों का प्रत्यक्ष उल्लंघन है।
- xliii. सीईएलसी की एक रिपोर्ट पर प्राधिकारी की अतिरिक्त क्षमताओं के साक्ष्य पर निर्भरता उचित है और तर्क संगत तथा पर्याप्त निष्कर्ष निकालने के लिए सकारात्मक या पर्याप्त तथ्यात्मक आधार नहीं है।
- xliv. प्राधिकारी के निष्कर्षों में कोई स्पष्टता नहीं है कि क्या 1,00,000 की अतिरिक्त क्षमता केवल फ्लेक्स यार्न या फ्लेक्स और हेम्प यार्न के लिए सम्मिलित है।
- xlv. प्राधिकारी से यह अनुरोध है कि वे निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत किए गए डेटा पर भरोसा करे ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि चीन में निर्यातकों के पास अधिशेष क्षमता है या नहीं और घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार नहीं।
- xlvi. एसईजैड को निर्यात से बाहर रखना अनुचित है। प्रश्नावली उत्तर इस बात पर विचार करते हुए दाखिल किया गया था कि प्राधिकारी द्वारा केवल डीटीए को निर्यात की सूचना भेजने के लिए कोई निर्देश नहीं है और विगत में प्राधिकारी ने एसईजैड और डीटीए, दोनों के निर्यात पर विचार किया है।
- xlvii. प्राधिकारी ने जांच शुरुआत में पीसीएन का प्रस्ताव दिया था। अतः प्रतिभागियों ने डीटीए और एसईजैड बिक्री, दोनों सहित पीसीएन वार डेटा दाखिल किया। प्राधिकारी से यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि क्या उन्होंने पीसीएन वार निर्यात मूल्य निर्धारित किया है।
- xlviii. प्राधिकारी ने निर्यात मूल्य निर्धारित करने के लिए कमीशन के रूप में 2% की कटौती की, जिसे जांच परिणामों में ठीक किया जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी एजेंट/आयातक को कोई कमीशन नहीं दिया गया है।
- xlix. प्राधिकारी ने यह पाया है कि उनके निर्यातक प्रश्नावली उत्तर के विपरीत, हेइलॉगजियांग किंगडम लिनेन कं. लि. ने जांच की अवधि के दौरान निर्यात नहीं किया है। निर्यातक चलान पर किसी अन्य कंपनी का नाम है। किंगडम ने गलत सूचना दर्ज की। उनके उत्तर को अस्वीकार कर दिया जाएगा। प्राधिकारी से अनुरोध है कि उन्हें शेष श्रेणी शुल्क प्रदान किया जाए। मैनुअल के पैरा 12.20 का संदर्भ।
- I. एल यह प्रस्तुत किया गया है कि हेइलॉगजियांग किंगडम को वर्तमान समीक्षा में एक सहकारी दर प्रदान की जानी चाहिए, इसके निर्यातक प्रश्नावली प्रतिक्रिया पर विचार किया जाना चाहिए, और इसका नाम पाटन मार्जिन तालिका, क्षति मार्जिन तालिका और शुल्क तालिका में शामिल किया जाना चाहिए। प्राधिकरण की वर्तमान समीक्षा में।
  - ii. प्राधिकारी ने प्रतिभागी पक्षकारों की तुलना में शेष श्रेणी को कम डीएम एवं आईएम प्रदान किया है। शेष श्रेणी शुल्क के लिए उच्चतर दर प्रदान की जाएगी।
  - iii. याचिकाकर्ता के सभी आर्थिक मापदंडों में सुधार दिखाई देता है। घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है और यदि कोई है भी, तो इसे आयात के लिए जिम्मेदार नहीं माना जा सकता।
  - liii. यिक्सिंग सनशाइन लिनेन टैक्टाइल्स कं. लि. ने ओआई में भाग लिया और उसे अलग शुल्क की दर प्रदान की गई। हेइलॉगजियांग यांशो जिजिया फ्लेक्स टेक्स्टाइल कं. लि. ने ओआई में भाग नहीं लिया, क्योंकि यह तब निर्यात नहीं करता था। फिलहाल दोनों ने पूर्व सहयोग किया है। प्राधिकारी को वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर एसएसआर में डीएम/आईएम की गणना करने की जरूरत है और पहले सिफारिश शुल्क जारी नहीं रखना चाहिए, विशेषकर जब नया उत्पादक/निर्यातक पूरी तरह से सहकारी है और सभी आवश्यक जानकारी प्रदान कर रहा है।
  - liv. वर्मान एसएसआर में, प्राधिकारी वर्तमान जांच में गणना किए गए डीएम के अनुसार, शुल्क लगाने के लिए बाध्य है और पहले के शुल्क को जारी नहीं रखता है।
  - lv. विगत 2 वर्षों में एसएसआर के विगत मामले सामने आए हैं जहां डीजीटीआर ने भाग लेने वाले उत्पादकों/निर्यातकों के निर्यात डेटा के आधार पर नए शुल्क की सिफारिश की है या दिए गए शुल्क को वापस लेने की सिफारिश की है।



## ट.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

116. घरेलू उद्योग द्वारा प्रकटीकरण विवरण के बाद की गई टिप्पणियां इस प्रकार हैं:
- i. निर्यात मूल्य निर्धारित करने के उद्देश्य से प्रतिवादी निर्यातकों द्वारा दाखिल निर्यातक प्रश्नावली उत्तर के बजाय डीजी सिस्टम्स के डेटा पर विचार किया जाना चाहिए।
  - ii. प्रतिवादी निर्यातकों द्वारा सूचित की गई मात्रा डीजी सिस्टम्स में सूचित की गई मात्रा से अधिक होती है, जबकि डीजी सिस्टम्स द्वारा प्रदान किए गए डेटा अपूर्ण होते हैं या आयातकों ने उत्पाद को किसी अन्य वर्गीकरण की अनुमति दे दी होती है।
  - iii. किसी भी स्थिति में निर्यातकों द्वारा सूचित मात्रा वास्तव में भारत में पहुंची और निर्यातकों को वस्तुओं के अंतिम गंतव्य स्थान का पता था, अतः प्राधिकारी को निर्यातकों द्वारा सूचित की गई सभी मात्राओं पर विचार करना आवश्यक है।
  - iv. प्राधिकारी को भारतीय प्रणाली डेटा में सूचित आयात मूल्यों पर एक ऐसी स्थिति में विचार करना अपेक्षित है, जहां निर्यातक द्वारा सूचित आयातों का मूल्य डीजी सिस्टम्स के डेटा (व्यक्तिगत आयात लेन देन के लिए) में सूचित आयातों के मूल्य से अधिक है।
  - v. वर्तमान स्थिति में संभावना यह हो सकती है कि निर्यातक द्वारा निर्यात किए गए हैं और उन्हें उचित पाटनरोधी शुल्कों का भुगतान किए बिना भारतीय सीमा शुल्क में मंजूर किए गए हैं। ऐसी स्थिति में जहां, व्यक्तिगत आयात लेन देन के लिए सूचित किए गए आयात मूल्य डीजी सिस्टम्स में संबंधित आयात डेटा में सूचित किए गए आयात मूल्य से अधिक है, स्पष्ट रूप से ऐसी स्थिति की ओर इशारा करता है, जहां आयात लेन देन का मूल्य डीजी सिस्टम्स के डेटा के साथ मेल नहीं खाता है।
  - vi. प्राधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वे आयात मूल्यों के लिए डीजी सिस्टम्स के डेटा के साथ विधिवत पुष्टि करने के बाद निर्यातक द्वारा सूचित की गई निर्यात की मात्रा पर विचार करे और उसके बाद निर्धारण करे।
  - vii. प्राधिकारी संबंधित आयात लेन देन में सूचित आयात मूल्यों की विधिवत पुष्टि करने के बाद निर्यातक द्वारा सूचित निर्यात की मात्रा पर विचार करे।
  - viii. प्राधिकारी ने सही कहा है कि यह दायरा “70 ली काउंट (42 एनएम के बराबर) से कम फ्लेक्स यार्न” तक सीमित है। किसी भी इच्छुक पक्षकार ने प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई पीसीएन पद्धति या विचाराधीन उत्पाद के दायरे का विरोध नहीं किया है।
  - ix. प्राधिकारी द्वारा निर्धारित एनआईपी बहुत कम है जिससे क्षति मार्जिन का स्तर कम हो जाता है। घरेलू उद्योग का कहना है कि कच्चे माल के उपयोग और युटिलिटी के उपयोग को विगत में प्राप्त सर्वोत्तम स्तरों पर नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि खपत में वृद्धि होने के कारण, ऐसे इनपुट का अक्षम उपयोग नहीं है।
  - x. ऐसा प्रतीत होता है कि प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद और गैर विचाराधीन उत्पाद के बीच विभाजन के तरीके को बदल दिया है। तथापि, आवेदकों द्वारा अपनाई गई विभाजन की पद्धति को अस्वीकार करने के लिए कोई तर्क नहीं दिया गया है।
  - xi. उत्पादन की वास्तविक लागत को सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए माना जाना चाहिए न कि अनुमानित लागत के लिए और वह भी विभिन्न घरेलू उत्पादकों में सबसे कम। घरेलू उद्योग की औसत उत्पादन लागत पर विचार किया जाना चाहिए। इसके अलावा, न्यूनतम एनआईपी पर विचार करना कानूनी आधार के बिना है। बल्कि प्राधिकारी को भारत में पाई जाने वाली उत्पादन की उच्चतम लागत को अपनाना चाहिए।
  - xii. प्राधिकारी ने प्रतिवादी उत्पादकों/निर्यातकों के उत्तरों और सीईएलसी से उनके पास अधिकतम क्षमता की मौजूदगी पाई है। अतिरिक्त क्षमता 23,000 मी. टन के करीब है। चीन में उत्पादकों के पास ज्ञात क्षमता समग्र भारतीय क्षमता मात्रा 20,000 मी. टन की तुलना में 1 लाख मी. टन है।
  - xiii. भले ही शुल्क लगाए जाने के बाद आयातों में गिरावट आई थी, लेकिन वर्ष 2019-20 में गिरावट के बाद उसमें वृद्धि शुरू हो गई। पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन की गणना सकारात्मक और महत्वपूर्ण है। इसके अलावा, भारतीय बाजार अत्यधिक मूल्य संवेदनशील है।

- xiv. अन्य देशों को संबद्ध वस्तुओं का चीन का निर्यात पाटित मूल्य, क्षतिकारी मात्रा और उस स्तर से कम कीमत पर होता है, जिस पर उन्हें भारत को निर्यात किया जाता है। इसके अलावा, चीन में उत्पादक अत्यधिक निर्यात उन्मुखी हैं।
- xv. जैसा कि किंगडम ग्रुप ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में यह दावा किया है, कोविड-19 के सभी देशों को प्रभावित करने बावजूद, उन्होंने बदलावों को अनुकूलित किया है और 20,756 टन (2020: 20756 टन) लिनेन यार्न का उत्पादन किया। इस प्रकार उन्होंने कोविड-19 के बावजूद महत्वपूर्ण मात्रा में निर्यात किया है।
- xvi. मौजूद एडीडी के विस्तार के लिए पर्याप्त औचित्य है।
- xvii. शुल्क लाभकारी रहे हैं और इसने उद्योग को आत्मनिर्भर बनाया है, क्योंकि भारतीय उत्पादकों की संख्या 4 से बढ़कर 8 हो गई है। देश में अब पूरी मांग को पूरा करने के लिए आत्मनिर्भरता है और इस प्रकार मांग-आपूर्ति का कोई अंतर नहीं।
- xviii. उद्योग द्वारा किए गए अतिरिक्त निवेश को अनुचित व्यापार से बचाने की जरूरत है, क्योंकि भारतीय उद्योग कमजोर है और निम्न स्तर का लाभ उठा रहे हैं। शुल्क और पर्याप्त क्षमता होने के बावजूद, आयात अभी भी भारतीय मांग का महत्वपूर्ण हिस्सा रखता है। निर्यात बिक्री न तो महत्वपूर्ण है और न ही बहुत लाभदायक है और भारतीय उद्योग का ध्यान घरेलू बाजार पर है।
- xix. चीन के उत्पादकों के पास अधिशेष क्षमता है और जो विधि वस्तुओं का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसके अलावा, भारत चीन के निर्यात का एक प्रमुख गंतव्य बना हुआ।
- xx. प्रकटीकरण में शामिल किए गए लोगों की तुलना में चीन में अन्य उत्पादकों की क्षमता प्रदान की गई है।

कंपनी का विवरण	क्षमता (मी.टन में)
हुआरेन लिनेन (एचके) कंपनी लिमिटेड	6,000
चांगझोउ मेइयुआन फ्लेक्स टेक्सटाइल कंपनी लिमिटेड	2,200
हुजौ गोल्डरिच लिनेन टेक्सटाइल कंपनी लिमिटेड	1,178
टोंगलिंग यिनहुआ लिनेन एंड रामी टेक्सटाइल कंपनी लिमिटेड	300
तुंग गा लिनेन और कपास चांगझोउ कंपनी लिमिटेड	2,800
हेइलॉंगजियांग युआनबाओ कपड़ा कं. लि.	7,500
झेजियांग हैयान जिन्यी टेक्सटाइल कं. लि.	1,000
मुलिंग शिनलिंग लिनेन टेक्सटाइल कं. लि.	2,200
कुल	23,178 मी.टन

- xxi. वर्तमान शुल्कों का विस्तार किए जाने की आवश्यकता है और मात्रा में संशोधन अपेक्षित नहीं है। अतः निर्णायक समीक्षा में इस बात पर बल दिए जाने की जरूरत है कि क्या शुल्कों को समाप्त किए जाने से पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है न कि क्षति की मात्रा। इसी प्रकार का दृष्टिकोण प्राधिकारी द्वारा विगत में समाप्त हुई निर्णायक समीक्षा/पाटनरोधी जांच में कार्रवाई की गई है।
- xxii. विचाराधीन उत्पाद एक प्रीमियम टेक्सटाइल फैब्रिक उत्पाद है और बड़े पैमाने पर इसका उपयोग जनता द्वारा नहीं किया जाता है। उत्पाद की लागत के कारण उपयोग का मामला सीमित नहीं है बल्कि नियमित रखरखाव की लागत अधिक और आवर्ती है, जो समान के केवल समाज कुलीन वर्ग द्वारा उपयोग किए जाने तक सीमित होने के कारण है, इस प्रकार इन घटकों पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव बहुत कम होगा।
- xxiii. पाटनरोधी शुल्क उत्पादक, उपभोक्ता और बड़े पैमाने पर जनता के हित में है। भारतीय बाजार में समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए ये शुल्क आवश्यक हैं। यह उपभोक्ताओं के हित में भी है कि एक प्रतिस्पर्धी

घरेलू उद्योग हो क्योंकि यदि उपभोक्ता पूरी तरह से आयात पर निर्भर होंगे तो वे उच्च स्तर की वस्तुसूची के लिए मजबूर हो जाएंगे। घरेलू विनिर्माण क्रियाकलापों को प्रोत्साहित करना भारत को विनिर्माण पावर हाउस बनाने के लिए आवश्यक है।

- xxiv. विगत उपायों का प्रभाव अंतिम उत्पाद पर 0.73% से 2.8% तक नगण्य रहा है, जो यह दर्शाता है कि कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं था। इसके अलावा, किसी भी उपभोक्ता डाउनस्ट्रीम उद्योग ने इसके विपरीत सिद्ध करने वाली सूचना प्रदान नहीं की है।
- xxv. यार्न में वस्त्र उत्पादन की एक बड़ी लागत होती है और यार्न की कीमत में किसी भी वृद्धि को सीधे-सीधे वस्त्र की कीमतों पर डाल दिया जाता है। यार्न और वस्त्र की कीमतें साथ-साथ चलती हैं। निर्माताओं ने इसे प्रमाणित किया है, इसके लिए प्राधिकारी को साक्ष्य प्रदान किए गए हैं।
- xxvi. डाउनस्ट्रीम उद्योग का विश्लेषण क्षति की अवधि के दौरान सकारात्मक वृद्धि को दर्शाता है। इस प्रकार, पिछले उपायों को लागू करने के कारण किसी भी रूप या तरीके से कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है और परिकलन के अनुसार शुल्क का प्रभाव केवल नगण्य है।

### ट.1. प्राधिकारी द्वारा जांच

117. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा किए गए प्रकटीकरण के उपरांत के अनुरोधों की जांच की है और यह नोट करते हैं कि प्रमुख टिप्पणियां केवल पुनरावृत्ति हैं, जिनकी पहले ही उपयुक्त रूप से जांच की जा चुकी है और प्रकटीकरण विवरण के संगत पैरा में पर्याप्त रूप से शामिल किया गया है। नए अनुरोधों की जांच इस प्रकार की गई है:
- प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच में 14 पीसीएन पर विचार किया गया है जबकि इथियोपिया से केवल 2 पीसीएन का आयात किया गया है। 2 पीसीएन इस जांच के लिए प्राधिकरण द्वारा विचार किए गए 14 पीसीएन का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार, इथियोपिया से भारत तक की कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सका।
  - जहां तक इस दावे का संबंध है, सामान्य मूल्य के निर्धारण के प्रयोजन से बंगलादेश से आयात मूल्य पर विचार किया जाना चाहिए और उपलब्ध तुलनात्मक पीसीएन सूचना के आधार पर बाजार में प्रवेश न कर रहे पीसीएन के लिए समायोजन किया जाना चाहिए। अतः प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच में 14 पीसीएन पर विचार किया गया है, जबकि बंगलादेश से केवल 3 पीसीएन आयात किए गए हैं।
  - इसके अलावा, यहां तक कि जब निर्यातकों (बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश में) द्वारा दायर उत्तर के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया जाता है और किसी विशेष पीसीएन की कोई भी बिक्री या लाभकारी बिक्री नहीं होती है, तो उत्पादन की लागत और उचित समायोजन पर विचार करते हुए, सामान्य मूल्य का निर्माण किया जाता है। इसी प्रकार, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित न किए गए पीसीएन के लिए एनआईपी के मामले में, समायोजन ऐसे पीसीएन के उत्पादन की लागत और निष्पादन तुलनीय पीसीएन के आधार पर किया जाता है। इस मामले में, अधिकांश पीसीएन के लिए लागत और मूल्य में अंतर के संबंध में कोई सूचना नहीं है और इस प्रकार, सामान्य मूल्य के निर्धारण के उद्देश्य से इथियोपिया और बंगलादेश से आयात मूल्य पर विचार करना उचित नहीं होगा।
  - जहां तक इस तर्क का संबंध है कि प्राधिकरण ने चीनी उत्पादक के पास उपलब्ध अधिशेष या स्वतंत्र रूप से प्रयोज्य क्षमता का मूल्यांकन करने की आवश्यकता को नजरअंदाज कर दिया है क्योंकि उसने अपनी अधिकांश क्षमता का उपयोग कर लिया है, यह नोट किया गया है कि तीसरे देश द्वारा पाटित किए गए निर्यात की मात्रा, तीसरे देश से हानिकारक निर्यात और निर्यातक द्वारा भारत को निर्यात किए गए स्तर से कम कीमत पर किए गए निर्यात की मात्रा को भी उत्पादक के पास उपलब्ध अप्रयुक्त क्षमता के अलावा स्वतंत्र रूप से डिस्पोजेबल क्षमता के रूप में माना जा सकता है जिसे वह भारत में निर्यात कर सकता है। संभावना परीक्षण केवल स्वतंत्र रूप से प्रयोज्य क्षमता पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है; यह निर्धारण तीसरे देशों को निर्यात, विदेशी उत्पादकों के पास अधिशेष क्षमताओं और उन कीमतों पर विचार करने तक फैला हुआ है जिन पर भारत और विश्व स्तर पर विभिन्न निर्यात हुए। इस जांच से पता चलता है कि निर्यातक द्वारा पाटन तेज करने और घरेलू उद्योग को नुकसान पहुंचाने की संभावना है।

- v. इस तर्क के संबंध में कि अतिरिक्त क्षमता की जानकारी केवल निर्यातकों द्वारा दायर की गई प्रतिक्रिया के आधार पर ही मानी जानी चाहिए, यह नोट किया गया है कि देश में प्रचलित क्षमता और मांग पर जानकारी प्रदान करने की विशिष्ट आवश्यकता के बावजूद, किसी भी निर्यातक ने उपलब्ध नहीं कराया है। जानकारी और इस प्रकार, प्राधिकरण को सर्वोत्तम उपलब्ध जानकारी पर विचार करना होगा। इसके अलावा, प्रतिसाद देने वाले निर्यातकों ने प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का खंडन करने के लिए कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है।
- vi. जहां तक चीन में प्रचलित अतिरिक्त क्षमता के बारे में सीईएलसी की रिपोर्ट पर इच्छुक पक्षों द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण का संबंध है, यह स्पष्ट किया जाता है कि रिपोर्ट में अकेले फ्लेक्स यार्न के लिए 1,00,000 स्पिंडल की अतिरिक्त क्षमता होने की सूचना दी गई है, जो कि 20,000 मी. टन के बराबर है।
- vii. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि निर्यात मूल्य के निर्धारण के प्रयोजन से निर्यातकों के उत्तर पर विचार किया जाना चाहिए, प्राधिकारी ने अब एसईजैड को किए गए निर्यातों सहित निर्यातकों के उत्तर पर विचार किया है।
- viii. वर्तमान समीक्षा में सहकारी दर प्रदान करने के लिए हेइलॉगजियांग किंगडम एंटरप्राइज कंपनी लिमिटेड के दावे के संबंध में, और वर्तमान समीक्षा में पाटन मार्जिन तालिका, क्षति मार्जिन तालिका और शुल्क तालिका में इसे शामिल करने के संबंध में। प्राधिकरण ने नीचे दिए गए विवरण के अनुसार मुद्दे की जांच की है;
- क. मूल जांच की जांच की अवधि अक्टूबर 2016 से सितंबर 2017 तक थी। लेकिन तीन भाग लेने वाली कंपनियों (झेजियांग किंगडम लिनन कंपनी) द्वारा अप्रैल 2018 में दायर ईक्यूआर में कंपनी का नाम संबंधित कंपनी के रूप में उल्लेखित नहीं किया गया था। मूल जांच में किंगडम ग्रुप के लिमिटेड, जियांगसू जिनयुआन फ्लैक्स कंपनी लिमिटेड, जेजियांग जिनयुआन फ्लैक्स कंपनी लिमिटेड)।
- ख. 2017 की वार्षिक रिपोर्ट (31 दिसंबर 2017 तक) से पता चलता है कि हेइलॉगजियांग किंगडम एंटरप्राइज कंपनी लिमिटेड, 2017 में पीयूसी के उत्पादन में थी। हालांकि मूल जांच में दायर ईक्यूआर में इसकी सूचना नहीं दी गई थी। उक्त कंपनी ने जांच अवधि के दौरान भारत में \*\*\* मीट्रिक टन का केवल एक निर्यात लेनदेन किया है।
- ग. इसके अलावा, वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच में, प्राधिकरण ने सभी भाग लेने वाले उत्पादकों/निर्यातकों के संभावित पहलू की जांच की है और पाया है कि हालांकि निर्यात के कारण घरेलू उद्योग को कोई मौजूदा पाटन और क्षति नहीं हुई है, फिर भी, मौजूदा पाटन रोधी शुल्कों को जारी रखने की सिफारिश के लिए पाटन और क्षति की पुनरावृत्ति की प्रबल संभावना है।
- घ. चूंकि मेसर्स हेइलॉगजियांग किंगडम एंटरप्राइज कंपनी लिमिटेड, उक्त निर्माता/निर्यातक को मूल जांच में शुल्क की व्यक्तिगत दर प्रदान नहीं की गई थी, प्राधिकरण, पाटन और क्षति की संभावना की जांच पर, इसे जारी रखने की सिफारिश करता है। उक्त उत्पादक/निर्यातक के लिए पाटन रोधी शुल्क की मौजूदा अवशिष्ट दर का।
- ड. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण ने वर्तमान एसएसआर जांच में सहकारी पाटन रोधी शुल्क दर देने और इसके साथ उसका नाम शामिल करने के लिए 'हेइलॉगजियांग किंगडम एंटरप्राइज कंपनी लिमिटेड' के अनुरोध पर विचार नहीं किया है। ड्यूटी तालिका में किंगडम समूह की अन्य कंपनियाँ
- ix. पाटन रोधी शुल्क की नई दर के लिए हेइलॉगजियांग यान्शौ जिजिया फ्लैक्स टेक्सटाइल कंपनी लिमिटेड के दावे के संबंध में, प्राधिकरण ने नीचे दिए गए विवरण के अनुसार मुद्दे की जांच की है;
1. निर्णायक समीक्षा जांच में प्राधिकरण द्वारा दो पहलुओं की जांच करने की आवश्यकता है:
    - क. क्या पाटन और क्षति का सिलसिला जारी है।
    - ख. पाटन या क्षति जारी रहने के अभाव में, चाहे शुल्क रद्द करने पर, पाटन और क्षति की पुनरावृत्ति की संभावना है।
  2. मौजूदा पाटन की अनुपस्थिति और घरेलू उद्योग को क्षति की वजह पाटन और क्षति की घटना का मुकाबला करने के लिए लगाए गए शुल्क हो सकते हैं। ऐसे मामलों में, प्राधिकरण पर यह जांच करने का दायित्व है कि क्या शुल्क

को रद्द करने से पाटन और क्षति की पुनरावृत्ति की संभावना होगी। यूरोपीय संघ में डब्ल्यूटीओ पैनल की टिप्पणियां - लागत समायोजित पद्धतियां II (रूस)<sup>1</sup>, इस संबंध में हैं:

*मूल पाटन रोधी जांच में, जांच अधिकारियों को यह निर्धारित करना होगा कि क्या किसी सदस्य का घरेलू उद्योग पाटन किए गए आयात से भौतिक रूप से घायल हुआ है। इस स्तर पर, निर्धारण के समय 'भौतिक क्षति' के अस्तित्व पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। यह निर्धारण अनुच्छेद 3 के तहत पिछले कुछ अवधि के लिए आवश्यक और प्रासंगिक कारकों से संबंधित जानकारी के आधार पर किया जाता है। इसके विपरीत, एक समाप्ति समीक्षा में, एक पाटन रोधी उपाय कुछ समय से लागू है, और जांच अधिकारियों को नए विक्षेपण के आधार पर यह निर्धारित करना होगा कि क्या उस उपाय की समाप्ति से क्षति जारी रहने या पुनरावृत्ति होने की संभावना होगी।*

3. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, मेसर्स हेइल्लोंगजियांग यान्शोउ जिजिया फ्लैक्स टेक्सटाइल कंपनी लिमिटेड के मामले में प्राधिकरण द्वारा पाटन और क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना से संबंधित मापदंडों की जांच की गई है, यह पाया गया है कि:
  - क. मेसर्स हेइल्लोंगजियांग यान्शो जिजिया फ्लैक्स टेक्सटाइल कंपनी लिमिटेड की निष्क्रिय क्षमता लगभग 30% है।
  - ख. कुल 2,286 मीट्रिक टन मात्रा तीसरे देशों को निर्यात की जा रही है।
  - ग. इन 2,286 मीट्रिक टन में से जो तीसरे देशों को निर्यात किया जाता है, 836 मीट्रिक टन क्षति कारक कीमत पर है।
  - घ. इन 2,286 मीट्रिक टन में से जो तीसरे देशों को निर्यात किया जा रहा है, 618 मीट्रिक टन पाटन कीमत पर है।
  - ङ. और इन 2,286 मीट्रिक टन में से जो तीसरे देश को निर्यात किया जा रहा है, 1632 मीट्रिक टन भारत की कीमत से कम कीमत पर निर्यात किया जाता है, जिससे मौजूदा पाटन रोधी शुल्क रद्द होने की स्थिति में भारत एक मूल्य-आकर्षक बाजार बन जाता है।
4. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि मेसर्स हेइल्लोंगजियांग यान्शो जिजिया फ्लैक्स टेक्सटाइल कंपनी लिमिटेड ने मूल जांच में भाग नहीं लिया था और उसके पास न्यू शिपर रिब्यू (एनएसआर) आवेदन दाखिल करने का विकल्प था, लेकिन उपर्युक्त निर्माता/निर्यातक वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच में सीधे भाग लेने का विकल्प चुना।
5. वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच में, प्राधिकारी ने सभी भाग लेने वाले उत्पादकों/निर्यातकों के संभावित पहलू की जांच की है और पाया है कि हालांकि निर्यात के कारण घरेलू उद्योग को कोई वर्तमान पाटन और क्षति नहीं हुई है, फिर भी, एक मजबूत स्थिति है मौजूदा पाटन रोधी शुल्कों को जारी रखने की सिफारिश के लिए पाटन और क्षति की पुनरावृत्ति की संभावना।
6. चूंकि मेसर्स हेइल्लोंगजियांग यान्शोउ जिजिया फ्लैक्स टेक्सटाइल कंपनी लिमिटेड, उक्त निर्माता/निर्यातक को मूल जांच में शुल्क की व्यक्तिगत दर प्रदान नहीं की गई थी और वर्तमान में अवशिष्ट श्रेणी में आ रही है, संभावना की जांच पर प्राधिकरण पाटन और क्षति उक्त उत्पादक/निर्यातक के लिए पाटन रोधी शुल्क की मौजूदा अवशिष्ट दर को जारी रखने की सिफारिश करती है।
- x. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान की गई सूचना, पाटनरोधी नियमों में निर्धारित सिद्धांतों और सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षतिरहित कीमत (एनआईपी) का निर्धारण किया है।
- xi. जैसा की उपर उल्लेख किया गया है, क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग के प्रदर्शन में सुधार हुआ है। तथापि संबद्ध देश से पाटन आयातों की पुनरावृत्ति की संभावना बनी हुई है। अतः प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति के जारी रहने अथवा, उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना की जांच की है, जैसे कि उपर्युक्त पैराग्राफों में की गई जांच से स्पष्ट है, वर्तमान जांच में घरेलू उद्योग को क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना है। अतः प्राधिकारी ने मूल जांच में निर्धारित शुल्कों के जारी रहने की सिफारिश की है।

<sup>1</sup> पैनल रिपोर्ट, यूरोपीय संघ - रूस से आयात पर लागत समायोजन पद्धतियां और कुछ एंटी-डॉपिंग उपाय (दूसरी शिकायत), डब्ल्यूटीओ/डीएस494/आर और एड.1, 24 जुलाई 2020 को डब्ल्यूटीओ सदस्यों को परिचालित किया गया, 28 अगस्त 2020 को अपील की गई।

## ठ. भारतीय उद्योग के हित और अन्य मामलें

### ठ.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

118. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा सार्वजनिक हित के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए थे:

- i. पाटनरोधी शुल्क लगाना विचाराधीन उत्पाद के केवल भारतीय उत्पादकों के हित में है। अतः लिनन परिधान पर एक प्रमुख का विश्लेषण गलत है। यह कहना कि विचाराधीन उत्पाद एक प्रीमियम उत्पाद है, जिसका उपयोग केवल समाज के कुलीन वर्ग द्वारा किया जाता है, महत्वहीन है और इसका इस विषय पर कोई प्रभाव नहीं है। इसके अलावा, आवेदकों ने कहा कि आय के बढ़ते स्तर के साथ लिनन परिधान की खपत में वृद्धि हुई है।
- ii. भारतीय उत्पादक भी कैप्टिव उपभोक्ता हैं। उनमें से कई लिनन टैक्सटाइल/फैब्रिक का उत्पादन करते हैं और बाद में लिनन परिधान की खुदरा स्टोरो में बिक्री करते हैं या कैप्टिव उपभोक्ता नियमित रूप से भारतीय बाजार में अन्य वस्त्र निर्माताओं को विचाराधीन उत्पाद की आपूर्ति नहीं करते और इस प्रकार किसी भी प्रतिस्पर्धा को दबा देता है। इस प्रकार, पाटनरोधी शुल्क के जारी रहने से स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा नहीं मिलेगा और उपभोक्ताओं को कैप्टिव उपभोक्ताओं के भरोसे छोड़ दिया जाएगा।
- iii. पाटनरोधी शुल्क लागू करने से विचाराधीन उत्पाद के सभी डाउनस्ट्रीम उपभोक्ताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है क्योंकि पीक सीजन के दौरान भारतीय उत्पादक, जो कैप्टिव उपभोक्ता भी हैं, बाजार में अन्य भागीदारों को विचाराधीन उत्पाद की आपूर्ति नहीं करते हैं, जिससे प्रतिस्पर्धा प्रभावी रूप से समाप्त हो जाती है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने विस्कोस स्टेपल फाइबर (वीएसएफ) की आपूर्ति के लिए बाजार में अपनी प्रधान स्थिति का दुरुपयोग करने के लिए ग्रासिम इंडस्ट्रीज लि. पर 302 करोड़ रु. का जुर्माना लगाया है। यदि पाटनरोधी शुल्क जारी रहता है तो विचाराधीन उत्पाद के संबंध में इसी तरह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बाद भारतीय उद्योग सभी पहलुओं में विकसित हुआ है, अतः पाटनरोधी शुल्क को लगाए रखना जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है।
- iv. इसके अलावा, पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव का विश्लेषण लिनन फैब्रिक/टैक्सटाइल की तुलना में किया जाना चाहिए, न कि लिनन परिधान के संबंध में।
- v. आवेदकों के पास फ्लेक्स फैब्रिक पर पाटनरोधी शुल्क संबंधी सुरक्षा है और अब वे कच्चे माल फ्लेक्स यार्न पर अतिरिक्त सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। भारत में डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ताओं को पीक सीजन में पाटनरोधी शुल्क का भुगतान करके फ्लेक्स यार्न और फ्लेक्स फैब्रिक, दोनों का आयात करना पड़ रहा है क्योंकि आवेदक और अन्य भारतीय उत्पादक अपनी कैप्टिव मांग को पूरा करने पर अधिक ध्यान दे रहे हैं।
- vi. घरेलू उद्योग को प्रदान किए गए मजबूत संरक्षण के फलस्वरूप संबद्ध आयात मूल जांच की जांच की अवधि में 9371 मी. टन से घटकर वर्तमान समीक्षा जांच की अवधि में 3407 मी. टन हो गया है। मूल जांच की तुलना में वर्तमान समीक्षा जांच की अवधि में चीन से आयात मूल्य भी लगभग दो गुना हो गया।
- vii. घरेलू उद्योग द्वारा किया गया प्रभाव विश्लेषण गलत है, क्योंकि यह लिनन फैब्रिक/टैक्सटाइल की कीमत के बजाय लिनन परिधान की कीमत पर आधारित है।
- viii. पीक मांग के दौरान भारतीय उत्पादकों द्वारा विचाराधीन उत्पाद की आपूर्ति न किए जाने के कारण डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ता काफी प्रभावित होते हैं।
- ix. पाटनरोधी शुल्क जनहित में नहीं है। घरेलू बाजार में केवल कुछ ही उत्पादक हैं, अतः पूरी संभावना है कि वे बाजार पर हावी होंगे और बाजार में प्रवेश के लिए बाधाएं उत्पन्न करेंगे।
- x. जय श्री टैक्सटाइल, रेमंड, लिनन आर्ट और डब्ल्यूएफबी जैसे घरेलू उत्पादकों की अपनी फैब्रिक उत्पादन यूनिटें हैं और वर्ष में पीक मांग के समय उन्हें विचाराधीन उत्पाद की आपूर्ति करने पर ध्यान दे रही हैं। यह प्रयोक्ता उद्योग को घरेलू बाजार से बहुत सीमित आपूर्ति के भरोसे छोड़ देते हैं, जो चीन से आयात करेगा, क्योंकि घरेलू उद्योग पीक सीजन के साथ के दौरान भारतीय प्रयोक्ता उद्योग की 100% मांग को पूरा करने की स्थिति में नहीं है।

## ठ.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

119. घरेलू उद्योग द्वारा सार्वजनिक हित के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. उपभोक्ताओं पर किसी प्रतिकूल प्रभाव का कोई साक्ष्य नहीं है। जांच में न तो उपभोक्ताओं ने भाग लिया है और न ही पाटनरोधी शुल्क के प्रतिकूल प्रभाव को दर्शाया है।
- ii. विचाराधीन उत्पाद में कीमत वृद्धि बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव के बाजार द्वारा समायोजित कर ली गई थी।
- iii. कीमतों में वृद्धि होने के बावजूद उत्पाद की मांग में वृद्धि हुई।
- iv. चीन के उत्पादकों की कीमत में भी वृद्धि हुई और उसे बाजार द्वारा साझा रूप से समाहित कर लिया गया तथा साझा तौर पर यह स्थापित होता है कि बाजार पर पाटनरोधी शुल्क का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं था।
- v. यदि यह माना जाता है कि फैब्रिक के हितबद्ध पक्षकारों पर प्रभाव की गणना की जानी अपेक्षित है, तो कोई मात्रा, कोई साक्ष्य यह प्रदान नहीं करता कि घरेलू उद्योग ने पाटनरोधी शुल्क की मात्रा के अनुसार कीमतों में वृद्धि की है।
- vi. पाटनरोधी शुल्क के साथ कीमत कटौती काफी नकारात्मक है, जो यह स्थापित करता है कि उपभोक्ताओं ने पाटनरोधी शुल्क के कारण अधिक कीमत का भुगतान नहीं किया।
- vii. समग्र भारतीय उद्योग के पास कैप्टिव मांग सहित समग्र भारतीय मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता है।
- viii. पक्षकार द्वारा यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य प्रदान नहीं किया गया है कि भारतीय उत्पादकों द्वारा आपूर्ति संबंधी बाधा आ रही है, यह अनर्गल आरोप है।
- ix. यह आरोप कि चूंकि एक आवेदक भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीएस) की जांच में शामिल है और उस पर जुर्माना लगाया गया था, किसी भी तरह से वर्तमान समीक्षा से जुड़ा मामला नहीं है। यह अलग उत्पाद के संबंध में अलग जांच है।
- x. वर्तमान क्षति अवधि के आधार वर्ष की तुलना में चीन से आयातों में पर्याप्त वृद्धि हुई है।
- xi. संबद्ध वस्तुओं का निर्माण करने वाले भारतीय उत्पादकों की कुल संख्या मूल जांच में 4 से बढ़कर वर्तमान समीक्षा जांच में 8 हो गई है। चीन जन.गण. से पाटित और क्षतिकारी आयातों के लिए एक समान वातावरण प्रदान करके शुल्क लगाए जाने से भारतीय उद्योग को काफी अधिक भरोसा मिला है जिससे भारतीय उद्योग द्वारा किया गया निवेश मूल जांच में किए गए निवेश की तुलना में करीब 15 गुणा बढ़ गया है।
- xii. परिणामस्वरूप क्षमता और उपयोग में, समान स्तर का वातावरण मौजूद होने के कारण सुधार आया है, जिससे रोजगार में वृद्धि हुई है और उत्पादन प्रक्रिया में काफी रोजगार उत्पन्न हो रहा है।
- xiii. उद्योग की आत्मनिर्भरता उपभोग अनुपात की क्षमता के संदर्भ में मूल जांच में 1/3 से बढ़कर जांच की अवधि में पूरी हो गई है।
- xiv. पाटनरोधी शुल्कों का विस्तार यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि भारतीय बाजार में समान स्तर का वातावरण मिले, समान वस्तु के घरेलू उत्पादन में व्यवहार्यता रहे और भारत को उत्पाद के संबंध में केवल आयात पर निर्भर रहने से रोका जाए।
- xv. मजबूत घरेलू उद्योग का होना आवश्यक है ताकि उचित और प्रतिस्पर्धी भारतीय बाजार सुनिश्चित हो सके, जो इसे अभाव में पूरी तरह से चीन के आयातों के प्रभाव में रहेगा।
- xvi. यह व्यापक सार्वजनिक हित में है कि एक मजबूत, प्रतिस्पर्धी घरेलू उत्पादन रहे। घरेलू निर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देना भारत को एक निर्माण पावरहाउस बनाने के लिए जरूरी है, जो कि उद्देश्य भी है घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहन देने से रोजगार को बढ़ावा मिलेगा और देश की जीडीपी में वृद्धि होगी।

xvii. प्रभाव बहुत ही नगण्य है, जो केवल 0.7% से 2.8% के बीच है।

### ठ.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

120. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाने का उद्देश्य सामान्य रूप से पाटन की अनुचित व्यापार पद्धतियों से घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की स्थिति को फिर से स्थापित किया जा सके, जो कि देश के सामान्य हित में है। पाटनरोधी उपायों को जारी रखने का उद्देश्य किसी भी तरह से संबद्ध देश से आयात को प्रतिबंधित करना नहीं है। प्राधिकारी का मानना है कि पाटनरोधी शुल्क जारी रखने से भारत में उत्पाद के मूल्य स्तर पर प्रभाव पड़ सकता है। यद्यपि पाटन रोधी उपायों को लागू रखने से यह सुनिश्चित होगा कि पाटनरोधी प्रथा से कोई अनुचित लाभ प्राप्त न हो, घरेलू उद्योग की गिरावट को रोका जा सके तथा संबद्ध वस्तुओं के उपभोक्ताओं के लिए व्यापक विकल्प की उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिल सके।
121. प्राधिकारी ने यह विचार किया कि क्या पाटनरोधी प्रक्रिया जारी रखने से सार्वजनिक हित पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इस तरह के प्रभाव को निर्धारित करने के लिए, प्राधिकारी ने भारतीय बाजार में वस्तुओं की उपलब्धता पर शुल्कों के जारी रहने के प्रभाव, उत्पाद के प्रयोक्ताओं के साथ-साथ घरेलू उद्योग पर प्रभाव और बड़े पैमाने पर आम जनता पर प्रभाव का आकलन किया। यह आकलन वर्तमान जांच के दौरान प्रस्तुत अनुरोधों और साक्ष्यों पर आधारित है।
122. प्राधिकारी ने आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य लोगों सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों से विचार आमंत्रित करते हुए प्रारंभिक अधिसूचना जारी की। प्राधिकारी ने प्रयोक्ताओं/ उपभोक्ताओं के लिए एक प्रश्नावली भी निर्धारित की है ताकि वे अपने प्रचालनों पर पाटनरोधी शुल्क के किसी संभावित प्रभाव सहित वर्तमान जांच के संबंध में प्रासंगिक जानकारी प्रदान कर सकें। प्राधिकारी ने राजपत्र अधिसूचना जारी करके आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों से विचार आमंत्रित किए हैं। प्राधिकारी ने उपभोक्ताओं के लिए एक प्रश्नावली भी निर्धारित की है ताकि वे वर्तमान जांच के संबंध में प्रासंगिक सूचना प्रदान कर सकें, जिसमें उनके प्रचालनों पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव भी शामिल है। प्राधिकारी ने अन्य के साथ-साथ विभिन्न देशों के विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद के आदान-प्रदान घरेलू उद्योग की स्रोत बदलने की क्षमता, उपभोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव, ऐसे कारक, जिनके कारण पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के कारण नई स्थिति लाने में तेजी या विलंब की संभावना है, वर्तमान शुल्क समाप्त करने अथवा बनाए रखने के प्रभाव के बारे में सूचना मांगी थी। प्राधिकारी ने यह नोट किया कि एक आयातक, अर्थात् टैक्स वेंचर्स एलएलपी को छोड़कर, विचाराधीन उत्पाद के किसी भी उपभोक्ता और आयातक ने प्रश्नावली का उत्तर दाखिल नहीं किया अथवा मौखिक सुनवाई में भाग नहीं लिया। टैक्सवेंचर्स एलएलपी ने भी प्रयोक्त प्रश्नावली दाखिल नहीं की है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि विगत पांच वर्षों में पाटनरोधी शुल्क को लगाने और उसके मौजूद होने से उपभोक्ताओं या बड़े पैमाने पर जनता पर कोई महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।
123. इस संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों पर विचार किया गया है। जहां तक उपभोक्ता उद्योग द्वारा निर्धारित शुल्क के प्रभाव का संबंध है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है और इसलिए भविष्य में उपभोक्ताओं पर प्रस्तावित शुल्कों के प्रभाव पर विचार करने से पहले, प्राधिकारी को पहले लगाए गए शुल्कों के प्रभाव पर विचार करना चाहिए। ऐसी स्थिति में, जहां पाटनरोधी शुल्क विगत 4 वर्षों से अधिक समय से लागू है, वहां उत्पाद की कीमत में वृद्धि (कच्चे माल की कीमत में उतार-चढ़ाव के लिए उचित समायोजन करने के बाद) और इसका प्रभाव उपभोक्ताओं पर प्रस्तावित शुल्क के संभावित प्रभाव का सबसे अच्छा संकेतक है। शुल्क लगाने के बाद, घरेलू और आयातिक उत्पाद के मूल्य में वृद्धि को देखते हुए इस प्रभाव का निर्धारण करना अपेक्षित है। यह देखा गया है कि कच्चे माल की लागत में वृद्धि के कारण सूचित की गई वृद्धि को छोड़कर, घरेलू उद्योग या चीन के उत्पादकों द्वारा उत्पाद के मूल्य में कोई वास्तविक वृद्धि नहीं की गई है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग के निवेश के संबंध में आधार वर्ष से बेहतर निवेश हुआ है, यद्यपि अभी भी कम है। अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि न तो घरेलू उद्योग और न ही आयात में पाटनरोधी शुल्क की उस मात्रा में वृद्धि हुई है, जो पहले लगाया गया था। उत्पाद की कीमत में पहले लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की मात्रा से भी वृद्धि नहीं हुई थी, अतः यह विचार करना उचित नहीं होगा कि शुल्क जारी रहने के कारण पाटन रोधी शुल्क की मात्रा से भविष्य में उत्पाद की कीमत में वृद्धि हो जाएगी।



124. घरेलू उद्योग ने इस बात पर ध्यान दिलाया है कि उत्पादकों की संख्या 2018 में लगभग चार उत्पादकों से बढ़कर वर्तमान में 8 उत्पादक हो गई है। उद्योग ने केवल 6378 एमटी से 20410 एमटी से अधिक की क्षमता स्थापित कर ली है। इस वृद्धि को प्राप्त करने के लिए भारतीय उद्योग ने इस उत्पाद में 1500 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया है। क्षमताओं में वृद्धि के साथ भारतीय उद्योग द्वारा सृजित रोजगार में वृद्धि हुई है और उद्योग प्रत्यक्ष रूप से लगभग 5300 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान कर रहा है जिसके आगामी वर्षों में बढ़कर दोगुना होने की उम्मीद है।
125. घरेलू उद्योग विगत 5 वर्षों में सुधार लाने में सक्षम रहा है और घरेलू बाजार में वृद्धि को देखते हुए क्षमताओं में विस्तार करने में समक्ष रहा है। नए संयंत्र स्थापित किए गए हैं और नए बाजार के प्रतिभागियों ने बाजार में प्रवेश किया है। चूंकि इन कंपनियों ने अभी उत्पादन शुरू किया है, अतः वे भारतीय बाजार में अपना स्थान नहीं बना पाई हैं और इसलिए कमजोर हैं। चीन से कम कीमत पर आयात होने से इन नयी कंपनियों के लिए अस्तित्व में रहना मुश्किल हो जाएगा। यदि नई स्थापित उत्पादन क्षमता का कम उपयोग किया जाता है और आवश्यक आरओआई प्राप्त नहीं होता है, तो कंपनी को नुकसान होगा। ऐसे मामलों में विचाराधीन उत्पाद के पाटन से भारतीय उद्योग के प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।
126. अतिरिक्त निवेश और क्षमता में वृद्धि का भारतीय उद्योग द्वारा प्रस्तावित रोजगार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। यह देखा गया है कि मूल जांच की तुलना में रोजगार में लगभग 2.5 गुना वृद्धि हुई है। मूल जांच की तुलना में जांच की अवधि में कर्मचारियों की संख्या दोगुनी से अधिक हो गई है। यह दावा किया गया है कि संबद्ध वस्तुओं का, भारतीय उद्योग (क) टेक्सटाइल फाइबर/यार्न और (ख) लिनन परिधान उद्योग दोनों में सबसे अधिक रोजगार पैदा करता है।
127. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि भारतीय उद्योग ने शुल्क लगाए जाने के परिणामस्वरूप वृद्धि हासिल की है। तथापि, चूंकि उद्योग निरंतर असुरक्षित बना हुआ है और यदि पाटनरोधी शुल्क हटा लिया जाता है तो इसके बाद फिर से क्षति होने की संभावना है, अतः पाटनरोधी शुल्कों को जारी रखना उद्योग के हित में होगा।
128. प्राधिकरण ने प्रयोक्ताओं के हित में शुल्क जारी रखने के प्रभाव की भी जांच की है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि शुल्क लगाने से आयात पर प्रतिबंध नहीं लगता बल्कि केवल यह सुनिश्चित होता है कि वस्तुएं उचित कीमत पर उपलब्ध हों। भारतीय उद्योग ने अपनी क्षमता में वृद्धि की है और वह करीब-करीब पूरी मांग को पूरा कर सकता है।
129. अन्य देशों से भी आयात किया जाता है। अतः भले ही संबंधित देश से कोई आयात न हो, लेकिन घरेलू आपूर्ति भारतीय मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त से अधिक है। पाटनरोधी शुल्क लगाने से संबद्ध देश से आयात पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगेगा और इसलिए उपभोक्ताओं के लिए उत्पादों की उपलब्धता पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।
130. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि भारत में कई उत्पादक हैं, और उत्पादकों की क्षमता घरेलू मांग से अधिक है। अतः घरेलू उत्पादकों के बीच महत्वपूर्ण मूल्य प्रतिस्पर्धा है। यह सुनिश्चित करता है कि प्रयोक्ताओं को प्रतिस्पर्धी कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में उत्पाद उपलब्ध हैं। ऐसी स्थिति में पाटनरोधी शुल्क का कोई भी अनुचित लाभ संभव ही नहीं है।
131. विरोधी हितबद्ध पक्षकारों ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है कि पाटन रोधी शुल्क किस प्रकार डाउनस्ट्रीम उद्योग और अंतिम ग्राहकों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। घरेलू उद्योग ने कपड़ों पर शुल्क के प्रभाव की गणना प्रदान की है, जो लगभग नगण्य है। इस संबंध में यह भी नोट किया गया है कि विषय वस्तुएं प्रीमियम टेक्सटाइल फैब्रिक उत्पाद हैं जो समाज के उच्च आय वर्ग द्वारा प्रमुख रूप से उपयोग और पहना जाता है। लिनन उत्पादों का उपयोग बड़े पैमाने पर जनता द्वारा नहीं किया जाता है। इस प्रकार, इन खंडों पर पाटन रोधी शुल्क का प्रभाव बहुत कम होगा। हितबद्ध पक्षों ने तर्क दिया है कि इसका प्रभाव कपड़ा निर्माता पर देखा जाना चाहिए, इस संबंध में यह देखा गया है कि संबद्ध वस्तु कपड़े की कुल लागत का एक बड़ा हिस्सा है, और इस प्रकार यह वैध है कि कपड़ा निर्माता किसी भी वृद्धि पर भार डाले। अंतिम ग्राहक की लागत में आवेदकों में से एक, मेसर्स ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड (जया श्री टेक्सटाइल्स), फ्लैक्स यार्न और फ्लैक्स फैब्रिक दोनों का निर्माता है। इसने प्रमाणित किया है कि कपड़े की कीमत यार्न पर निर्भर है और कपड़े की कीमत यार्न की कीमत में उतार-चढ़ाव का अनुसरण करती है।

132. प्राधिकारी ने यह भी कहा है कि निश्चित उपायों का कुछ उपयोगकर्ताओं पर प्रभाव पड़ सकता है लेकिन इसे घरेलू उद्योग गतिविधि के बंद होने के जोखिम के विरुद्ध संतुलित किया जाना चाहिए। उपाय नहीं लागू करने से आपूर्ति के स्रोत कम विश्वसनीय और अस्थिर हो जाएंगे, खासकर जब भारत और चीन को फ्लैक्स यार्न में प्रमुख खिलाड़ी माना जाता है। इसलिए, प्राधिकरण का निष्कर्ष है कि शुल्क लगाना व्यापक सार्वजनिक हित में होगा।

### **शुल्कों को जारी रखने के लिए औचित्य**

#### **i. यह उत्पाद एक प्रीमियम वस्त्र उत्पाद है, जो उच्च लागत के कारण समाज के उच्च आय वर्ग के लिए है।**

133. संबद्ध वस्तु एक प्रीमियम वस्त्र उत्पाद है। यह नोट किया जाता है कि लिनन एक बहुत ही प्रीमियम वस्त्र है जो समाज के कुलीन वर्ग द्वारा प्रमुख रूप से उपयोग में लाया और पहना जाता है। लिनन उत्पादों का उपयोग बड़े पैमाने पर जनता द्वारा नहीं किया जाता है। आवेदकों द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि लिनन का उपयोग उत्पाद की लागत के कारण सीमित नहीं है बल्कि निर्यात रखरखाव की उच्च लागत, केवल समाज के कुलीन वर्ग द्वारा उपयोग को सीमित किए जाने के कारण है। इस प्रकार यह एक ऐसा उत्पाद नहीं है, जो वस्त्र में बड़े पैमाने पर जनता द्वारा उपयोग किया जाता है।

#### **ii. शुल्क पूंजीनिवेश, क्षमता निर्माण, रोजगार सृजन और देश के आत्मनिर्भर बनने के रूप में देश में उद्योग के विकास और वृद्धि के लिए लाभकारी रहे हैं।**

134. संबद्ध वस्तुओं का निर्माण करने वाले भारतीय उत्पादकों की कुल संख्या में वृद्धि हुई है, जो मूल जांच में चार (4) से बढ़कर जांच की अवधि में आठ (8) हो गई है। मूल जांच के बाद से चार नए उत्पादकों ने करीब 14032 मी. टन क्षमता स्थापित की है। भारत में स्थापित क्षमता 20,410 मी. टन है, जबकि मूल जांच में जांच की अवधि में 6378 मी. टन क्षमता थी।
135. मूल जांच में निवेश की तुलना में भारतीय उद्योग द्वारा किए गए निवेश में लगभग 15 गुणा वृद्धि हुई है। यह निवेश मूल जांच के समय लगभग 120 करोड़ रु. से बढ़कर वर्तमान जांच की अवधि में 1500 करोड़ रु. से अधिक हो गया है।
136. यह उत्पाद एक अधिक पूंजी वाला है, जबकि घरेलू उद्योग द्वारा नियोजित औसत पूंजी लागत लगभग 1 लाख रु. प्रति मीट्रिक टन थी, नई क्षमताओं में पूंजी निवेश लगभग 15 लाख रु प्रति मी. टन है।
137. यह उत्पाद भारी रोजगार वाला है। घरेलू उद्योग में औसत रोजगार 3 व्यक्ति प्रति मी. टन है। घरेलू उद्योग और भारतीय उद्योग द्वारा स्थापित क्षमताओं को देखते हुए, इसका तात्पर्य यह है कि यार्न उद्योग में ही करीब 5300 व्यक्तियों का रोजगार है। घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि विचाराधीन उत्पाद में विस्कोस और पॉलिस्टर जैसे अन्य वस्त्र उत्पादों की तुलना में मूल्य श्रृंखला में उच्चतम रोजगार (प्रति मी. टन क्षमता) शामिल है।

#### **iii. यह उत्पाद सभी टैक्सटाइल यार्न में उत्पाद की प्रति यूनिट सबसे अधिक रोजगार प्रदान करता है।**

138. इसमें शामिल प्रक्रिया के कारण फ्लैक्स यार्न का उत्पादन उच्च रोजगार प्रदान करने वाला है। यह सभी टैक्सटाइल यार्न में उत्पादन की प्रति यूनिट उच्चतम रोजगार प्रदान करता है। यह देखा गया है कि विनिर्माण के लिए 3 व्यक्ति/ मी. टन की आवश्यकता होती है।
139. इस उद्योग में भारी रोजगार का कारण फ्लैक्स यार्न बनाने में शामिल विस्तृत प्रक्रिया का होना है, जो किसी भी अन्य यार्न/फाइबर की कटाई के विपरीत है। फ्लैक्स यार्न उद्योग द्वारा सृजित रोजगार वस्त्र और परिधान में डाउनस्ट्रीम उद्योग से उत्पन्न रोजगार से भी अधिक है जबकि वस्त्र उद्योग, यार्न की तुलना में 2/3 रोजगार पैदा करता है। परिधान उद्योग, यार्न उद्योग से उत्पन्न रोजगार का केवल 1/5 वां हिस्सा उत्पन्न करता है।

#### **iv. मांग- आपूर्ति अंतराल पूरा करना**

140. मूल जांच में उत्पाद में मांग आपूर्ति का महत्वपूर्ण अंतर था। जहां मूल जांच की जांच की अवधि में मांग 15,000 मी.टन थी, वहीं भारत में स्थापित क्षमता केवल 6438 मी.टन थी, जबकि वर्तमान जांच की अवधि के समय तक मांग बढ़कर 20,688 मी. टन हो गई है, स्थापित क्षमता 20,410 मी. टन हो गई है। इस प्रकार, लगाए गए शुल्कों के परिणामस्वरूप देश में उत्पाद की मांग को पूरा करने के लिए क्षमताओं में वृद्धि हुई है।

इसके अलावा, नए घरेलू उत्पादकों द्वारा किए गए निवेश से मांग और आपूर्ति के अंतर को पूरा किया गया है। इस प्रकार अब देश उत्पाद में आत्मनिर्भर है।

**v. उद्योग द्वारा किए गए अतिरिक्त निवेश को अनुचित व्यापार से संरक्षित किए जाने की जरूरत है।**

141. भारतीय उद्योग ने इस क्षेत्र में 1500 करोड़ रु. का नया निवेश किया है। यह निवेश नए उत्पादकों द्वारा किया गया था। घरेलू उद्योग की लाभप्रदता वर्तमान जांच की अवधि में सबसे अच्छी थी। वर्तमान जांच की अवधि में घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित ब्याज से पहले प्रति यूनिट लाभ को देखते हुए, यह देखा गया है कि नए निवेश 22% की वापसी अर्जित करने में सक्षम होंगे, यदि ये निवेश घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित ब्याज पहले, समान लाभ अर्जित करते हैं। जांच की अवधि के स्तरों से लाभप्रदता कोई भी कमी नए निवेश की प्रतिकूल लाभप्रदता का संकेत होगी। नए निवेश को पाटित आयातों से सुरक्षा दिए जाने की जरूरत है, जो शुल्कों की समाप्ति की स्थिति में तेजी से पुनः शुरू होने की संभावना है।

**vi. भारतीय उद्योग संवेदनशील है।**

142. भारतीय उद्योग भौतिक क्षति के प्रति संवेदनशील है, जैसा कि घरेलू उद्योग की लाभप्रदता और भारतीय उद्योग द्वारा किए गए नए निवेश से स्पष्ट है। यह देखा गया है कि अकेले प्रतिक्रिया देने वाले चीनी उत्पादकों द्वारा पाटित की गई, क्षतिकारी और कीमत-आकर्षक बिक्री की मात्रा महत्वपूर्ण है और भारतीय मांग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्राधिकरण ने पाया है कि चीन में ज्ञात उत्पादकों के पास स्थापित क्षमताएं 70,000 मीट्रिक टन के क्षेत्र में हैं, जबकि अकेले प्रतिक्रिया देने वाले निर्यातकों द्वारा स्थापित क्षमताएं 34,500 मीट्रिक टन के क्षेत्र में हैं। इस प्रकार, प्रतिक्रिया देने वाले चीनी उत्पादकों द्वारा पाटित की गई, क्षतिकारी और कीमत-आकर्षक बिक्री की मात्रा पर विचार करते हुए, प्राधिकरण का मानना है कि सभी चीनी उत्पादकों द्वारा डंप की गई, क्षतिकारी और कीमत-आकर्षक बिक्री की मात्रा कम से कम दोगुनी है। उत्तर देने वाले निर्यातक। यह संपूर्ण भारतीय मांग से काफी अधिक होगी। जबकि मौजूदा पाटन रोधी शुल्क ने चीनी उत्पादकों को अपनी मात्रा वर्तमान मात्रा से अधिक बढ़ाने से रोक दिया है, पाटन रोधी शुल्क से बाहर निकलने की समाप्ति से इन मात्राओं में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। पाटन रोधी शुल्क की समाप्ति की स्थिति में भारतीय उद्योग स्पष्ट रूप से क्षति के प्रति संवेदनशील है।

**vii. चीन संबद्ध वस्तुओं का सबसे बड़ा उत्पादक है।**

143. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए विभिन्न लेखों और प्रकाशनों से यह पता चलता है कि चीन प्लेक्स यार्न का सबसे बड़ा निर्माता और निर्यातक है। विश्व स्तर पर भारत और चीन संबद्ध वस्तुओं के सबसे बड़े उत्पादकों के रूप में जाने जाते हैं। तथापि, चीन में स्थापित क्षमता 70,000 मी. टन निर्धारित की गई है, जबकि भारत में यह क्षमता 20,410 मी. टन है। इसके अलावा, जबकि भारत में मांग और आपूर्ति की स्थिति संतुलित है। चीन के उत्पादकों को अतिरिक्त क्षमताओं का सामना करना पड़ रहा है।

**viii. भारत चीन के लिए निर्यात का एक प्रमुख स्थान है।**

144. भागीदार चीनी उत्पादकों द्वारा दाखिल प्रश्नावली उत्तर के विश्लेषण से यह पता चलता है कि भारत को निर्यात इन कंपनियों के लिए वैश्विक निर्यात गंतव्य स्थानों में शीर्ष तीन में से एक है। इसके अलावा, भारत में संबद्ध वस्तुओं की मांग चीन के घरेलू बाजार के बाद सबसे अधिक दिखाई देती है, इस प्रकार यह एक आकर्षक बाजार बन जाता है। किंगडम ग्रुप ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि भारत एक प्रमुख बाजार है और पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बाद से ग्रुप के निर्यात में रुकावट आई है।

**ix. उपभोक्ताओं पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं।**

145. वर्ष 2017 में उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था। किसी भी प्रयोक्ता ने जांच में भाग नहीं लिया है और अपेक्षित उत्तर दाखिल नहीं किए हैं। डाउनस्ट्रीम उत्पाद या अंतिम उपभोक्ता पर पहले लगाए गए पाटनरोधी शुल्क के किसी भी प्रतिकूल प्रभाव का कोई भी साक्ष्य नहीं है। घरेलू उद्योग ने 0.73% से 2.8% के क्षेत्र में पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव को निर्धारित किया है और तर्क दिया है कि उत्पाद की लागत किसी भी तरह से उपभोक्ताओं के लिए एक प्रमुख निवारक नहीं है। उपभोक्ता के लिए प्राथमिक लागत उत्पाद के लिए एक बार खरीद लागत के बजाय आवर्ती रखरखाव लागत है।

146. विचाराधीन उत्पाद प्रीमियम वस्त्र उत्पाद है। यह बड़े पैमाने पर समाज के उच्च आय वर्ग द्वारा खरीदा जाता है। घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान की गई जानकारी और उसके विश्लेषण से पता चलता है कि फ्लेक्स से बना परिधान, अन्य वस्त्रों से बने उत्पाद के मूल्य बैंड पर उपलब्ध हो सकता है, फिर भी उच्च रखरखाव लागत के कारण लिनेन फैब्रिक से बना वस्त्र बड़े पैमाने पर जनता द्वारा पसंद नहीं किया जाता। घरेलू उद्योग द्वारा यह तर्क दिया गया है कि विचाराधीन उत्पाद का उपयोग बड़े पैमाने पर केवल उच्च आय वर्ग द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि इसकी उच्च रखरखाव लागत आती है।
147. याचिकाकर्ताओं द्वारा यह तर्क दिया गया है कि प्रतिवादी पक्षकारों ने इसका खंडन नहीं किया है कि फ्लेक्स यार्न का उत्पादन सभी फैब्रिक यार्न में सबसे अधिक रोजगार प्रदान करता है। जब उत्पादन की प्रति इकाई के संदर्भ में इसे मापा जाता है।
148. यह नोट किया जाता है कि उत्पादन की प्रति इकाई घरेलू उद्योग द्वारा निवेश 15 लाख/ मी. टन के क्षेत्र में है और पॉलिस्टर, विस्कोस, एक्रेलिक या अन्य मानव निर्मित फाइबर के अन्य यार्न की तुलना में यह बहुत अधिक है। घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि विचाराधीन उत्पाद में उच्च रोजगार अन्य मानव निर्मित यार्न के विपरीत उत्पादन की प्रकृति के कारण से है।

#### ड. निष्कर्ष

149. जैसा कि ऊपर दर्ज किया गया है, प्राधिकरण के समक्ष उठाए गए तर्कों, प्रस्तुतियों, प्रदान की गई जानकारी और उपलब्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और पाटन जारी रहने/पुनरावृत्ति और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति की संभावना के उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर, प्राधिकरण यह निष्कर्ष निकालता है कि:
- एक समीक्षा जांच होने के कारण, विचाराधीन उत्पाद का दायरा बढ़ाया नहीं जा सकता और उसे मूल जांच की तरह ही रखा गया है। तदनुसार, विचाराधीन उत्पाद को " यार्नली काउंट से कम का फ्लेक्स 70" के रूप में परिभाषित किया गया है।
  - पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बावजूद, मूल जांच के बाद से संबद्ध देश से आयात में गिरावट आई है, लेकिन घरेलू उद्योग के उत्पादन और भारतीय मांग के संदर्भ में सापेक्ष और निरपेक्ष संदर्भ में वृद्धि जारी रही।
  - पाटनरोधी शुल्क के बिना आयातों का पहुंच मूल्य भारतीय कीमतों में कटौती कर रहा है, अतः घरेलू उद्योग केवल : शुल्कों की मौजूदगी के कारण प्रतिस्पर्धा कर रहा है।
  - संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं की पाटन की पुनरावृत्ति की संभावना के कारण घरेलू उद्योग संवेदनशील रहा है।
  - रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना यह दर्शाती है कि यदि पाटनरोधी शुल्क को इस अवस्था में बंद किया जाता है तो पाटन और क्षति के जारी रहने है। पुनरावृत्ति होने की संभावना/संभावना विश्लेषण से पता चलता है कि संबद्ध देश से भारत के अलावा तीसरे देशों में संबद्ध वस्तुओं का महत्वपूर्ण निर्यात पाटन और हानिकारक कीमतों पर है। और भारत में निर्यात करने के लिए महत्वपूर्ण मूल्य आकर्षण है क्योंकि तीसरे देशों की कीमत भारत की कीमत से कम है। यदि मौजूदा पाटनरोधी उपाय समाप्त हो जाता है तो ये कारक संचयी रूप से संबंधित देश से भारत में विषय वस्तु के निर्यात के विचलन की प्रबल संभावना का संकेत देते हैं।
  - प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्कों के प्रभाव से घरेलू उत्पादकों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई है। पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव की मात्रा के लिए प्रयोक्ताओं के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करने के बावजूद और यह बताने के लिए कि कैसे पाटनरोधी शुल्क लगाने से उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, किसी भी प्रयोक्ता ने संगत सूचना प्रदान नहीं की है। हितबद्ध पक्षकारों ने सत्यापन योग्य सूचना के साथ प्रयोक्ता उद्योग पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव को स्थापित नहीं किया है।
  - रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना से यह देखा गया है कि उपभोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव काफी कम है। अतः स करने का कोई कारण नहीं है कि वर्तमान उपाय जारी रहने से देश में यह विश्वास :विचाराधीन उत्पाद की कीमतों में वृद्धि होने की संभावना है।
150. उपरोक्त को देखते हुए प्राधिकारी ने यह पाया है कि मौजूदा पाटनरोधी शुल्कों के समाप्त होने की स्थिति में पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है और इसीलिए पाटनरोधी उपायों को आगे पांच वर्षों की अवधि के लिए जारी रखने की सिफारिश करते हैं।

**ढ. सिफारिशें**

151. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच शुरू की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित किया गया था तथा घरेलू उद्योग को पाटन, क्षति, कारणात्मक संबंध और पाटन व क्षति जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना के संबंध में सूचना प्रदान करने के लिए घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों, प्रयोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था।
152. यह निष्कर्ष निकालने के बाद कि यदि मौजूदा पाटनरोधी शुल्कों को समाप्त करने की अनुमति दी जाती है तो पाटन और क्षति जारी रहने की संभावना के सकारात्मक साक्ष्य हैं। अतः प्राधिकारी का यह विचार है कि संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के आयात पर लागू पाटनरोधी शुल्क को आगे भी जारी रखने की जरूरत है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, जैसा कि ऊपर बताया गया है, निर्दिष्ट प्राधिकारी संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयात पर पाटनरोधी शुल्क के विस्तार की सिफारिश करना उचित मानते हैं। तदनुसार, चीन के उत्पादकों के लिए पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश नीचे दी गई शुल्क तालिका के अनुसार की जाती है।
153. इस प्रकार, पाटनरोधी नियमावली के नियम 4(घ) और नियम 17 (1) (ख) में निहित प्रावधानों के अनुसार, प्राधिकारी मौजूदा पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग की पाटन और क्षति का संभावना को दूर किया जा सके। तदनुसार, सरकार द्वारा जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से पांच (5) वर्षों के लिए संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित वस्तुओं के सभी आयातों पर शुल्क तालिका के कॉलम 7 में उल्लिखित राशि के बराबर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की जाती है।

**शुल्क तालिका**

क्र.सं.	शीर्ष/ उप शीर्ष	वस्तुओं का विवरण	मूलता का देश	निर्यात का देश	उत्पादक/निर्यातक	राशि (अम.डॉ./ किलोग्राम)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	5306, 5306 1090, 5306 2010, 5306 2090, 5306 1010	70 लिया काउंट से कम के फ्लैक्स यार्न (या 42 एनएम से नीचे)	चीन जन. गण.	चीन जन.गण. सहित कोई भी देश	जियांगशू जिनयुआन फ्लैक्स कं. लि./ झेजियांग जिनयुआन फ्लैक्स कं. लि./ झेजियांग किंगडम लिनेन कं. लि.	2.42
2.	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन जन.गण. सहित कोई भी देश	यीजिंग सनसाइन लिनेन टेक्सटाइल कं. लि.	2.29
3.	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई भी देश	क्र. सं. 1 से 2 में उत्पादकों के अलावा कोई अन्य	4.83

\*टिप्पणी: यह सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और पाटनरोधी शुल्क का निर्धारण विचाराधीन उत्पाद के विवरण के अनुसार किया जाएगा।

**आगे की प्रक्रिया**

154. इस सिफारिश के कारण केन्द्र सरकार के आदेश के खिलाफ की जाने वाली कोई अपील अधिनियम के संगत प्रावधानों के अनुसार सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण के समक्ष की जा सकेगी।

अनन्त स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY****(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th July, 2023

**FINAL FINDINGS****(Case No. AD (SSR) – 02/2023)****Subject: Final Findings - Sunset review investigation of anti-dumping duty on the imports of “flax yarn of below 70 lea count” originating in or exported from China PR-reg.**

**F. No. 07/03/2023/DGTR.**—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as “the Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Rules” or the “AD Rules”) thereof.

The Designated Authority (hereinafter also referred to as the “Authority”) received an application filed by M/s Grasim Industries Limited (Jaya Shree Textiles) and Sintex Industries Ltd (hereinafter also referred to as the “Applicants” or “domestic industry”) in accordance with Act and Rules for sunset review investigation of anti-dumping duty on imports of Flax Yarn of below 70 Lea Count (hereinafter also referred to as the “subject goods” or the “PUC”) originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as the “subject country”).

**A. BACKGROUND OF THE CASE**

1. The original anti-dumping investigation concerning imports of "flax yarn of below 70 lea count" originating in or exported from China PR was initiated vide Notification no. F.No.6/3/2018-DGAD dt 07.02.2018. The Authority recommended anti-dumping duty on the imports of "flax yarn of below 70 lea count" from China PR vide its final finding dated 18.09.2018. Based on the recommendations, the anti-dumping duty was imposed vide Customs Notification No. 53/2018-Customs (ADD) dated 18.10.2018. The said duties were levied for a period of 5 years.
2. In terms of Section 9A(5) of the Act the anti-dumping duty imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on the expiry of five years from the date of such imposition. The Authority is required to review whether the expiry of anti-dumping duty is likely to lead to the continuation or recurrence of dumping and injury.
3. Further, Rule 23(1B) of the Rules provides as follows:

*“any definitive anti-dumping duty levied under the Act shall be effective for a period not exceeding five years from the date of its imposition, unless the designated authority comes to a conclusion, on a review initiated before that period on its own initiative or upon a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry, within a reasonable period of time prior to the expiry of that period, that the expiry of the said anti-dumping duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.”*
4. In accordance with the above, the Authority is required to review, on the basis of a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry, as to whether the expiry of anti-dumping duty is likely to lead to the continuation or recurrence of dumping and injury.
5. In view of the duly substantiated application by the domestic industry with sufficient evidence of the likelihood of dumping and injury filed on behalf of the domestic industry and in accordance with Section 9A(5) of the Act, read with Rule 23 of the Rules, the Authority initiated a sunset review investigation vide Notification No. F. No. 07/03/2023-DGTR dated March 31 2023, to review the need for the continued imposition of the duties in force in respect of the subject goods originating in or exported from the subject country and to examine whether the expiry of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

6. The scope of the present review covers all aspects of the previous investigation concerning the subject goods issued vide final finding No. 6/3/2018/DGAD, dated September 18, 2018, which were implemented vide Notification No. 53/2018-Customs (ADD) dated 18.10.2018.

## **B. PROCEDURE**

7. The procedure described herein below has been followed with regard to the subject investigation:
- i. The Authority notified the embassy of the subject country in India about the receipt of the anti-dumping application before proceeding to initiate the investigation.
  - ii. The Authority issued a public notice dated March 31 2023, published in the Gazette of India Extraordinary, initiating the sunset review anti-dumping investigation concerning the imports of the subject goods from China.
  - iii. The Authority sent a copy of the initiation notification dated March 31 2023, to the Embassy of the subject country in India, known producers/exporters from the subject country, known importers/users in India, other Indian producers and other interested parties, as per the information made available by the applicants.
  - iv. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the embassy of the subject country in India in accordance with Rule 6(3) of the Rules.
  - v. In the initiation notification, the Authority had called for comments on the proposed PCN methodology from the interested parties in order to have a fair comparison. No comments were received from the interested parties and thereafter, vide letter dated 29<sup>th</sup> May 2023, the interested parties were requested to file their questionnaire response in accordance with the finalised PCN methodology.
  - vi. The interested parties were requested to provide relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known in writing within the prescribed time, in accordance with Rules 6(2) and 6(4) of the Rules.
  - vii. The embassy of the subject country in India was also requested to advise the producers/exporters from its country to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the producers/exporters was also sent to the embassy along with the names and addresses of the known producers/exporters from the subject country.
  - viii. The Authority sent questionnaires to the following known producers/exporters in the subject country, in accordance with Rule 6(4) of the Rules:
    - a. Zhejiang Jinyuan Flax Company Limited, China PR,
    - b. Heilongjiang Yanshou Jijia Flax Textile Company Limited, China PR,
    - c. Nanhai Textiles Import and Export Company Limited of Guangdong, China PR
    - d. Jiamusi Sanhe Linen Textiles Company Limited, China PR
    - e. Jiangsu Jinyuan Flax Company Limited, China PR
    - f. Ningbo Win Way Company Limited, China PR
    - g. Huzhou A Xiang Import & Export Trading Company Limited, China PR,
    - h. Changzhou Meiyuan Flax Textile Company, China PR
    - i. Huzhou Goldrich Linen Textile Company Limited, China PR
    - j. Tongling Worldbest Linen and Ramie Company Limited, China PR,
    - k. Hangzhou Shanglu Silk Company Limited, China PR
    - l. Tung Ga Linen and Cotton (Changzhou) Company Limited, China PR
    - m. Yixing Sunshine Linen Textile Company Limited, China PR

- n. Heilongjiang Kingdom Enterprise Company Limited, China PR
  - o. Suzhou Xinshen Linen Imp Andexp Company Limited, China PR
  - p. Kunshan Dalixi Trading Company Limited, China PR
  - q. The Lurex Company Limited, China PR
  - r. Huaren Linen (Hk) Company Limited, China PR
  - s. Tongxiang Jieka Import And Export Company Limited, China PR
  - t. Great Eastern Textiles (Tongling) Company Limited, China PR
  - u. Zhejiang Axiang Flax Textile Company Limited, China PR
  - v. Zhejiang Golden Eagle Company Limited, China PR
  - w. Zhejiang Golden Eagle Spun Silk Company Limited, China PR
  - x. Zhejiang Golden Eagle Yili Linen Textile Company Limited, China PR
  - y. Zhejiang Jinyuan Flax Company Limited, China PR
  - z. Zhejiang Kingdom Linen Company Limited, China PR
- ix. In response, the following exporters/producers from the subject country filed exporter's questionnaire response in the prescribed format:
- a. Zhejiang Kingdom Linen Company Limited, China PR
  - b. Heilongjiang Kingdom Linen Company Limited, China PR
  - c. Jiangsu Jinyuan Flax Company Limited, China PR
  - d. Zhejiang Jinyuan Flax Company Limited, China PR
  - e. Heilongjiang Yanshou Jijia Flax Textile Company Limited, China PR
  - f. Yixing Sunshine Linen Textile Company Limited, China PR
- x. The Authority sent importer's questionnaires to the following known importers/users of the subject goods in India, calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules:
- a. Texventures LLP
  - b. Bombay Rayon Fashions Limited, Maharashtra,
  - c. Siyaram Silk Mills Limited, Maharashtra,
  - d. Raymond Luxury Cottons Limited, Maharashtra,
  - e. Shri Damodar Yarn Manufacturing Private Limited, Daman
  - f. Bharat Vijay Mills, Gujarat
- xi. In response, the following importers/users have responded and filed importer's / user's questionnaire responses:
- a. Texventures LLP
- xii. Further information was sought from the applicants and the other interested parties to the extent deemed necessary.
- xiii. Due to the ongoing global pandemic of COVID-19, all interested parties were asked to share the non-confidential versions of all their submissions with the other interested parties via email. Submissions made by all the interested parties to the extent considered relevant have been taken into account in the final findings' Notification.
- xiv. The petition was filed based on the import data obtained from market intelligence and secondary source for the period 2019-20 to September 2022. A request was made by the Authority to the Directorate



General of Systems (DG System) to provide the transaction-wise details of imports of the subject goods for the past three years and the period of investigation, which was received by the Authority. In this investigation, it was brought to the notice of the Authority that substantial imports are being made in SEZ units, therefore, the Authority has considered the data obtained from DG Systems and SEZ online for the period April 2019 to September 2022 in the present investigation. The import data from DG Systems have been duly corroborated with the SEZ import data and response filed by the responding exporters.

- xv. The domestic industry has submitted its financial data. The non-injurious price (NIP) has been determined based on the optimum cost of production and the cost to make & sell the subject goods in India as per the information furnished by the domestic industry and in accordance with Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the Rules. Such non-injurious price has been considered to ascertain whether anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.
- xvi. Physical inspection through on-spot verification of the information provided by the applicants, to the extent deemed necessary, was carried out by the Authority. Only such verified information with necessary rectification, wherever applicable, has been relied upon for the purpose of the present final findings.
- xvii. The verification of the information provided by the producers/exporters to the extent deemed necessary, was carried out by the Authority and such verified information has been relied upon for the purpose of the present final findings.
- xviii. The period of investigation for the purpose of the present anti-dumping investigation is from October 2021 to September 2022 (12 Months). The injury investigation period has, however, been considered as the period 2019-20, 2020-21, 2021-22 and the POI. The overlap of six months between 2021-22 and the POI has been kept in consideration, while conducting the injury analysis.
- xix. In accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Authority conducted an oral hearing on June 20 2023, to provide an opportunity to the interested parties to present the relevant information orally before the Authority. All the parties attending the oral hearing were advised to file written submissions of the views expressed orally. Non-confidential versions of the written submissions were circulated to the interested parties by email, and an opportunity was given to them to submit rejoinder submissions, if any.
- xx. The arguments made in the written submissions/rejoinders received from the interested parties have been considered in the present final findings.
- xxi. The submissions made by the interested parties during the course of this investigation, wherever found relevant, have been addressed by the Authority, in this final findings.
- xxii. Information provided by the interested parties on a confidential basis was examined with regard to the sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to the other interested parties. Wherever possible, parties providing information on a confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on a confidential basis.
- xxiii. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded its final findings on the basis of the facts available.
- xxiv. In accordance with Rule 16 of the Rules Supra, the essential facts were disclosed by the Authority on 6<sup>th</sup> July 2023 to the concerned interested parties. Comments were requested by 11<sup>th</sup> July 2023. Comments received on the disclosure statement to the extent considered relevant by the Authority have been considered in this final findings.
- xxv. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is US\$1 = ₹77.48
- xxvi. In this Notification, \*\*\* represents information furnished by an interested party on a confidential basis

and so considered by the Authority under the Rules.

### C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

8. Keeping in view that the present investigation is a sunset review, at the stage of initiation, the scope of the product under consideration as defined in the original investigation was retained. The product under consideration was accordingly defined as follows:

*“7. The product under consideration for the purpose of present investigation is “flax yarn of below 70 lea count (equivalent to 42 Nm)”.*

*8. Flax Yarn is a natural cellulosic fiber having naturally antimicrobial, antifungal properties. The Yarn is generally made out of the 100% flax fiber and is called Linen Yarn or flax yarn. The flax fiber can also be blended with other fibers for making flax yarn or linen yarn. The primary use of flax yarn is in making flax fabric. Flax fabric is used for apparel and in home textiles.*

*9. All other natural cellulosic fibers such as cotton, hemp, jute and ramie are beyond the scope of the product under consideration for the purpose of present investigations. Flax yarn of 70 and above lea is specifically excluded from the scope of the product under consideration.”*

#### C.1. Views of the other interested parties

9. None of the other interested parties have made any submissions in regard to the scope of the product under consideration and like article.

#### C. 2. Views of the Domestic industry

10. The views of the domestic industry with regard to the product under consideration and like article are as follows:

- i. The product under consideration in the present petition is “flax yarn of below 70 lea count (42 Nm)”. Flax yarn of 70 and above lea is specifically excluded from the scope of the product under consideration.
- ii. Flax yarn is a linen yarn. It is a natural cellulosic fibre, highly moisture absorbent, has higher conductivity and possesses naturally antimicrobial, antifungal properties. The yarn made out of the flax fibre is called flax yarn/linen yarn. All other natural cellulosic fibres such as cotton, hemp, jute and ramie are beyond the scope of product under consideration for the purpose of present petition. If the product under consideration is described as linen/flax yarn, this is well understood in customs and market parlance.
- iii. The use of flax yarn is in making flax fabric. Flax fabric is used for apparel such as dresses, suits, separates, skirts, jackets, pants, blouses, shirts, children’s wear etc., and home textiles such as curtains, draperies, upholstery, bedspreads, table linens, sheets, dish towels etc.
- iv. There is no known difference in the PUC exported from China PR and that produced by the Indian industry. In the present case, both the imported and the domestic product have comparable characteristics in terms of parameters such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification, etc. Consumers can use and are using the two interchangeably. The two are technically and commercially substitutable and thus, are like article.
- v. The product under consideration is generally imported under HS code 5306 1090 and 5306 2090. However, import can also take place under other HS codes, therefore, it is clarified that the HS codes are only indicative, and the product description shall prevail in all circumstances.
- vi. The Designated Authority adopted a PCN methodology after seeking comments from all interested parties. The applicants have put on record all relevant information including PCN-wise cost of production of the domestic industry.

#### C.3. Examination by the Authority

11. The present investigation is a sunset review and the scope of the product under consideration remains the

same as defined in the final findings of the original investigation.

*“Flax Yarn of below 70 lea count (equivalent to 42 Nm)”*. It was noted that in Para 9 of the original final findings that the scope of PUC is *“All other natural cellulosic fibers such as cotton, hemp, jute and ramie are beyond the scope of the product under consideration for the purpose of present investigations. Flax yarn of 70 and above lea is specifically excluded from the scope of the product under consideration”*.

12. It is clarified that the scope of the PUC is limited to “flax yarn of below 70 lea count (equivalent to 42 Nm)”.
13. The product under consideration is generally classified under Chapter 53 of the Customs Tariff Act under head 5306 and subheadings 53061010, 53061090, 53062010 and 53062090. The HS codes are considered only indicative, and the product description is decisive for the purpose of the present investigation.
14. Flax yarn is a natural cellulosic fibre having naturally antimicrobial, antifungal properties. The yarn is generally made out of 100% flax fibre and is called linen yarn or flax yarn. The flax fibre can also be blended with other fibres to make flax yarn or linen yarn. The primary use of flax yarn is in making flax fabric. Flax fabric is used for apparel and in-home textiles.
15. The Authority notes that the subject goods are being imported in various Lea Counts. The applicants had proposed product control numbers (PCN) in order to make PCN to PCN comparison. Considering the parameters that impact the associated cost and prices of the product, the Authority invited comments on the proposed PCN methodology vide the initiation notification. However, no comments were received by the interested parties within stipulated time. The Authority notified a PCN methodology vide communication no 7/3/2023- DGTR, dated 29<sup>th</sup> May 2023. The PCN methodology adopted in the present investigation is as follows:

SN	Lea Category	Nm Category	PCN
1	Upto 5 lea	Upto 3 Nm	01
2	Above 5 and upto 10	Above 3 and upto 6	02
3	Above 10 and upto 15	Above 6 and upto 9	03
4	Above 15 and upto 20	Above 9 and upto 12	04
5	Above 20 and upto 25	Above 12 and upto 15	05
6	Above 25 and upto 30	Above 15 and upto 18	06
7	Above 30 and upto 35	Above 18 and upto 21	07
8	Above 35 and upto 40	Above 21 and upto 24	08
9	Above 40 and upto 45	Above 24 and upto 27	09
10	Above 45 and upto 50	Above 27 and upto 30	10
11	Above 50 and upto 55	Above 30 and upto 33	11
12	Above 55 and upto 60	Above 33 and upto 36	12
13	Above 60 and upto 65	Above 36 and upto 39	13
14	Above 65 and Less than 70	Above 39 and Less than 42	14

16. The Authority notes that the product under consideration produced by the domestic industry and imported from the subject country are comparable in terms of physical & chemical characteristics, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing, and tariff classification of the goods. The goods produced by the domestic industry and imported from the subject country are like articles in terms of the Rules. The two are technically and commercially substitutable. The Authority holds that the subject goods produced by the domestic industry are like article to the product under consideration imported from the

subject country within the scope and meaning of Rule 2(d) of anti-dumping Rules.

## **D. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING**

### **D.1. Views of the other interested parties**

17. None of the other interested parties have made any submission regarding the standing and scope of domestic industry.

### **D.2. Views of the Domestic industry**

18. Following submissions have been made by the domestic industry with regard to standing and scope of the domestic industry:

- i. The application has been filed by M/s Jaya Shree Textiles Limited and M/s Sintex Industries. The applicants account for a major proportion in total Indian production of the product concerned in India.
- ii. The application was supported by M/s Linen Art Pvt. Ltd., M/s Golden Fibre LLP and M/s Raymond Luxury Cottons Ltd. at the time of filing the application.
- iii. The applicants are neither related to any producer/exporter of the product under consideration in China PR, nor are they related to any importer in India or exporter in the subject country. Further, the applicants have not imported the product under consideration from China. Thus, the applicants should be considered eligible to constitute domestic industry in terms of Rules.
- iv. The applicants are not related to any producer-exporter of the subject goods in China or importer in India.
- v. The applicants have sufficient standing and constitute domestic industry within the meaning of the Rules, even though this is not a condition mandatory for a sunset review investigation.

### **D.3. Examination by the Authority**

19. Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules defines domestic industry as under:

*“(b) “domestic industry” means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term ‘domestic industry’ may be construed as referring to the rest of the producers”.*

20. The present application is filed by M/s Grasim Industries Limited (Jaya Shree Textiles) and Sintex Industries Ltd. M/s Raymond Luxury Cottons, M/s Linen Art Pvt. Ltd. and M/s Golden Fibre LLP have also supported the petition and requested imposition of the duty. There are three more domestic producers of the subject goods, namely, M/s Champdani Industries, M/s Kamarhati Jute Mill and M/s WFB Baird & Co. India Pvt. Ltd. It is seen that the number of domestic producers has increased from the original investigation.

21. Further, the production by the applicants constitutes around \*\*\*% of the total Indian production and constitutes a major proportion of Indian production. However, relevant information provided by the supporters as made available has been nevertheless separately examined at relevant places in order to ascertain whether its performance shows a materially different position as compared to the applicants.

22. On examination of the material on record as above, and considering the legal provisions, the Authority holds that the applicants constitute domestic industry in terms of Rule 2(b) of the Anti-dumping Rules and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules.

## **E. ISSUES RELATED TO CONFIDENTIALITY**

### **E.1. Views of the other interested parties**

23. Following submissions have been made by other interested parties in regard to confidentiality claimed by them and the domestic industry:

- i. The domestic industry has claimed confidentiality on information that is not confidential, such as

their financial statements and the statement of Indian production. This is preventing other interested parties from making their submissions, as they do not have access to this information.

- ii. The imports by the petitioner and supporters should also be disclosed so that other interested parties can objectively comment on the petitioner's eligibility to be treated as domestic industry under Rule 2(b) of the AD Rules.
- iii. Information pertaining to raw material, utilities, other conversion cost and interest cost reported in Format C1 are treated in confidence without being accompanied by a non-confidential summary.
- iv. The petitioner has claimed excessive confidentiality and thus, the right of defence cannot be fully exercised. The petition fails to meet the standards laid down in Rule-7 of the Rules and Trade Notice No. 01/2013 dated December 09, 2013. Our right to defence is curtailed as significant data is not properly indexed in NCV petition.

#### E.2. Views of the Domestic Industry

24. Following submissions have been made by the domestic industry in regard to confidentiality:

- i. The applicants have claimed only such information as confidential which is neither in public domain nor mandated by law to disclose. Further, the petitioner has provided reasons, at appropriate places, for claiming confidentiality.
- ii. The information related to production (own, supporters, other producers, total in India), export sales volume, domestic sales volume (own, supporters, other producers), imports of the subject goods by petitioner and supporters, market share, captive consumption, capacity utilisation, inventory and employment of the petitioner are business sensitive information, disclosure of which would seriously jeopardise the commercial interests of petitioner.
- iii. Costing information by nature is highly business sensitive and therefore claimed as confidential. Petitioner has not prepared its injury information on the basis of published information of the legal entity. The applicants maintain separate financial records for divisions dealing in the subject goods, which operates as a division or unit of the company. All information has been taken from the financial accounts of the applicants, which are separately audited. The financial information related to applicants is not separately available in the public domain. The relevant information has been provided to the Authority on a confidential basis as the disclosure of the same would jeopardise the interest of the applicants.
- iv. The applicants have estimated the allowances/deductions used for the calculation of net export price and sales of other Indian producers. The exporters have not shown (in fact, not even claimed) that the amounts adopted by the applicants are excessive. In any case, the Authority will consider the data submitted by the exporters after due verification.
- v. The details of imports made by the applicants and the supporters are business-sensitive information and, therefore cannot be disclosed. The information has been provided in the indexed form which is justifiable as per the law.
- vi. The information related to raw material, utilities, other conversion cost and interest cost reported in Format C1 is confidential in nature and disclosure of which would seriously jeopardise the interests of the applicants.
- vii. The respondents have claimed excessive confidentiality in the exporter questionnaire response and the same curtails our right to comment as the responses do not provide a meaningful summary without assigning any good cause for the same. The submissions of all the exporters and producers from the subject country should be disregarded and deny them the individual treatment.

#### E. 3. Examination by the Authority

25. Various submissions have been made by the applicants as well as the other interested parties during the course of the investigation with regard to confidentiality, to the extent considered relevant by the Authority, have been examined below.

26. With regard to the confidentiality of information, Rule 7 of the Anti-Dumping Rules provides as follows:

*“Confidential information: (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule (2) of rule 12, sub-rule (4) of rule 15 and subrule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated Authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated Authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorisation of the party providing such information.*

*(2) The designated Authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated Authority a statement of reasons why summarisation is not possible.*

*(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalised or summary form, it may disregard such information.”*

27. The Authority considers that any information which is by nature confidential (for example, because its disclosure would be of significant competitive advantage to a competitor or because its disclosure would have a significantly adverse effect upon a person supplying the information or upon a person from whom that person acquired the information), or which is provided on a confidential basis by the parties to an investigation shall, upon good cause shown, should be treated as such by the Authority. Such information cannot be disclosed without the specific permission of the party submitting it.

28. The Authority has considered the claims of confidentiality made by the applicants and the other interested parties and on being satisfied about the same, the Authority has allowed the claims on confidentiality. The Authority made available to all the interested parties the non-confidential version of evidence submitted by various interested parties for inspection.

## **F. MISCELLANEOUS SUBMISSION**

### **F.1. VIEWS OF OTHER INTERESTED PARTIES**

29. FOLLOWING MISCELLANEOUS SUBMISSIONS HAVE BEEN MADE BY THE OTHER INTERESTED PARTIES:

- i. The petitioner has not brought any substantive evidence to provide the condition for initiation of AD investigation while the investigating Authority has not carried out appropriate scrutiny of facts.
- ii. Domestic supply of the PUC in the Indian market falls significantly as most of the Indian producers of the PUC, including the DI, are more concerned towards fulfilling their own captive demand. They increase their captive consumption of the PUC when the demand is high (peak season), to manufacture and supply linen textile and apparel to their own retail stores. DI itself imports from Bangladesh to fulfil its captive demand. Its own production falls short. Downstream users are forced to import from China and other countries to fulfil their demand by paying higher prices.
- iii. The applicants have themselves imported from Bangladesh and have stated that the prices of Bangladesh to India should not be considered for construction of normal value as these are dumped imports. This should be considered as a self-admission of DI that they are importing from Bangladesh at dumped prices for themselves. They are self-inflicting injury.
- iv. The applicants are seeking excess protection, which is not the purpose of ADD. ADD is supposed to create a level playing field, which it has done already. Therefore, there is no need for the continuation.
- v. The Authority to verify whether the applicants are manufacturing different products on the same production line as the PUC and any inconsistencies in apportionment should be addressed.
- vi. Paper book should be circulated with all interested parties before the hearing.

- vii. The petitioner, Grasim Industries, takes benefit of anti-dumping measures when it undergoes negative circumstances, and enough protection has already been given in other products of the petitioner. It is a habitual user of anti-dumping measures.
- viii. The Competition Commission of India has imposed a penalty of Rs. 302 crore on Grasim Industries for adopting monopolistic practices and abusing its dominant position. In case the duty is recommended, they may misuse the anti-dumping mechanism to lead to a monopolistic situation in flax yarn also.

## F.2. VIEWS OF THE DOMESTIC INDUSTRY

30. Following miscellaneous submissions have been made by the domestic industry:

- i. The information provided in the petition clearly show that the domestic industry has performed better after the imposition of ADD. The Authority had initiated the present investigation on the basis of sufficient evidence of likelihood of dumping of the subject goods from the subject country, and injury to the domestic industry and causal link between dumping and injury suffered by the domestic industry.
- ii. The captive demand of the Indian industry is below 15% of the total demand. A significant portion of the capacity of Indian industry is still left underutilised, especially with other producers. The captive demand cannot be the reason for increase in imports as there is still sufficient capacity to meet the entire Indian demand.
- iii. The performance of the domestic industry has improved after imposition of ADD. However, the position of the domestic industry is still vulnerable as is evident with the post POI performance which shows that the industry has started incurring losses.
- iv. The domestic industry has not suffered injury due to imports from Bangladesh. The interested parties have contended that a volume of 3,407 MT from China was not capable of causing injury and a volume of \*\*\* MT imported by one of the applicants caused injury to the domestic industry.
- v. Imports from Bangladesh were very low in volume in relation to production and consumption in India. Further, share of imports made by one of the domestic industry were quite insignificant considering its production and Indian consumption.
- vi. Even with a total of 8 producers in India with capacity to meet the entire Indian demand, the imports from China have amounted to around 20% throughout the injury period instead of the base year, despite duties in place. This signifies that the performance of Indian industry is of no substance to the Chinese producers.
- vii. The performance of the domestic industry has improved however is not as strong as has been projected by the respondents.
- viii. 3,407 MT of imports is still significant as these imports are taking place when there is no demand supply gap, unlike the situation that was prevalent in OI where imports was a necessity. Imports have maintained almost 20% share in the demand and the same cannot be considered as insignificant.
- ix. The applicants are helpless against unfair trade practices and dumped foreign imports causing injury. The only remedy available against said practices in law is trade remedial measures. The industry facing injury due to dumping can only seek remedy to the injury via an ADD investigation, and therefore participation in unrelated ADD investigations is of no essence for the present investigation.
- x. The paperbook contained information that was all available in the NCV of the application as shared with the other interested parties. As there was no new information shared during the oral hearing, the paperbook wasn't circulated beforehand as all the information had already been shared in the NCV.
- xi. The CCI investigation is unrelated to the ongoing review investigation. The CCI action has no impact on the ongoing investigation. Additionally, the present review investigation is for the entire Indian industry and note merely for one company.

**F.3. EXAMINATION BY THE AUTHORITY**

31. Miscellaneous submissions by the interested parties have been examined as under:

- i. With regards to the submissions made by the interested parties that the domestic industry has not brought any substantive evidence to provide the condition for initiation of AD investigation and the investigating Authority has not carried out appropriate scrutiny of facts, the Authority notes that the applicants had provided sufficient information that meets the required conditions for initiation of the present review investigation. The investigation was initiated after satisfying that sufficient evidence, as required under Rules, was available justifying the initiation.
- ii. As regards the argument that the domestic supply of the PUC in the Indian market falls significantly due to the Indian producers being more inclined towards fulfilling their captive demand. Captive consumption of the Indian Industry as per the information provided by the domestic industry, is under 15% of the total Indian demand. The Authority further notes that the Indian industry is left with unutilised capacity, which surpasses the volume that is being consumed captively by the Indian producers. This shows that captive consumption is not the reason for imports made by the downstream industry. The Authority notes that, the other interested parties have not provided any evidence to establish their argument. In any, case, the Authority considers that a gap in demand and supply cannot be a reason for depriving the domestic industry of seeking redressal against the likelihood of dumping and injury by the subject imports.
- iii. Regarding the submission that the applicants have imported from Bangladesh and the industry is causing self-inflicted injury, the Authority notes that imports made by the applicant company is insignificant in relation to its production and Indian consumption. Further, total imports from Bangladesh are low in relation to Indian consumption as against imports from China which remains significant even with the imposition of duties. The DG Systems data considered shows that the price from Bangladesh is higher than the price at which goods are being exported from China.’
- iv. As regards the contention that domestic industry should circulate paperbook, the Authority has noted that the domestic industry had shown figures and information already provided in the NCV of their application. This NCV of the application was already circulated with other interested parties by the applicant. Further, the applicants circulated the paperbook following the oral hearing in order to enable the interested parties to give comments in its written submissions.
- v. As regards the contention that applicants are a frequent and habitual user of anti-dumping measures, the Authority notes that anti-dumping duties are remedial measures that can only be imposed after extensive scrutiny and investigation. These measures are only imposed after establishing the existence of dumping, injury and a causal link between the two. The Authority considers that the applicant's participation in other AD investigations in other products has no effect on the present review investigation.
- vi. Regarding the submission that the Competition Commission of India has imposed penalties on Grasim for monopolistic practice, the Authority notes that the investigation by the CCI is unrelated to the present review investigation. The CCI had investigated Grasim for practices in an unrelated product. In addition to the above, the role of CCI and remedy under the AD rules are on a different premise, and therefore to say that since there is a penalty imposed by the CCI on one of the applicants constituting the domestic industry in the current investigation and therefore remedy under AD Rules cannot be provided is untenable. The Authority notes that the scope of the present investigation is with regard to examining the possibility of likelihood of continuation or recurrence of dumping of the product under consideration, whether the same is likely to cause injury to the domestic industry and whether anti-dumping duties are required to be extended.

**G. DETERMINATION OF NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN****G.1. VIEWS OF OTHER INTERESTED PARTIES**

32. The submissions made by the other interested parties on determination of normal value, export price and dumping margin are as follows:



- i. Prices from Ethiopia should not be discarded merely because the investment in Ethiopia is from Chinese manufacturers. Goods produced in Ethiopia are neither of Chinese origin nor are affected by prices in China. The Ethiopian producer's relation with Kingdom Group, China is irrelevant. Further, the applicants have not provided any evidence as to how the investments in Ethiopia affects the price of the PUC from Ethiopia. Ethiopian prices are in fact higher than prices from Bangladesh during the POI.
- ii. Determination of normal value based on constructed cost in India with reasonable returns is illegal and contrary to Para 7 of Annexure-I. Normal value is required to be determined having regard to the various sequential alternatives provided under Para 7 of Annexure-I.
- iii. The normal value must be determined in accordance with the hierarchy of methods prescribed in Para 7 of Annexure-I of the AD Rules. The price of the PUC from Bangladesh should be used as the normal value in the second option under paragraph 7 of Annexure-I to the 1995 Rules.
- iv. Export price of Kingdom Group should be determined based on their questionnaire responses. Respondents filed both parts of questionnaires meant for SSR investigation along with the transaction wise details of exports to third countries and identified PCNs.
- v. Disregard PCNs with negative dumping margin and considering only PCNs with positive dumping margin is called zeroing, which is illegal. There is no provision for zeroing under the Indian law. Reference made to Appellate Body Report in European Communities –cotton-type Bed Linen from India, and the Appellate Body Report in United States –Softwood Lumber, where it was held that zeroing fails to fully and duly account for actual prices of export transaction that take place during a POI and result in inflated dumping margin.
- vi. The applicants have also not provided any evidence for claiming that there is targeted dumping in the present review.
- vii. The applicants have not provided any data to the other interested parties that performance of the domestic industry has deteriorated post POI.
- viii. As a result of the strong protection afforded to the domestic industry the subject imports declined from 9,371 MT in the POI of the original investigation to 3,407 MT in the POI of the present review. The import price from China has also almost doubled in the POI of the current review compared to the POI in the original investigation.
- ix. The domestic industry has not shown that the company is dumping the PUC into India, nor had it showed that it has excess or surplus capacities. It has also not shown that there is price suppression or depression in the market and also has not provided any other relevant evidence to support its claim.
- x. Provisions of Section 9A(6A) of the Customs Tariff Act, 1975, which states that the margin of dumping for an exporter has to be determined based on the information provided by that exporter. This provision applies both in original investigations as well as sunset reviews conducted pursuant to Section 9A(5) of the Customs Tariff Act, 1975.

## **G.2. Views of the Domestic Industry**

33. The following are the submissions made by the domestic industry with regard to determination of normal value, export price and dumping margin are as follows:
  - i. The subject country has continued to dump into India despite the imposition of antidumping duty.
  - ii. The dumping margin for some of the PCNs where imports are higher is far more significant. This implies “targeted dumping”.
  - iii. The Authority should determine why the dumping margin should be determined on the basis of all imports when exporters have resorted to targeted dumping in the Indian market.
  - iv. PCNs with negative dumping margin should be disregarded and only PCNs with positive dumping margins should be adopted.

- v. Market economy status cannot be granted to the respondents unless the responding exporters satisfy that none of their major shareholders is a state owned/controlled entity, that the prices of major inputs substantially reflect market values; unless the responding Chinese exporters pass the test in respect of each and every parameter laid down under the rules and that the responding company has participated in the present investigation along with its related parties involved with the PUC.
- vi. Market economy treatment cannot be given where Chinese exporters are unable to establish that their books are consistent with International Accounting Standards (IAS).
- vii. It is for the responding Chinese exporters and not for the Authority to establish that they are operating under market economy conditions.
- viii. The normal value for China in such a case can be determined only in accordance with the provisions of para 7 of the Annexure I to Anti-dumping Rules in view of the aforementioned facts and circumstances.
- ix. Normal value in China of the product under consideration could not be determined on the basis of price or constructed value in a market economy third country for the reason that the relevant information is not publicly available.
- x. Normal value in China could not be determined on the basis of price from such third country to other country, including India as the relevant information is not publicly available pertaining to exports from market economy third countries to other countries. Regarding imports into India, apart from China, imports are from Ethiopia and Bangladesh. Imports from Ethiopia are from related party of the Chinese producer and is in the same group exports (Kingdom group) and the import price from Bangladesh is dumped, therefore both these prices are not appropriate to be taken for determination of normal value.
- xi. The applicant has determined Normal Value in China on the basis of the cost of production, considering consumption norms of the domestic industry for raw material and utilities, taking the price of all raw materials as per the domestic industry and duly adjusted with selling, general and administrative expenses and considering the consumption norms of the applicants.
- xii. The export price is constructed based on the information available from the import data after making due adjustments based on the best available information with the industry to make it comparable with normal value.
- xiii. The dumping margin is positive and substantial.
- xiv. The response of the respondents should not be accepted if the exporters have not filed transaction wise details of exports to third countries and have not identified PCN therein, in any case, the Authority should not accept the EQR.
- xv. The very fact that the exporters have resorted to dumping gets established by their tacit admission in not denying the existence of dumping.
- xvi. None of the exporters have claimed market economy treatment. In fact, they have stated that they do not request market economy treatment and that they accept the normal value determined by DGTR.

### G.3. Examination by the Authority

34. Under section 9A (1) (c), normal value in relation to an article means:

*(i) the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when destined for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*

*(ii) when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either –*

*(a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting*

country or territory to an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

(b) the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6):

*Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transshipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.*

35. Article 15 of the China's Accession Protocol with the WTO provides as follows:

*"Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 ("Anti-Dumping Agreement") and the SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO Member consistent with the following:*

*"a) In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules:*

*i. If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;*

*ii. The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.*

*b) In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO Member may then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China.*

*c) The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.*

*d) Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event, the provisions of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO Member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the non-market economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector."*

36. It is noted that while the provisions contained in Article 15(a)(ii) have expired on 11.12.2016. However, the provisions under Article 2.2.1.1 of the WTO read with obligation under 15 (a) (i) of the Accession protocol require the criterion stipulated in para 8 of Annexure I of India's AD Rules to be satisfied through the information/data to be provided in the supplementary questionnaire for claiming the market economy status.

37. At the stage of initiation, the Authority proceeded as per the information given by the applicants. Upon initiation, the Authority advised the producers/ exporters in China PR to respond to the notice of initiation

and provide information relevant to the determination of their market economy status. The Authority sent copies of the supplementary questionnaire to all the known producers/ exporters for rebutting the presumption of non- market economy in accordance with criteria laid down in Para 8(3) of Annexure-I to the Rules and furnish relevant detailed information. The Authority also requested the Government of China PR to advise the producers/ exporters in China PR to provide the relevant information. The following producers/exporters have co-operated in this investigation by filing the questionnaire response:

- a. Zhejiang Kingdom Linen Company Limited, China PR
- b. Heilongjiang Kingdom Linen Company Limited, China PR
- c. Jiangsu Jinyuan Flax Company Limited, China PR
- d. Zhejiang Jinyuan Flax Company Limited, China PR
- e. Heilongjiang Yanshou Jijia Flax Textile Company Limited, China PR
- f. Yixing Sunshine Linen Textile Company Limited, China PR

38. None of the exporters/producers contested the NME status of China. Thus, in view of the above position and in the absence of rebuttal of the non-market economy presumption by any Chinese exporting company, the Authority, consider it appropriate to treat China PR as a non-market economy country in the present investigation and proceeds with para 7 of Annexure-I to the Rules for determination of normal value in case of China PR.
39. As regards the argument of targeted dumping margin should be determined in the present case, it is noted that sufficient evidence has not been made available showing that the export price by the exporters varies significantly depending on the purchaser, region or time period. Thus, the Authority has not determined the targeted dumping margin.

#### **G.4. NORMAL VALUE FOR CHINA PR**

40. The Authority notes that no evidence has been provided by the domestic industry or other interested parties on prices in market economy third countries. The global trade data also could not be used to consider price from a market economy third country in view of the fact of various PCNs involved. Further, as regards imports into India is concerned, it is seen that imports from Ethiopia and Bangladesh are significant. The applicants have contended that the price of imports into India from Ethiopia is distorted due to the exporter being an extension of a Chinese producer. The applicants have also reported the existence of subsidies being granted to the Ethiopian producer. The countervailability of schemes prevailing in Ethiopia is not a subject concerning the present investigation. The Authority notes that the imports from Ethiopia are only of 2 PCNs and imports from Bangladesh are only of 3 PCNs. These 2/3 PCNs cannot represent the 14 PCNs considered by the Authority for this investigation. Thus, the normal value could not be determined on the basis of the price from such countries to India.
41. Therefore, the Authority has determined the normal value for the subject imports in China as per the "price actually paid or payable in India" as stipulated in para 7 of Annexure – I to the AD Rules, 1995. It has been computed based on the cost of production of the domestic industry, with reasonable addition for selling, general and administrative expenses, and profits. The normal value was constructed PCN wise for a fair comparison. The weighted average on the basis of quantities of various PCN by the respective producer exporter is shown in the dumping margin table below.

#### **G.5. EXPORT PRICE**

##### **A) Kingdom Group: M/s Zhejiang Kingdom Linen Co., Ltd., M/s Zhejiang Jinyuan Flax Co., Ltd., and M/s Jiangsu Jinyuan Flax Co., Ltd., M/s Heilongjiang Kingdom Linen Co., Ltd.**

42. From the responses filed, it is noted that Kingdom Group comprises of the following four related entities involved in the production and exports of the product concerned to India:
  - i. Zhejiang Kingdom Linen Company Limited, China PR -
  - ii. Heilongjiang Kingdom Linen Company Limited, China PR

- iii. Jiangsu Jinyuan Flax Company Limited, China PR
  - iv. Zhejiang Jinyuan Flax Company Limited, China PR
43. The above-mentioned four companies have filed separate responses to the Exporter's Questionnaire. Zhejiang Kingdom Linen Co., Ltd. was not involved in direct exports of the subject goods during the POI, it exported to India through Zhejiang Jinyuan Flax Co., Ltd. and Jiangsu Jinyuan Flax Co., Ltd., during the POI.
44. The volume of imports claimed by the exporters/producers in the EQR was compared with the DG system's data. The Authority noted a difference between the data reported by the exporters when compared with the data from DG Systems. The Authority proposed to use exports made by these exporters/producers as reported in DG Systems data for the purpose of determining export price. Upon issuance of the Disclosure Statement, all the responding exporters/producers have contended that the export price should be considered based on the response made by the exporters in their EQR. In the submissions made by the responding exporters/producers, they have explained that the mismatch in data may be on account of the fact that (a) sales made to units located in SEZs may not have fully reflected in DG Systems data (b) transfer of the subject goods to FTWZ may not have reflected in database and (c) time differences between date of shipping and date of landing in India. The Authority has therefore considered export price based on the response filed by the exporters. Adjustments claimed by the exporters have been duly considered by the Authority.
45. The Authority while doing the analysis of the EQR data and cross-verifying with DG system data had found that the company "*Heilongjiang Kingdom Linen Company Limited*" had not exported any volume during the POI contrary to what they reported in their EQR. The invoices presented by the exporter bear the name of some other company. The exporters have thereafter clarified, based on the evidence already on record of the investigation through business license, invoices, export documents that the Chinese name of the entity is the same and the entity bears a unique Uniform Social Credit Code confirming that the entities are same. The Authority has considered "*Heilongjiang Kingdom Enterprises Co. Ltd*" as reported in the export documents in the duty table.
46. Accordingly, the NEP has been worked out PCN wise for comparison with the respective CNV and then weighted average has been calculated. The weighted average net export price determined for exports to India is as shown in the dumping margin as per Table in the following paragraphs.

**B) M/s Yixing Sunshine Linen Textile Co., Ltd. (Producer/Exporter)**

47. M/s Yixing Sunshine Linen Textile Co., Ltd has filed exporter questionnaire response. It is noted that M/s Yixing Sunshine Linen Textile Co., Ltd., is a producer as well as exporter of the subject goods. During the POI, M/s Yixing Sunshine Linen Textile Co., Ltd., exported the subject goods to India directly.
48. As per the EQR submissions, the volume claimed by the exporters/producers was compared with the DG system's data. The Authority noted that there exists a difference between the data reported by the exporter when compared with the data from DG Systems. The Authority proposed to use exports made by these producers as reported in DG Systems data for the purpose of determining export price. Upon issuance of the disclosure statement, the responding exporters/producers have contended that the export price should be considered based on the response made by the exporters in their EQR including all export sales to SEZ. It has been submitted that the authority considered export sales to SEZ in the past investigation. The Authority has verified the accuracy of data from DG Systems and SEZ data and therefore considered export price based on the response by the exporters. Adjustments claimed by the exporters have been duly considered by the Authority.
49. Adjustments as per the claim of the responding producer/exporter except for ocean freight which was not provided by the responding producer/exporter, has been considered by the Authority. For ocean freight, the Authority has considered the information provided by the largest exporter of the subject country. It was argued that commission has not been paid by the exporter, thus the adjustment made towards commission paid has been corrected.
50. Accordingly, the NEP has been worked out PCN wise for comparison with the respective CNV and then the weighted average has been calculated. The weighted average net export price determined for exports to

India is as shown in the dumping margin as per Table in the following paragraphs.

**C) M/s Heilongjiang Yanshou Jijia Flax Textile Co. Ltd. (Producer/Exporter)**

51. M/s Heilongjiang Yanshou Jijia Flax Textile Co. Ltd. has filed exporter questionnaire response. It is noted that it is a producer and exporter of the subject goods. During the POI, it has exported the subject goods directly. Adjustments towards inland transportation and others, overseas freight, overseas insurance, bank charges and credit have been claimed by the producer and exporters and the same have been allowed by the Authority.
52. As per the EQR submissions, the volume claimed by the exporters/producers was compared with the value in DG system's data. The Authority noted that there exists a difference between the data reported by the exporter when compared with the data from DG Systems. The Authority proposed to use exports made by these producers as reported in DG Systems data for the purpose of determining export price. Upon issuance of the Disclosure Statement, all the responding exporters/producers have contended that the export price should be considered based on the response made by the exporters in their EQR including all export sales to SEZ. It has been submitted that the authority considered export sales to SEZ in the past investigation. The Authority has verified the accuracy of data from DG Systems and SEZ data and therefore considered export price based on the response by the exporters. Adjustments claimed by the exporters have been duly considered by the Authority.
53. Accordingly, the NEP has been worked out PCN wise for comparison with the respective CNV and then the weighted average has been calculated. The weighted average net export price determined for exports to India is shown in the dumping margin as per the table in the following paragraphs.

**H. DETERMINATION OF DUMPING MARGIN**

54. The dumping margin determined for each co-operating producers/exporters based on PCN wise constructed normal value and net export price, is determined as follows:

SN	Producer/Exporter	Quantity	CNV	NEP	Dumping Margin		
		MT	USD/Kg	USD/Kg	USD/Kg	%	% Range
1	Jiangsu Jinyuan Flax Co., Ltd/ Zhejiang Jinyuan Flax Co., Ltd./ Zhejiang Kingdom Linen Co., Ltd/ Heilongjiang Kingdom Enterprises Co., Ltd	***	***	***	***	***	Negative
2	Yixing Sunshine Linen Textile Co., Ltd	***	***	***	***	***	Negative
3	Heilongjiang Yanshou Jijia Flax Textile Co., Ltd	***	***	***	***	***	Negative
4	Any other than the producers at Sl. No. 1-3	***	***	***	***	***	25-35

**I. ASSESSMENT OF INJURY AND CAUSAL LINK**

**I.1. SUBMISSIONS MADE BY THE OTHER INTERESTED PARTIES**

55. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to injury and causal link:

i. Even the applicants did not claim injury due to the subject imports but stated improvement due to

- ADD and that protection is required as the industry is in a fragile state. Conditions of Indian industry improved to the level where there is healthy competition between Indian manufacturers. Based on market intelligence, respondents plotted average selling prices of the domestic industry and other Indian producers, which the Authority can verify.
- ii. The domestic industry is not vulnerable in terms of price sensitivity. There is a healthy competition between the Indian producers. So much so that the other Indian manufacturers have been undercutting the exporters as well as the applicants.
  - iii. Legally untenable submission that that even if one condition is satisfied, duty cannot be revoked, as no one factor can be a decisive guidance for determination of likelihood of continuance of material injury.
  - iv. The applicant's contention is false that none of the respondents argued against likelihood or threat of injury. Respondent raised arguments against the likelihood or threat of injury during the oral hearing dated 20th June 2023 and also in written submission.
  - v. The burden of proof is with the applicants to establish likelihood of injury. However, the applicants have failed to provide any positive evidence. The applicants are merely alleging or remote possibilities to contend likelihood of injury. It is contravention to WTO Panel Report in Pakistan-Biaxially Oriented Polypropylene Film from UAE and WTO Appellate Body Report in US- Oil Country Tubular Goods (OCTG) from Mexico.
  - vi. The Authority should use average cost of production of the applicants and not the cost of production during the POI for construction of NIP. This is in direct contravention of paras 3 and 4 of Annexure III of the AD Rules. Actual data relating to cost of production for POI of domestic industry only needs to be considered for determination of NIP.
  - vii. Domestic industry's own statement is that there is no price suppression or depression. They have not shown how there could be price suppression/depression on account of imports in the event of expiry of duties.
  - viii. The Authority to consider weighted average of NIP of individual domestic producers and take the respective share of domestic production of the subject goods for computation of weighted average NIP for domestic industry as a whole.
  - ix. Profitability of the applicants increased throughout injury period of present review. Thus, no relation between imports from China PR and profitability. Market share also remained stable over the period. Other producers managed to increase their share. Failure of the applicants to perform as well as their competitors in the Indian market not due to imports. The domestic industry is oriented towards exports and is growing its business in the export markets quite profitably. The focus of the Indian industry is their own captive consumption and export market.
  - x. The market share of the domestic industry has remained stable throughout the injury period, and imports from the subject country or other countries is too low to affect the market share of the domestic country.
  - xi. In the present case, anti-dumping duty has been in force for five years. The economic situation of the domestic industry and the Indian producers has significantly improved since then. There are now eight domestic producers of the subject goods in India, which is a substantial increase from four domestic producers during the original investigation in the year 2018.
  - xii. The domestic industry's cash profits have increased drastically throughout the injury period, but its PBT has decreased due to high interest costs.
  - xiii. The landed value of the Chinese imports is similar to the average selling price of the domestic industry. The broad range of 0-10% price undercutting given in the table above is only to hide the very low or nil price undercutting. Further, with such high landed prices from China that are comparable with domestic industry's selling prices, price suppression or price depression is out of the question. For Kingdom Group, the landed value of the imported goods is [higher and at instances, at par with the selling price of the domestic industry and other Indian producers].

- xiv. There is no volume effect and price effect. Economic Parameters have improved.
- xv. Fresh calculation of dumping margin, injury margin and rate of duty should be done for Heilongjiang Yanshou Jijia as it did not export during the original investigation and only in the SSR. In case, the Authority intends to recommend duty, it should consider the Rule 23(1), Rule 23(3), Rule 4(d) and Rule 17(1) read with Annexure 3 and incorporate the same while calculating dumping margin. List of investigations where anti-dumping duty was increased or decreased SSR investigation and list of investigations where anti-dumping duty was withdrawn by the Authority are provided on pages 7 and 8 in the rejoinder submission.
- xvi. The domestic industry is importing products from Bangladesh, which it claims are dumped. This suggests that the domestic industry may be contributing to its own injury.
- xvii. The financial mismanagement of Sintex Industries Ltd., which was facing insolvency proceedings and was acquired by Reliance Industries Limited this year, cannot be attributed to the exporters and the importers of the PUC.
- xviii. Sintex Industries Limited, being an insolvent and bankrupt company has a very high interest cost. Normalisation of interest costs has been a practice of the Designated Authority in previous investigations as held in saturated fatty alcohol case.
- xix. Injury allegedly suffered by domestic industry due to other factors than China PR.
- xx. CCI imposing penalty on Grasim for adopting monopolistic practice and abusing dominant power played a very important role in the deterioration of the performance of the domestic industry, which is attributed to alleged dumping of the subject goods and petitioners failed to provide this to the authority.
- xxi. They are inflicting self-injury. Further, they have not provided evidence as how the imports from Bangladesh are dumped imports.

## I.2. SUBMISSIONS OF THE DOMESTIC INDUSTRY

56. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to injury and causal link.
  - I. IMPORTS FROM CHINA PR DECLINED IN 2019-20 AS COMPARED TO HIGH VOLUMES DURING THE ORIGINAL CASE, I.E., 2014 – 2017. THE IMPORTS HAVE ONCE AGAIN INCREASED FROM 2020-21 ONWARDS INCLUDING IN THE POI.
  - II. CHINESE IMPORTS STILL CONSTITUTE AROUND 82% OF TOTAL IMPORTS INTO INDIA.
  - III. KINGDOM GROUP IN CHINA (THE LARGEST EXPORTER OF THE SUBJECT GOODS), HAS ESTABLISHED CAPACITIES IN ETHIOPIA AND THUS IMPORTS FROM ETHIOPIA ARE PSEUDO-CHINESE IMPORTS, WITH PRICE COMPARABLE TO CHINESE PRICE.
  - IV. IMPORTS FROM CHINA IN RELATION TO INDIAN PRODUCTION AND CONSUMPTION HAS DECLINED DEEPLY AFTER IMPOSITION OF DUTY IN 2018. HOWEVER, SAME HAVE STARTED INCREASING THEREAFTER AND ARE NOW SIGNIFICANT.
  - V. IMPORTS DID NOT CAUSE SIGNIFICANT INJURY ONLY DUE TO THE EXISTENCE OF DUTIES IN PLACE.
  - VI. IMPORTS ARE UNDERCUTTING PRICES IN THE DOMESTIC MARKET, HOWEVER, THE DUTIES IN PLACE HAVE PREVENTED THE IMPORTS FROM CAUSING PRICE SUPPRESSION OR DEPRESSION IN THE MARKET IN THE POI.
  - VII. LANDED PRICE OF IMPORTS ARE BELOW THE NON-INJURIOUS PRICE OF THE DOMESTIC INDUSTRY, HIGHER IN PCNS WITH HIGH IMPORT VOLUMES. ABSENCE OF ADD WOULD HAVE HAD DEPRESSING EFFECT ON THE PRICES OF THE DOMESTIC INDUSTRY IN THE MARKET.
  - VIII. AFTER INCREASE IN CAPACITY OF THE DOMESTIC INDUSTRY FROM OI, THE INDIAN INDUSTRY IS NOW SUFFICIENT TO CATER TO THE INDIAN DEMAND. DESPITE THIS,



THE MARKET SHARE OF IMPORTS HAS HOWEVER INCREASED OVER THE PRESENT INJURY PERIOD.

- IX. THE IMPORTS FROM THE SUBJECT COUNTRY FIRST DECLINED, BUT THEN HAVE BEEN INCREASING CONTINUALLY. FURTHER, VOLUME OF IMPORTS REMAINED SIGNIFICANT IN THE PRESENT POI.
- X. THE ROI OF THE INDUSTRY HAS IMPROVED. HOWEVER, THE SAME IS STILL BELOW THE REASONABLE LEVELS CONSIDERED BY THE AUTHORITY. THE DI SUFFERED LOSSES IN THE FIRST TWO YEARS OF THE PRESENT INJURY PERIOD, THE DI HAS NOW COME BACK TO THE PROFITS IN THE REGION OF PRE-DUMPING PERIOD I.E. 2014-15. THE CASH PROFITS FOLLOW THE SAME TREND.
- XI. INVENTORIES HAVE INCREASED AGAIN IN THE POI WITH INCREASE IN IMPORTS.
- XII. IMPOSITION OF DUTIES LED TO A POSITIVE GROWTH; HOWEVER THE DI IS STILL IN A FRAGILE CONDITION, VULNERABLE TO INJURY.
- XIII. DUMPING MARGIN IS STILL POSITIVE AND SIGNIFICANT.
- XIV. IN CASE DUTY CEASES, IMPORTS FROM THE SUBJECT COUNTRY WOULD INCREASE FURTHER. CONSEQUENTLY, THE DOMESTIC INDUSTRY WOULD BE FORCED TO REDUCE THE PRICE OF THE PRODUCT RESULTING IN ADVERSE PRICE EFFECT OF DUMPING ON THE DOMESTIC INDUSTRY.
- XV. SHOULD THE DOMESTIC INDUSTRY BE FORCED TO REDUCE THE PRICES, ITS NATURAL IMPACT WOULD BE ON THE PROFITABILITY OF THE DOMESTIC INDUSTRY, AND CONSEQUENTLY ROI AND CASH PROFITS.
- XVI. SHOULD THE DOMESTIC INDUSTRY CHOOSE TO MAINTAIN ITS CURRENT PRICE LEVELS, IT WILL SUFFER ADVERSE VOLUME EFFECT, CONSIDERING THE SIGNIFICANT PRICE UNDERCUTTING.
- XVII. SHOULD THE DOMESTIC INDUSTRY PREFER TO LOSE SALES VOLUMES, IT WOULD SPELL MUCH BIGGER INJURY. DECLINE IN SALES VOLUME WOULD RESULT IN INCREASE IN INVENTORIES LEVEL AND CONSEQUENT DECLINE IN PRODUCTION, CAPACITY UTILIZATION, AND PRODUCTIVITY.

### I.3. EXAMINATION BY THE AUTHORITY

57. The Authority has examined the evidence submitted by all the interested parties with regard to injury to the domestic industry. The injury analysis made by the Authority hereunder addresses the various submissions made by the interested parties.
58. According to Section 9(A)(5) of the Customs Tariff Act, anti-dumping duty imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on the expiry of five years from the date of such imposition, provided that if the Central Government, in a review, is of the opinion that the cessation of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury, it may, from time to time, extend the period of such imposition for a further period of five years and such further period shall commence from the date of order of such extension.
59. The Authority notes that this being a sunset review of anti-dumping duty already in force, the continuation of material injury to the domestic industry, as well as the likelihood of continuation or recurrence of material injury, needs to be examined in the context of actual or likely imports of the subject goods from the subject country. In the instant case, the Authority notes that imports have declined from the original investigation, however, imports have increased in the POI compared to the base year of the present injury period.
60. In consideration of submissions received in this regard, the Authority has first examined the current injury, if any, to the domestic industry before examining the likelihood aspects of dumping and injury on account of imports from the subject country.

### Volume effect of dumped imports and impact on domestic industry

#### i. Assessment of Demand

61. The Authority has defined, for the purpose of the present investigation, demand, or apparent consumption of the subject goods in India as the sum of domestic sales of the Indian producers and imports from all sources. The demand for the product under consideration is given below:

SN	Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	POI
1	Sales of Domestic Industry including Captive	MT	***	***	***	***
	<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>64</i>	<i>107</i>	<i>118</i>
2	Sales of Supporters including Captive	MT	***	***	***	***
	<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>82</i>	<i>114</i>	<i>132</i>
3	Sales of Other Producers	MT	***	***	***	***
	<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>67</i>	<i>116</i>	<i>117</i>
4	Imports from Subject Country	MT	3,167	2,061	3,315	3,455
5	Import from Other Countries	MT	186	110	557	830
6	Total demand including captive	MT	***	***	***	***
	<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>68</i>	<i>111</i>	<i>123</i>
7	Total demand excluding captive	MT	***	***	***	***
	<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>69</i>	<i>108</i>	<i>120</i>

62. It is seen that the demand of the PUC declined in 2020-21 from the base year and increased thereafter till the POI.

#### ii. Import volumes and share of the imports from the subject country

63. With regard to the volume of the subject imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports either in absolute terms or relative to production or consumption in India. The volume of imports of the subject goods from the subject country has been analysed as under:

SN	Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	POI
1	Subject Country Imports	MT	3,167	2,061	3,315	3,455
2	Other Country imports	MT	186	110	557	830
3	Total Imports	MT	3,353	2,172	3,873	4,285
4	Subject Imports in Relation Indian production	%	***	***	***	***
5	Subject Imports in Relation Indian consumption	%	***	***	***	***

64. It is seen that:

- a. The imports from the subject country have declined since the original investigation period. Imports in the present injury period declined in 2020-21 and increased thereafter over the injury period.

b. Imports in relation to production and consumption have marginally declined, however, remain significant.

65. Despite the industry enhancing capacity to meet the domestic demand, imports still constitute a significant share of domestic consumption.

**iii. Price effect of the subject imports and impact on domestic industry**

66. With regard to the effect of dumped imports on prices, the Authority has considered whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like product in India, or whether the effect of such dumped imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increase, which otherwise would have occurred, to a significant degree.

**iv. Price undercutting**

67. Price undercutting has been worked out by comparing the landed price of the imports with the selling price of the domestic industry for the investigation period. The price undercutting has been determined separately for each PCN produced by the domestic industry and thereafter for the product under consideration as a whole. The weighted average undercutting computation is as under:

POI	QTY MT	LV Rs/ Kg	NSR Rs/Kg	Price Undercutting (Rs/Kg)	Price Undercutting (%) Range
Subject Country	3,455	1,424	***	***	0-10

68. The Authority notes that the weighted average undercutting is positive during the POI.

**v. Price underselling / Injury Margin**

69. The Authority has worked out non-injurious prices of the subject goods and compared the same with the landed value of the imported goods to arrive at the extent of price underselling. The price underselling/ injury margin has been determined separately for each PCN and thereafter for the product under consideration as a whole.

70. It is noted from the below table that the price underselling/ injury margin is positive, indicating that the imports have entered the market at injurious prices. The injury margin for cooperative producers/exporters is also evaluated as under:

Country	Producer	NIP	Landed Price	Injury Margin	Injury Margin	Injury Margin
	Wt. Avg.	USD/Kg	USD/Kg	USD/Kg	%	Range
China PR	Jiangsu Jinyuan Flax Co., Ltd/ Zhejiang Jinyuan Flax Co., Ltd./ Zhejiang Kingdom Linen Co., Ltd/ Heilongjiang Kingdom Enterprises Co., Ltd	***	***	***	***	0-10
	Yixing Sunshine Linen Textile Co., Ltd	***	***	***	***	Negative
	Heilongjiang Yanshou Jijia Flax textile Co., Ltd	***	***	***	***	Negative
	Others	***	***	***	***	15-25
China PR as a whole		***	***	***	***	Negative

**vi. Price suppression and depression**

71. In order to determine whether the effect of imports is to depress prices or prevent price increases which otherwise would have occurred, the Authority has examined the changes in the landed price of imports, and costs & prices of the domestic industry over the injury period.

SN	Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	POI
1	Cost of sales	Rs./Kg	***	***	***	***
2	<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	90	93	105
3	Selling price	Rs./Kg	***	***	***	***
4	<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	92	110	122

72. It is seen that the cost of sales of the domestic industry has declined initially but has increased more than the base year in the POI, and the selling price has increased constantly. Thus, the imports were not having any suppressing or depressing effect on the prices of the domestic industry in the market. The weighted average Landed Value for China PR in POI is 1,424 Rs/Kg which is below the level of weighted average selling price resulting into positive undercutting.

**Economic Parameters relating to the domestic industry**

73. The Rules require that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. With regard to the consequent impact of these imports on domestic producers of such products, the Rules further provide that the examination of the impact of the imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. The Authority has, accordingly, herein under-examined the performance of the domestic industry over the injury period.

**i. Production, capacity, capacity utilization and sales**

74. The position of the domestic industry over the injury period with regard to production, capacity, capacity utilization, domestic sales and export is as under:

SN	Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	POI
1	Capacity	MT	***	***	***	***
	<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	100	100	100
2	Production - Total	MT	***	***	***	***
	<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	61	115	125
3	Production - PUC	MT	***	***	***	***
	<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	61	116	126
4	Capacity Utilization	%	***	***	***	***
	<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	61	115	125
5	Domestic Sales	MT	***	***	***	***
	<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	64	104	116
6	Export Sales	MT	***	***	***	***
	<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	42	137	168

75. The Authority notes that the capacity of the domestic industry has remained at the same level over the injury period. The capacity utilization of the domestic industry decreased during 2020-21 during the COVID period but improved thereafter.

76. The information provided by the supporters on capacity, production and sales is given below:

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	POI
Capacity	MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>		100	100	100	110
Production	MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>		100	84	120	119
Capacity Utilization	%	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	84	120	107
Domestic Sales	MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>		100	87	102	122

77. It is seen that the capacity with the supporters have shown increase. Production and sales by the supporters have also shown increase.

#### ii. Market Share in demand

78. The market share of the domestic industry and domestic producers over the injury period is as under:

SL.No.	Market Share	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	POI
1	Sales of Domestic Industry	%	***	***	***	***
	<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	93	96	96
2	Sales of supporters	%	***	***	***	***
	<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	121	102	108
3	Sale of Other Producers	%	***	***	***	***
	<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	98	104	95
4	Subject Country	%	***	***	***	***
	<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	95	94	89
5	Other Countries	%	***	***	***	***
	<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	87	269	363
6	Total Demand	%	100	100	100	100

79. Post-original investigation, several new producers established production capacities considering the demand in India. It has been submitted that the capacity of the Indian industry is now sufficient to cater the Indian demand and resultantly market share of Indian industry increased from the original investigation and that of China declined, however, the market share of the subject imports remains significant, despite domestic industry now having capacity to cater to almost entire Indian demand. The subject imports still hold \*\*\*% of the domestic demand when the capacities with the domestic industry is not utilised at optimum level.

#### iii. Profit or loss, cash profits and return on capital employed

80. The position of the domestic industry in terms of profit or loss, cash profits and return on investment is as under:

SL.No.	Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	POI
1	Cost of sales	₹/kg	***	***	***	***
	<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>90</i>	<i>93</i>	<i>105</i>
2	Selling price	₹/kg	***	***	***	***
	<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>92</i>	<i>110</i>	<i>122</i>
3	Profit/(Loss)	₹/kg	***	***	***	***
	<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>-100</i>	<i>-52</i>	<i>167</i>	<i>176</i>
4	Profit/(Loss)	₹ Lacs	***	***	***	***
	<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>-100</i>	<i>-33</i>	<i>173</i>	<i>205</i>
5	PBIT	₹ Lacs	***	***	***	***
	<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>13</i>	<i>319</i>	<i>425</i>
6	Cash Profits	₹ Lacs	***	***	***	***
	<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>321</i>	<i>1,481</i>	<i>1,671</i>
7	ROCE	%	***	***	***	***
	<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>13</i>	<i>325</i>	<i>449</i>

81. The Authority notes that:

- The domestic industry suffered losses in the initial two years of the injury period which the industry attributed to COVID, as well as higher interest cost and corresponding lower selling price in one of the petitioner companies.
- The domestic industry however started making profits from 2021-22 onwards including in the POI.
- Cash profits, PBIT and return on capital employed of the domestic industry have also followed the similar trend and have shown increase in the injury period. The applicants have claimed that the ROI despite being the highest level in POI is below the reasonable level.

#### iv. Inventories

82. The data relating to inventories of the subject goods is as follows:

SL.No.	Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	POI
1	Average Inventory	MT	***	***	***	***
	<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>57</i>	<i>75</i>	<i>82</i>

83. It is noted that the average inventories decreased in 2020-21 and increased thereafter in the injury period.

#### v. Employment, wages and productivity

84. The situation of the domestic industry with regard to employment, wages and productivity during the injury period is as under:

SL.No.	Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	POI
1	Wages	₹ Lacs	***	***	***	***
	<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>91</i>	<i>120</i>	<i>127</i>
2	Employment	Nos	***	***	***	***

	<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	78	93	98
3	Productivity per day	MT/Day	***	***	***	***
	<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	61	116	126
4	Productivity per employee	<i>Per No</i>	***	***	***	***
	<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	79	125	129

85. It is seen that the wages and productivity has increased, but the number of employees has decreased over the injury period.

**vi. Growth**

86. The trends of volume and profit parameters of the domestic industry showed as under-

SL.No.	Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	POI
1	Production	%	-	-39%	89%	9%
2	Domestic sales	%	-	-36%	62%	12%
3	Profit per unit (Profit Before Tax)	%	-	-48%	-420%	5%

87. It is noted that there is positive growth in production, sales and profit per unit of the domestic industry as compared to previous year and base year.

**CAUSAL LINK**

88. As per Annexure II of the AD Rules, factors which are relevant in this respect include, *inter alia*, volume and prices of imports not sold at dumped prices, contraction in demand or changes in the patterns of consumption, trade restrictive practises and competition between the foreign and domestic producers, developments in the technology and the export performance and productivity of the domestic industry. The Authority examines whether the factors other than dumped imports could be a cause of injury to the domestic industry.

**a. Volume and prices of imports from third countries**

89. The imports from other countries are either low or at higher price than China. Further, import price from Bangladesh is low, however, the performance of the domestic industry has not shown injury in the POI and thus third country imports are not causing injury.

**b. Contraction of demand and changes in the pattern of consumption**

90. The Authority notes that there is no contraction of demand. Further, there has been no change in the consumption pattern.

**c. Conditions of competition and trade restrictive practises**

91. The Authority notes that the investigation has not shown any change in the conditions of competition or any trade restrictive practises.

**d. Developments in technology**

92. None of the interested parties have furnished any evidence to demonstrate any change in the technology.

**e. Export performance of the domestic industry**

93. It is noted that injury analysis is based on domestic performance of the applicants. Further, the exports made by the domestic industry is not significant in relation to its production.

**f. Performance of other products being produced and sold by the domestic industry**

94. The Authority has considered data related to the performance of the subject goods only. Therefore, performance of other products produced and sold by the domestic industry are not a possible cause of the injury to the domestic industry.

**J. LIKELIHOOD OF CONTINUATION OR RECURRENCE OF DUMPING AND INJURY****J.1. Submissions by other interested parties**

95. The following submissions were made by the other interested parties with regard to likelihood of continuance or recurrence of dumping and injury:
- I. KINGDOM GROUP'S PRODUCT COMMANDS PREMIUM VALUE. THEY HAVE NO INTENTION OF LOWERING THEIR PRICE. THEY EXPORT TO INDIA AT HIGH PRICES AND ARE NOT INTERESTED IN LOWERING THE PRICES AS THE PRICE OF RAW MATERIALS IS ALREADY VERY HIGH. KINGDOM'S PRICE TO INDIA IS MUCH HIGHER THAN RAW MATERIAL PRICE.
  - II. PARA 4-10 OF DI'S WS STATES HOW THEIR CONDITION HAS IMPROVED. THIS AND THE APPLICANT'S STATEMENT, "THE IMPACT OF THE MEASURES IS REFLECTED NOT ONLY IN THE PERFORMANCE PARAMETERS OF THE INDIAN INDUSTRY BUT ALSO BY OTHER PARAMETERS", SHOWS THAT ADD HAS SERVED ITS PURPOSE.
  - III. THERE IS NO LIKELIHOOD AS THERE IS NO DUMPING, NO EXCESS AND SURPLUS CAPACITIES (WHICH CAN BE VERIFIED FROM EQRS FILED). THE DEMAND FOR THE PUC IN THE LOCAL MARKET HAS INCREASED DUE TO AN INCREASE FOR FINISHED GOODS. CONSIDERING THE DEMAND IN THE LOCAL MARKET AND EXPORT MARKET, THERE ARE NO EXCESS AND SURPLUS CAPACITIES. FURTHER, THERE IS NO PRICE SUPPRESSION/DEPRESSION AND THE APPLICANT HAVE NOT GIVEN ANY INFORMATION ON INVENTORY. THE APPLICANTS HAVE INFLATED THEIR CAPACITIES IN CHINA TO SUIT THEIR NEEDS.
  - IV. THE APPLICANTS HAVE NOT PROVIDED ANY CLARITY ON WHAT EXPORTS TO THIRD COUNTRIES HAVE BEEN TAKEN IN THE ANALYSIS IN THE TABLE PROVIDED IN LIKELIHOOD SUBMISSION.
  - V. IT HAS BEEN CLAIMED THAT THE SUBJECT GOODS ARE BEING IMPORTED AT A PRICE LOWER THAN THE PRICE AT WHICH THE GOODS ARE BEING SOLD IN THE DOMESTIC MARKET AND IN CASE OF EXPIRY OF DUTY, CHINESE EXPORTERS WOULD CHANNELIZE THEIR THIRD COUNTRIES' EXPORTS TO THE INDIAN MARKET. THIS IS DENIED, AS INDIA IS A SECONDARY MARKET FOR CHINESE EXPORTERS. CHINESE PRODUCER EXPORTS TO INDIA AT UN-DUMPED PRICES AND IS NOT INTERESTED IN LOWERING PRICES OF THEIR GOODS. GOODS EXPORTED BY KINGDOM GROUP COMMAND PREMIUM VALUE.
  - VI. THE APPLICANTS IN PARAGRAPH 56 CLAIMED THAT KINGDOM GROUP PRODUCED 20,756 MT OF THE PUC DESPITE COVID-19. HOWEVER, THIS TO APPLIES TO THE APPLICANTS AS WELL SINCE THEIR ECONOMIC PARAMETERS ALSO IMPROVED DESPITE ONSET OF COVID-19.
  - VII. THE AUTHORITY TO DETERMINE LIKELIHOOD BASED ON RESPONSES AND SUBMISSIONS FILED BY THE CHINESE EXPORTERS. DATA WOULD SHOW THAT PRICES OF CHINESE EXPORTERS ARE HIGHER, AND THE EXPORT VOLUME HAS REDUCED AS INDIA IS A SECONDARY MARKET FOR COOPERATING EXPORTERS.
  - VIII. THE FACTORS SUBMITTED BY THE PETITIONERS ON LIKELIHOOD OF RECURRENCE OF INJURY ON WITHDRAWAL OF ADD ARE NOT SUPPORTED BY THE PRICE REALIZATIONS AND PRICE TRENDS OF THE SUBJECT GOODS DURING THE POI.
  - IX. DUE TO THE STRONG DOMESTIC INDUSTRY IN INDIA AND HIGH INTER SE



INCREASING COMPETITION AMONG THEM, THE INDIAN MARKET HAS BECOME A MINOR MARKET FOR KINGDOM GROUP.

- X. THE DOMESTIC INDUSTRY HAS NOT PROVIDED ANY EVIDENCE TO SUGGEST THAT KINGDOM GROUP HAS SIGNIFICANT UNUTILIZED CAPACITIES THAT WILL BE DIVERTED TO INDIA IF THE ADD IS NOT CONTINUED.
- XI. POSSIBILITY OF CHINESE-OWNED ENTITIES IN ETHIOPIA STARTING TO DUMP THE PUC INTO INDIA IN THE FUTURE IS INCORRECT AS THE AS THE IMPORTS FROM ETHIOPIA IS LOW.
- XII. THERE IS NO LIKELIHOOD OF CONTINUATION OR RECURRENCE OF INJURY AS THERE WAS NO DUMPING. WITH THE INCREASE IN DEMAND, THE IMPORTS AND SALES OF THE PETITIONERS HAVE ALSO INCREASED. THE ECONOMIC PARAMETERS OF THE PETITIONERS HAVE ALSO INCREASED SIGNIFICANTLY AS PROVIDED IN PARA 4 TO 10 OF THE WRITTEN SUBMISSIONS OF PETITIONERS.
- XIII. THE CLAIM OF THE PETITIONERS REGARDING FREELY DISPOSABLE CAPACITIES WITH THE PRODUCERS IN THE SUBJECT COUNTRY IS BASELESS AND UNSUBSTANTIATED. THE CAPACITY UTILISATION IS AT 70% OUT OF WHICH ONLY 5% IS EXPORTED TO INDIA.
- XIV. THE PETITIONER MUST PROVE THAT THERE IS A LIKELIHOOD OF DIVERSION OF SURPLUS CAPACITIES TO INDIA. IN INDIAN SPINNERS ASSOCIATION V. DESIGNATED AUTHORITY, 2004 (170) ELT 144, IT WAS HELD THAT MERE EXISTENCE OF SURPLUS PRODUCTION CAPACITY CANNOT BE TAKEN AS POSING A CLEARLY FORESEEN AND IMMINENT THREAT OF INJURY TO THE DOMESTIC INDUSTRY.
- XV. THE CLAIM OF THE PETITIONERS THAT THERE IS SIGNIFICANT VOLUME OF MATERIAL WHICH WERE SOLD AT PRICES LOWER THAN THE NORMAL VALUE IS BASELESS AS IF THE PRODUCTS WERE DUMPED IN THE THIRD COUNTRIES, SUCH COUNTRIES WOULD HAVE UNDERTAKEN THE INVESTIGATION AGAINST THEM, HOWEVER, NO SUCH INVESTIGATION HAS BEEN INITIATED.

#### **J.2. Submissions by the domestic industry**

96. The following submissions were made by the domestic industry with regard to likelihood of continuance or recurrence of dumping and injury:

- i. Continuous dumped and injurious exports from China. After the imposition of duties the imports the declined in 2019-20. However, despite the duty being in place the imports in POI have reached 245% of the imports in the base year.
- ii. There is significant freely disposable capacity with China. Known capacity with the Chinese producers is around 1 lac MT. Chinese producers have significant capacities exceeding Indian demand.
- iii. China is highly export oriented, it is the largest global producer of the PUC and is the largest exporter as well.
- iv. The subject country's export orientation along with their enormous capacity poses a significant threat to the Indian industry. With around 28,000 MT exports of the subject goods globally.
- v. Capacity with the exporters in the subject country is largely underutilised as it has been built far in excess of the domestic demand. Thus, the producers in the subject country are always looking for favourable markets to utilise their capacities.
- vi. The European Confederation of Flax and Hemp in their publication has stated that around 100,000 spindles are left unutilised with the Chinese producers, which converts to around 20,000 MT, which is equivalent to the entire Indian demand. The same can be easily diverted towards India.
- vii. Producers in China are highly export oriented. In 2020, China exported \$163M in flax yarn, largest exporter in the world.

- viii. In the POI the dumped exports to third countries by Chinese producers amounts to around 40% in relation to the Indian demand
- ix. In the POI the exports to third countries that were priced below the price to India. Around 118% of third country exports are price attractive volume in relation to the Indian demand
- x. In the POI the price of Chinese exports to third countries is compared with the NIP. Accordingly, 14% of the imports are injurious volume in relation to the Indian demand
- xi. Indian market is highly price sensitive. Low-priced imports would cause an adverse impact on the domestic industry.
- xii. Despite COVID-19, significant volumes of imports came in from China PR.
- xiii. The Indian market is still at a very nascent stage and therefore it is highly vulnerable to price sensitivity of the product.
- xiv. The performance of the domestic industry has improved after the imposition of ADD. However, the position of the domestic industry is still vulnerable as is evident with the post POI performance submitted which shows that the industry has started incurring losses.
- xv. China has maintained a share of around 20% through the injury period apart from the base year, which in no way can be described as low. This is when there is no demand-supply gap in India and the Indian Industry is capable to fulfilling the entire Indian demand.
- xvi. Question of likelihood is a country-wide determination and not company specific.
- xvii. Possibility of Chinese owned entities in Ethiopia starting to dump the PUC into India in future.
- xviii. Since this is a sunset review case, the causal link is not required to be examined and established again. Causal link was already established in the original investigations. The causal link is not required to be examined yet again in the present case, only likelihood needs to be examined.
- xix. the Kingdom group has itself claimed that India is one of its biggest markets multiple times, as well as the amount of imports to India had declined due to the imposition of duty and no other reason.
- xx. The Indian Bed & Bath Linen Market size is expected to grow from INR 487,566 million in 2023 to INR 716,372 million by 2028, at a CAGR of 8.00% during the forecast period (2023-2028). The lower lea counts are the PCNs which have witnessed low import volumes from the subject country through the current injury period. This would mean that the PCNs of lower lea counts which have small and minimal imports from the subject country at the moment will have the market to start increasing. This adds to the likelihood of increase in dumped imports from the subject country in future years.

### **J.3. Examination by the Authority**

97. The present investigation is a sunset review investigation, and the purpose of this investigation is to examine the continuation or recurrence of dumping and consequent injury if anti-dumping duty is allowed to expire even if there is no current injury. This also requires a consideration of whether the duty imposed is serving the intended purpose of eliminating injurious dumping.
98. It is further noted that though the domestic industry has stated that there is no continuing injury, the same is on the account of the existing anti-dumping duty which is preventing the same. The domestic industry has further claimed that there is a likelihood of recurrence of injury if the anti-dumping duty is removed. The domestic injury has been able to improve performance.
99. All factors brought to the notice of the Authority have been examined to determine whether there is a likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury in the event of cessation of the duty. The Authority has considered various information, as made available by the interested parties during the course of the investigation, in order to evaluate the likelihood of continuation or recurrence of dumping or injury. The Authority has considered the invoice value at the level of trade reported by the Responding producer/exporter.
100. There are no specific methodologies available to conduct such a likelihood analysis. However, Clause (vii)

of Annexure II of the Rules provides, inter alia for factors which are required to be taken into consideration viz.:

- I. A SIGNIFICANT RATE OF INCREASE OF DUMPED IMPORTS INTO INDIA INDICATING THE LIKELIHOOD OF SUBSTANTIALLY INCREASED IMPORTS;
- II. SUFFICIENT FREELY DISPOSABLE, OR AN IMMINENT, SUBSTANTIAL INCREASE IN, CAPACITY OF THE EXPORTER INDICATING THE LIKELIHOOD OF SUBSTANTIALLY INCREASED DUMPED EXPORTS TO INDIAN MARKETS, TAKING INTO ACCOUNT THE AVAILABILITY OF OTHER EXPORT MARKETS TO ABSORB ANY ADDITIONAL EXPORTS;
- III. WHETHER IMPORTS ARE ENTERING AT PRICES THAT WILL HAVE A SIGNIFICANT DEPRESSING OR SUPPRESSING EFFECT ON DOMESTIC PRICES, AND WOULD LIKELY INCREASE DEMAND FOR FURTHER IMPORTS; AND
- IV. INVENTORIES OF THE ARTICLE BEING INVESTIGATED.

101. Further, the Authority has also examined other relevant factors having a bearing on the likelihood of continuation or recurrence of dumping and consequent injury to the domestic industry. The examination of the parameters of the likelihood as follows:

**a. Continued imports from the subject country**

102. The imports of the subject goods from China PR declined from the original investigation and increased thereafter. Imports have remained significant in absolute and relative terms despite domestic industry having sufficient capacity to meet the entire domestic demand. 17% of the domestic demand is still with the subject country when the capacities with the Indian industry is not fully utilised.

**b. Surplus capacities in the subject country**

103. The responding interested parties have not provided capacity prevalent in the subject country in its SSR questionnaire response part-II. The domestic industry has provided information on the capacity of various producers along with evidence. Interested parties commented that the one of the producers listed by the applicants did not produce flax yarn which is found appropriate and has thus not been considered. The capacity information for the producers made available during the course of the investigation is as follows:

Producer/Exporter	Capacity (in tons)
Kingdom Group	***
Heilongjiang Yanshou Jijia Flax Textile Co. Ltd	***
Yixing Sunshine Linen Textile Co., Ltd	***
Jinjiang Xinglilai Yarns Co., Ltd	10,000
Yixing Yongye Linen Textile Co. Ltd	14,600
Great Eastern Textiles (Tongling) Co. Ltd,	2,000
Changzhou Meiyuan Flax Textile Co. Ltd	1,500
Henan Pingmian Textile Group Co., Ltd	7,200
Total capacity of known producers	69,834 MT
Range	60,000 -80,000MT

*\*Information by the responding exporters has been considered based on the response provided.*

104. The information on capacity and production as provided by the exporters shows as follows:

SN	Particulars	POI
1	Capacity (MT)	
a	Yanshou Jijia	***

b	<i>Yixing Sunshine</i>	***
c	<i>Zhejiang Kingdom</i>	***
d	<i>Heilongjiang Kingdom</i>	***
e	<i>Jiangsu Jinyuan</i>	***
f	Zhejiang jinyuan	***
	<b>Total</b>	<b>34,534</b>
<b>2</b>	<b>Production (PUC + NPUC) (MT)</b>	
a	<i>Yanshou Jijia</i>	***
b	<i>Yixing Sunshine</i>	***
c	<i>Zhejiang Kingdom</i>	***
d	<i>Heilongjiang Kingdom</i>	***
e	<i>Jiangsu Jinyuan</i>	***
f	Zhejiang jinyuan	***
	<b>Total</b>	<b>30,722</b>
<b>3</b>	<b>Capacity Utilisation (%)</b>	
a	<i>Yanshou Jijia</i>	***
b	<i>Yixing Sunshine</i>	***
c	<i>Zhejiang Kingdom</i>	***
d	<i>Heilongjiang Kingdom</i>	***
e	<i>Jiangsu Jinyuan</i>	***
f	Zhejiang jinyuan	***
	<b>Total</b>	<b>89%</b>

105. It is seen that the excess capacity with the Kingdom group is \*\*\* MT, for Yanshou Jijia is \*\*\* MT and that with Yixing Sunshine is \*\*\* MT. The cumulative excess capacity with the responding exporters is 3812 MT.

106. The Authority notes that information on record indicates that China PR is the largest producer and exporter of the subject goods. Authority notes the evidence submitted by the domestic industry of excess capacity in China as reported by CELC, i.e., the European Confederation of Flax and Hemp. The excess capacity reported for 2022 is 1,00,000 spindles which is around 20,000 MT.

**c. Third country dumping**

107. The domestic industry has provided information with regard to exports from the subject country to show that the producers in the subject country are exporting significant volume of the subject goods to third countries at dumped prices. The data, however, is not at PCN level and can also include the NPUC as well. The Authority has thus examined information provided by the responding exporters. The exports made by the respondents have been compared with the normal value determined for China with the export price reported by the responding producers/exporters after due adjustments. Table below shows the factual information.

Particulars	POI
Dumped exports to third country (in MT)	6,653
Total exports to third country (in MT)	14,956
% of dumped exports	44%
Dumped exports in relation to Indian demand in %	30-40
Indian Demand (in MT)	***

108. The total exports reported by the responding exporters is 14,956 MT. Of these, 44% of these exports have been made at dumped price. This volume constitutes 32% of Indian demand. In the event of cessation of existing anti-dumping duty, these third country dumped exports may likely to be diverted to India.

**d. Injurious volume of exports**

109. The domestic industry has provided information regarding the exports from the subject country to show that the producers in the subject country are exporting significant volume of the subject goods to third countries at price injurious to India. However, this data is not at PCN level and thereby is likely to include the NPUC as well. The Authority has thus examined information provided by the responding exporters. The price of the exports to made by the respondents have been compared with the NIP determined for the POI and the injury period. Table below shows the factual information.

Particulars	POI
Exports at injurious price (in MT)	6,138
Total exports to third country (MT)	14,956
% of exports at injurious price	41%
Injurious volume in relation to Indian demand (%)	25-35
Indian Demand (MT)	***

110. The total exports reported by the responding exporters is 14,956 MT. Of these, 41% of exports are at injurious price which constitutes around 30% in relation to Indian demand. In the event of cessation of existing anti-dumping duty, these third country exports may likely to be diverted to India. Which will force the domestic industry to sell the PUC at injurious price in order to maintain its market share and eventually suffer losses.

**e. Price attractiveness of Indian market**

111. The domestic industry has provided information regarding the exports from the subject country to show that the producers in the subject country are exporting significant volume of the subject goods to third countries at a price below the level at which the subject goods are being exported to India. However, this data is not at PCN level and thereby is likely to include the NPUC as well. The Authority has thus examined information provided by the responding exporters. The exports made by the respondents have been compared with the landed value determined for the subject goods imported into India from China with the export price reported by the responding producers/exporters after due adjustments. Table below shows the factual information.

Particulars	POI
Exports at prices below the prices to India (MT)	9,598
Total exports to third country (MT)	14,956

% of Exports at prices below the prices to India	64%
Price attractive volume in relation to Indian demand (%)	40-50
Indian Demand (MT)	***

112. The total exports reported by the responding exporters is 14,956 MT. Of these, 64% of these exports are made at price below the level at which goods are being exported to India. This volume constitutes 40-50% in relation to total Indian demand.

113. As per the submission made by domestic industry it is noted that the capacity reported by the responding exporters is almost half of the capacity with the known producers. The dumped, injurious and price attractive volume that is likely to get into the Indian market will be much higher from China.

#### **Conclusion on likelihood of dumping and injury**

114. There is likelihood of continuation and recurrence of injury to the domestic industry in the event of cessation of existing anti-dumping duty due to the following:

- i. As a result of anti-dumping duties in place, the import volume from the subject country has declined in 2021 and increased thereafter and remain significant in absolute and relative terms.
- ii. The Authority in order to evaluate the likelihood of dumping and injury in the event of cessation of anti-dumping duties considered idle capacity, dumped exports, injurious exports, export orientation and price attractiveness. The Authority has been consistently looking at these factors while evaluating the likelihood of dumping and injury in the event of cessation of antidumping duties as per Rules. In the instant case, since the weighted average of capacity utilization of cooperative exporters in China PR is 89%, the third country diversion of exports by the cooperative producers/exporters to India is considered to be of immense importance. Notwithstanding the above, the capacities of responding producers/exporters is half of the known capacity in China and even the existing idle capacity is significant enough when compared with demand in India. The reported evidence of excess capacity of 20,000 MT is sufficient to cater the entire merchant market demand (excluding captive) in India.
- iii. The likelihood analysis of imports of the subject goods from China PR reveals that about 44% of exports of the subject goods by cooperative producers/exporters from China PR to third countries are at dumped price. These dumped exports to third countries are 30% - 40% of total Indian demand.
- iv. In case of China PR, around 41% of exports of the subject goods by the cooperative exporters/producers from China PR to third countries are at injurious volume. These exports at injurious price to third countries are 25-35% of Indian demand.
- v. Further analysis of imports of the subject goods from China PR reveals that about 64% of exports of the subject goods by cooperative producers/exporters from China PR to third countries are at price below the level at which the subject goods are exported to India. This volume constitutes 40-50% in relation to total Indian demand.
- vi. Besides, the idle capacity of China constitutes a significant quantity compared to total Indian demand.
- vii. The cooperating producers/exporters are utilizing a significant share of their production for export purposes, signifying the export orientation of the producers/exporters from the subject country.

### **K. POST DISCLOSURE COMMENTS**

#### **K.1. Submissions by other interested parties**

115. Following are the post disclosure submissions made by other interested parties:

- i. Heilongjiang Kingdom enterprise Co., Ltd” and “Heilongjiang Kingdom Linen Co., Ltd.” pertains to the same company, the English name is “Heilongjiang Kingdom Linen Co. Ltd” but for export

- activities the company uses “Heilongjiang Kingdom Enterprise Co., Ltd”. The name “Linen Co., Ltd.” appears on business license and the same was submitted in the EQR.
- ii. Each company in China has unique Uniform Social Credit Code. Since both are the names of the same legal entity, the Uniform Social Credit Code of both is the same.
  - iii. The name “Heilongjiang Kingdom Enterprise Co., Ltd.” is used for export activity by the company. Exporters in China must obtain registration for foreign trade Operators from Chinese Authorities, with Chinese and English name. A declaration by the Company certifying that both are in fact same entity has been submitted to the Authority.
  - iv. The name Heilongjiang Kingdom Enterprise Co., Ltd be included in duty table as it is reflected in the export document to India
  - v. It is clarified that in Zhejiang Kingdom’s case, DG Systems data would record names of traders/exporters namely Zhejiang Jinyuan Flax Co., Ltd and Jiangsu Jinyuan Flax Co., Ltd. Even in original investigation, Zhejiang Kingdom had only exported through related party.
  - vi. Merely because a Chinese company has made an investment in Ethiopia and that Ethiopian company has exported the PUC to India does not mean that the export prices of the Ethiopian entity have automatically become distorted
  - vii. There is no anti-dumping duty or even an anti-dumping investigation against exports of PUC from Ethiopia by India or any other WTO member. Therefore, the Authority is required to establish in its reasoning how mere investment by a third country in Ethiopia can distort the export prices from Ethiopia to India
  - viii. Mere allegation of presence of a subsidy cannot automatically lead to a conclusion that export prices from such a country are distorted.
  - ix. Even if the Applicant does not produce all PCNs that may be the subject to the investigation, the Authority can extrapolate the normal value for such PCNs based on the export prices available for closely resembling PCNs. The same can also be done by the Authority in the present investigation for exports from Bangladesh
  - x. As per Section 9A(6A), the Authority is legally obligated to determine the margin of dumping based on the records of the exporter or producer concerning normal value and export price. Since Kingdom Group is not claiming market economy treatment, the export price of Kingdom Group ought to be determined based on Kingdom Group’s four exporter questionnaire responses, which were filed as per its records.
  - xi. The law mandates the application of “facts available” standard only in a case where the exporter or producer fails to provide records or information for calculation of export price
  - xii. Export transactions that were cleared in special economic zones ought to be considered for determining ex-factory export price, landed value, dumping margin, and injury margin for Kingdom Group
  - xiii. Imports of the subject goods and domestically produced the subject goods are competing for sales to the SEZ customers, and thus, are in direct competition. Therefore, the Authority’s observation that imports of the subject goods are not meant for domestic consumption is not correct
  - xiv. The subject goods, whether imported or sourced from DTA, are getting consumed in SEZs and it is only the finished goods such as flax fabric that is not meant for domestic consumption and such finished goods could be exported out of the SEZ. Therefore, the Authority ought to consider all transactions reported by Kingdom Group in its exporter questionnaire responses whether cleared by the Indian customers in DTA or in SEZ.
  - xv. Even in the original investigation, Kingdom Group had made exports to customers located in Indian SEZs and the Authority had duly considered the same for determining ex- factory export price, landed value, dumping margin, and injury margin for Kingdom Group. There is no change in the law since the original investigation

- xvi. The DG Systems import data does not record the transactions of the subject goods fully, the Authority may seek clarification from DG Systems as to the reasons for any deficiency in their import data
- xvii. Exports made to an SEZ unit and clearances from such SEZ units to DTA are recorded in the “SEZ Online” portal. Delinking of records of these two data collection agencies of the Indian Government may be a reason that imports in SEZs are not getting reflected in the DG Systems import data in the present case.
- xviii. The Authority’s decision to only exclude SEZ sales for calculating export price is violative of the principle of fair comparison enshrined in Article 2.4 of the AD Agreement and Para 6(i) of Annexure-I to the AD Rules.
- xix. The Authority has determined the export price for the Respondent by removing the sales made by the Respondent to the SEZ units. However, no such observation has been made by the Authority while calculating the Normal Value and Non-injurious price of the Domestic Industry.
- xx. The difference in the reported exports in the EQRs and the imports in the DG systems import data could be arising because of the following reasons:
- xxi. Sales made by Kingdom Group to units located in SEZs may not be reflected in DG Systems import data.
- xxii. Transfer of the PUC to FTWZ may not be reflected in the DG Systems import data.
- xxiii. There are timing differences between the date of shipping of the PUC by Kingdom Group and the date of landing of the PUC in India.
- xxiv. In Zhejiang Kingdom’s case, the DG Systems import data records the names of the traders/exporters namely Zhejiang Jinyuan Flax Co. Ltd. and Jiangsu Jinyuan Flax Co., Ltd. even in the original investigation, Zhejiang Kingdom had not made any direct exports to India. It had exported to India only through its related party. The Authority had awarded cooperative rate to Zhejiang Kingdom as well
- xxv. Heilongjiang Kingdom uses the name ‘Heilongjiang Kingdom Enterprise Co., Ltd.’ for export purposes and should be included in the duty table.
- xxvi. Respondent claims that domestic industry is not suffering any material injury, data provided in the petition, and by Respondent’s analysis, it is clearly shown that there is no volume effect, price effect or injury due to the subject imports.
- xxvii. Submitted in the oral hearing that the domestic industry’s counsel stated that DI is not suffering material injury. Thereby, there is no need to examine material injury.
- xxviii. DI has not shown how price suppression/depression will resume if ADD is allowed to cease. Therefore, there is no price suppression/depression.
- xxix. Analysis of relevant economic parameters show DI has shown marked improvement in all relevant economic parameters.
- xxx. Failure of the applicants to perform as well as their competitors in Indian market cannot be attributed to the subject country imports.
- xxxi. Market share of imports of other countries has increased throughout injury period. Imports from the subject country or other countries is too low to affect market share of the DI. Indian producers and DI still hold significant market share.
- xxxii. There is no futuristic trend of any injury to applicants based on applicant’s data.
- xxxiii. The Injury, if any, is self-inflicted by the DI, as DI is an importer of the PUC from Bangladesh.
- xxxiv. The injury is due to inability of the DI to compete with other Indian producers.
- xxxv. Conditions of Indian industry have improved to a level where there is healthy competition between Indian manufacturers of the PUC.



- xxxvi. There is no likelihood of continuation or recurrence. DI has miserably failed to provide positive evidence to satisfy criteria laid in AD Rules and Agreement to provide likelihood.
- xxxvii. Kingdom group is not dumping the PUC in India as can be verified from responses filed by Kingdom.
- xxxviii. Kingdom does not have excess and surplus capacities as can be verified from the EQR. Demand for the PUC in local markets of the subject country has also increased due to increase in demand of the finished goods (downstream).
- xxxix. Domestic industry has not given other relevant evidence such as excess inventory etc.
- xl. Most of the total production is targeted towards catering domestic demand in China and exporting to third countries. Due to strong Domestic industry and increasing competition in India, the Indian market has become minor market to the group.
- xli. Factors stated by Authority do not indicate existence of likelihood of injury. It is the duty of the Authority not to determine likelihood based on mere possibility.
- xl.ii. Factors analysed by the Authority only indicate that continuation or recurrence of injury is only possible and not likely. This is in direct contravention with the principles laid down in WTO's panel in Pakistan – AD Measures in Biaxially Oriented Polypropylene Film from the UAE.
- xl.iii. Authority's reliance on one report of the CELC as evidence for excess capacities is in just and does not amount to either positive or sufficient factual basis to draw reasoned and adequate conclusions.
- xl.ii. No clarity in the finding of the Authority whether excess capacity of 1,00,000 is just for flax yarn or flax and hemp yarn combined.
- xl.v. The Authority is requested to rely upon data submitted by exporters to determine whether exporters in China have surplus capacities and not report submitted by the DI.
- xl.vi. Excluding export to SEZ unjustified. Questionnaire response was filed considering that there are no specific instructions by the Authority to report export to DTA only and that in the past Authority has considered export to both SEZ and DTA.
- xl.vii. Authority proposed PCN in initiation. Hence, participants filed PCN wise data including both DTA & SEZ sales. Authority is requested to clarify if they have worked out PCN-wise export prices.
- xl.viii. Authority deducted 2% as commission to determine export price which should be rectified in findings as no commission has been paid to any agent/ importer.
- xl.ix. Authority found that contrary to their EQR, Heilongjiang Kingdom Linen Co Ltd has not exported during POI. Exporter invoices bear some other company's name. Kingdom filed wrong information. Their response shall be rejected. Authority is requested to grant them residual category duty. Reference made to para 12.20 of the Manual.
- l. It is submitted that Heilongjiang Kingdom ought to be awarded a cooperative rate in the present review, its exporter questionnaire response ought to be considered, and its name ought to be included in the dumping margin table, injury margin table, and the duty table in the Authority's in the present review.
- li. Authority has granted lower DM & IM to residual category than participating parties. Residual category shall be granted highest rate of duty.
- lii. All economic parameters of petitioners show improvement. There is no injury to DI and if any, it cannot be attributed to imports.
- liii. Yixing Sunshine Linen Textile Co. Ltd. participated in OI & was granted separate duty rate. Heilongjiang Yanshou Jijia Flax Textile Co. Ltd. did not participate in OI as it did not export then. Both have fully cooperated at present. Authority needs to calculate DM/IM in SSR based on present circumstances and not continue duty recommended earlier, especially when new producer/exporter is fully co-operative and providing all necessary information.

- liv. In the current SSR, Authority is bound to levy duty according to DM calculated in current Investigation and not continue earlier duty.
- lv. There have been past cases SSR in last 2 years where DGTR worked out and recommended fresh Duty based on export data of participating producers/exporters or recommended withdrawal of duty given.

## **K.2. Submissions by the domestic industry**

116. Post Disclosure comments made by the domestic industry are as follows:

- i. DG Systems data should be considered instead of EQR filed by responding exporters for the purpose of determining export price.
- ii. The volumes reported by the responding exporters are higher than volumes reported in DG Systems only when the data provided by DG System is incomplete, or the importers cleared the product in some other classification.
- iii. Either situation, the volume reported by the exporters indeed arrived in India and the exporter was aware of the final destination of the goods. Therefore, the authority is required to consider all the volumes that have been reported by the exporters.
- iv. The authority is required to consider the import values reported in Indian systems data in a situation where the value of imports reported by the exporter is higher than the value of imports reported in DG Systems data (for individual import transactions).
- v. The possibility in the present situation could be that exports have been made by the exporter and the same have been cleared in the Indian customs without payment of appropriate anti-dumping duties. In a situation where import values reported for individual import transaction is higher than the import value reported in the corresponding import data in DG Systems, it clearly points out to a situation where the value of the import transaction does not reconcile with DG Systems data.
- vi. The Authority is required to consider the export volumes reported by the exporter after duly corroborating with the DG Systems data for the import values and thereafter make a determination.
- vii. The authority may kindly consider the export volumes reported by the exporter after duly corroborating for the import values reported in corresponding import transactions.
- viii. The Authority has rightly held that the scope is limited to "flax yarn of below 70 lea count (equivalent to 42 Nm)". No interested party has contested the PCN methodology adopted by the Authority or the scope of the product under consideration.
- ix. The NIP determined by the Authority is very low leading to low level of injury margin. Domestic industry submits that the raw materials utilization and utilities utilization should not be considered at the best achieved levels in the past for the reason that the cause of increase in the consumption is not inefficient utilization of such inputs.
- x. It appears that the Authority has changed the method of apportionment between the PUC and NPUC. However, no reasoning has been provided for disallowing the apportionment methodology adopted by the applicants.
- xi. The actual cost of production should be considered for fixation of normal value, and not the notional cost and that too lowest amongst different domestic producers. The average cost of production of the domestic industry should be considered. Further, consideration of lowest NIP is without legal basis. Rather, the Authority should adopt the highest cost of production found in India.
- xii. The Authority has found existence of excess capacity with the responding producers/exporters from their responses and CELC. This additional capacity is around 23,000 MT. The known

- capacity with the producers in China is in the region of 1 lac MT as against the entire Indian demand of merely about 20,000 MT.
- xiii. Even though imports had declined post imposition of duty, the same have started increasing after a decline in 2019-20. The dumping margin and injury margin calculated is positive and significant. Further, The Indian market is highly price sensitive.
- xiv. The Chinese exports of the subject goods to third countries are at dumped price, injurious volumes and at price less than the level at which they are exported to India. Further, the producers in China are highly export oriented.
- xv. As claimed by the Kingdom group in their annual report, despite COVID-19 continued to affect all nations, they adapted to changes and produced 20,756 tonnes (2020: 16,704 tonnes) of linen yarn. Thus, they exported significant volumes despite COVID-19.
- xvi. There is sufficient justification for extension of the existing ADD.
- xvii. Duties have been beneficial and has made the industry atmanirbhar as the number of Indian producers have increased from 4 to 8. The country is now self-sufficient to cater to the entire demand in the country and thus, there exist no demand-supply gap.
- xviii. The additional investments made by the industry needs to be protected from unfair trade as the Indian industry is vulnerable and are earning low level of profits. Despite duties in place and sufficient capacity, imports still hold significant share of the Indian demand. The export sales are neither very significant nor very profitable and the focus of the Indian industry is on the domestic market.
- xix. There are huge surplus capacities available with Chinese producers who is the largest producer of the subject goods. Further, India has remained a key destination of exports for China.
- xx. Capacity of other producers in China over the ones considered in the Disclosure have been provided.

Particulars of the Company	Capacity (in MT)
Huaren linen (HK) Company Limited	6,000
Changzhou Meiyuan Flax Textile Co Ltd	2,200
Huzhou Goldritch Linen Textile Co Ltd	1,178
Tongling Yinhua Linen & Ramie Textile Co. Ltd.	300
Tung Ga Linen And Cotton Changzhou Co Ltd	2,800
Heilongjiang Yuanbao Textile Co., Ltd	7,500
Zhejiang Haiyan Jinyi Textile Co. Ltd.	1,000
Muling Xinling Linen Textile Co.,Ltd	2,200
Total	23,178 MT

- xxi. Present duties need to be extended and modification in the quantum is not warranted. The sunset review therefore focuses on whether the cessation of the duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury, and not the quantum of injury. Similar view has been taken by the Authority in previously concluded sunset review anti-dumping investigations.
- xxii. The PUC is a premium textile fabric product and is not used by public at large. The use case is not limited due to the cost of the product, rather it is the cost of regular maintenance being high and recurring which is the primary reason for limiting the usage only by the elite segment of the society. Thus, the impact on the ADD on these segment will be too low.

- xxiii. The anti-dumping duties is in the interest of the producer, consumer, and public at large. The duties are essential to ensure a level playing field in the Indian market. It is also in the consumers' interest to have a competitive domestic industry as if consumers become completely import reliant, they will be forced to higher degree of inventory. Encouraging domestic manufacturing activities is essential to make India the manufacturing powerhouse it aims to become.
- xxiv. The impact of the past measures has been negligible, to the tune of 0.73% to 2.8% on the end product, signifying no adverse effect was there. Additionally, no user/downstream industry has provided information proving the contrary.
- xxv. Yarn constitutes a major cost of fabric production and any increase in the price of yarn is directly passed on to the prices of fabric. Prices of yarn and fabric moves in tandem. The producers have certified the same, evidence has been provided to Authority.
- xxvi. The analysis of the downstream industry shows positive growth throughout the injury period. Thus, there have been no adverse effects in any form or manner due to the imposition of past measures and the impact of duty as calculated is merely negligible.

#### **K.1. Examination by the Authority**

117. The Authority has examined the post disclosure submissions made by the domestic industry and notes that major comments are reiterations which have already been examined suitably and addressed adequately in the relevant paras of the disclosure statement. New submissions have been examined as under:
- i. The Authority notes that there are 14 PCNs considered in the investigation whereas only 2 PCNs have been imported from Ethiopia. The 2 PCNs cannot represent the 14 PCNs considered by the Authority for this investigation. Thus, normal value could not be determined on the basis of the price from Ethiopia to India.
  - ii. As regards the claim that import price from Bangladesh should be considered for the purpose of determination of normal value and adjustments should be made for PCN which are not entering the market based on the comparable PCN information available, the Authority notes that there are 14 PCNs considered in the investigation whereas only 3 PCNs has been imported from Bangladesh.
  - iii. Further, even when normal value is determined based on the response filed by the exporters (in a market economy country) and there are no sales or profitable sales of a particular PCN then normal value is constructed considering the cost of production and making due adjustments. Similarly, in case of NIP for a PCN not produced by the domestic industry, the adjustment is made based on the cost of production of such PCNs and its nearest comparable PCN. In this case, there is no information on the difference in cost and price for majority of the PCNs and thus, it would not be appropriate to consider import price from Ethiopia and Bangladesh for the purpose of determination of normal value.
  - iv. As regards the argument that the Authority has ignored the requirement to evaluate surplus or freely disposable capacity available with the Chinese producer as it has utilized most of its capacity, it is noted that the volume of third-country dumped exports, third-country injurious exports and volume of exports made by the exporter at a price below the level at which it has been exported to India can also be considered as freely disposable capacity apart from the unutilized capacity available with the producer which it can export to India. Likelihood examination does not just focus on freely disposable capacity; this determination extends to consideration of exports to third countries, surplus capacities with foreign producers, and the prices at which different exports took place to India and globally. This examination shows that the exporter is likely to intensify dumping and cause injury to the domestic industry.
  - v. As regards the argument that the excess capacity information should be considered only based on the response filed by the exporters, it is noted that despite the specific requirement of providing information on capacity, and demand prevalent in the country, none of the exporters has made available information and thus, Authority has to consider the best available information. Furthermore, the responding exporters have not provided any evidence to contradict the evidence submitted by the Authority.

- vi. As regards the clarification sought by the interested parties on the report by CELC referred on excess capacity prevalent in China, it is clarified that the reports has reported 1,00,000 spindles excess capacity for flax yarn alone which is equivalent to 20,000MT.
- vii. As regards the contention that exporters response should be considered for the purpose of determination of export price, the Authority has now considered response by exporters including exports made to SEZs.
- viii. With regard to the claim of Heilongjiang Kingdom Enterprise Co., Ltd., for awarding a cooperative rate in the present review, and its inclusion in the dumping margin table, injury margin table, and the duty table in the present review. The Authority has examined the issue as detailed below;
- a. As per the exporter questionnaire response filed by Heilongjiang Kingdom Enterprise Co., Ltd., the said Company was established as a limited liability company in accordance with the Company Law of the People's Republic of China on March 11, 2016. The said company has made only one export transaction of \*\*\* MT to India during the POI.
  - b. The period of investigation of the original investigation was from October 2016 to September 2017. But the name of the company was not mentioned as a related company in the EQR filed in April 2018 by the three participating companies (Zhejiang Kingdom Linen Co., Ltd., Jiangsu Jinyuan Flax Co., Ltd., Zhejiang Jinyuan Flax Co., Ltd.) of the Kingdom Group in the original investigation.
  - c. The annual report of 2017 (As at 31 December 2017) shows that the Heilongjiang Kingdom Enterprise Co., Ltd., was in production of the PUC in 2017. However same was not reported in the EQR filed in the original investigation.
  - d. Moreover, in the current sunset review investigation, the Authority has examined the likelihood aspect of all the participating producers/exporters and has observed that though there is no current dumping and injury to the domestic industry due to the exports, however, there is a strong likelihood of recurrence of dumping and injury for recommending the continuation of the existing anti-dumping duties.
  - e. Since M/s Heilongjiang Kingdom Enterprise Co., Ltd., the said producer/exporter was not granted an individual rate of duty in the original investigation, the Authority, on an examination of the likelihood of dumping and injury, recommends the continuation of the existing residual rate of anti-dumping duty for the said producer/exporter.
  - f. In view of the above, the Authority has not considered the request of the 'Heilongjiang Kingdom Enterprise Co., Ltd.,' for awarding a cooperative anti-dumping duty rate in the present SSR investigation and & inclusion of its name along with other companies of the Kingdom group in the duty table.
- ix. With regard to the claim of Heilongjiang Yanshou Jijia Flax Textile Company Limited for a new rate of anti-dumping duty, the Authority has examined the issue as detailed below;
- 1) there are two aspects that need to be examined by the Authority in a Sunset Review investigation:
    - a. Whether there is a continuation of dumping and injury.
    - b. In the absence of continuation of dumping or injury, whether upon revocation of the duty, there is a likelihood of recurrence of dumping and injury.
  - 2) The absence of current dumping and injury to the domestic industry could be because of the duties in place countering the phenomenon of dumping and injury. In such cases, the onus on the Authority is to examine whether the revocation of the duty would lead to a likelihood of recurrence of dumping and injury. The observations of the WTO Panel in EU – Cost Adjusted Methodologies II (Russia)<sup>1</sup>, is in this regard:

<sup>1</sup> Panel Report, European Union – Cost Adjustment Methodologies and Certain Anti-Dumping Measures on Imports from Russia (Second Complaint), WT/DS494/R and Add.1, circulated to WTO Members 24 July 2020, appealed 28 August 2020.

*In original anti-dumping investigations, investigating authorities must determine whether the domestic industry of a Member is materially injured by dumped imports. At this stage, the focus is on the existence of 'material injury' at the time of the determination. That determination is made under Article 3, based on information concerning the necessary and relevant factors for some previous period. In contrast, in an expiry review, an anti-dumping measure has been in place for some time, and investigating authorities must, based on a fresh analysis, determine whether the expiry of that measure would be likely to lead to continuation or recurrence of injury.*

- 3) In view of the above, the parameters pertaining to the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury have been examined by the Authority in the case of M/s Heilongjiang Yanshou Jijia Flax Textile Co. Ltd., it is observed that:
  - a) M/s Heilongjiang Yanshou Jijia Flax Textile Co. Ltd has an idle capacity of \*\*\*% approx.
  - b) A total of \*\*\* MT quantities are being exported to third countries.
  - c) Out of these \*\*\* MT that are exported to third countries, \*\*\* MT is at an injurious price
  - d) Out of these \*\*\* MT that are being exported to third countries, \*\*\* MT is at dumped price
  - e) And out of these \*\*\* MT that is being exported to a third country, \*\*\* MT is exported at a price below the price of India, making India a price-attractive market in case the existing anti-dumping duty is revoked.
- 4) The Authority further notes that M/s Heilongjiang Yanshou Jijia Flax Textile Co. Ltd., did not participate in the original investigation and had a choice to file a New Shipper Review (NSR) application, but the above-said producer/exporter chose to participate directly in the current Sunset Review investigation.
- 5) In the current sunset review investigation, the Authority has examined the likelihood aspect of all the participating producers/exporters and has observed that though there is no current dumping and injury to the domestic industry due to the exports, however, there is a strong likelihood of recurrence of dumping and injury for recommending the continuation of the existing anti-dumping duties.
- 6) Since M/s Heilongjiang Yanshou Jijia Flax Textile Co. Ltd., the said producer/exporter was not granted an individual rate of duty in the original investigation and currently falling in the residual category, the Authority on an examination of the likelihood of dumping and injury recommends the continuation of existing residual rate of anti-dumping duty for the said producer/exporter.
- x. The Authority has determined the non-injurious price (NIP) for the domestic industry on the basis of information furnished by the domestic industry, principles laid down in the Anti- Dumping Rules read with Annexure III and the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP).
- xi. As noted above the domestic industry's performance has improved over the injury period. However, it remains vulnerable to recurrence of dumped imports from the subject country. Therefore, the Authority has examined the likelihood of continuation or recurrence of injury to the domestic industry. As is evident from the examination undertaken in the above paragraphs, in the present investigation, there is likelihood of recurrence of injury to the domestic industry. Therefore, the Authority has recommended the continuation of duties as determined in the original investigation.

## **L. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST & OTHER ISSUES**

### **L.1. Submissions by other interested parties**

118. The following submissions were made by the other interested parties with regard to public interest:

- I. IMPOSITION OF ADD IS IN INTEREST OF ONLY INDIAN PRODUCERS OF THE PUC. HENCE, AN IMPACT ANALYSIS ON LINEN APPAREL IS INCORRECT. SUBMISSION

THAT PUC IS A PREMIUM PRODUCT, ONLY USED BY THE ELITE SEGMENT OF SOCIETY, IS IMMATERIAL AND HAS NO BEARING ON THE SUBJECT. MOREOVER, THE APPLICANTS HAVE STATED THAT CONSUMPTION OF LINEN APPAREL HAS INCREASED WITH INCREASING LEVELS OF INCOME.

- II. INDIAN PRODUCERS ARE ALSO CAPTIVE CONSUMERS. MANY OF THEM PRODUCE LINEN TEXTILE/FABRIC AND SUBSEQUENTLY, LINEN APPAREL, WHICH THEY SELL IN THEIR RETAIL STORES. THESE CAPTIVE CONSUMERS DO NOT REGULARLY SUPPLY THE PUC TO OTHER FABRIC MANUFACTURERS IN INDIAN MARKET AND THUS, SUPPRESS ANY COMPETITION. THUS, CONTINUATION OF ADD WILL NOT PROMOTE HEALTHY COMPETITION AND WILL LEAVE THE CONSUMERS AT THE MERCY OF CAPTIVE CONSUMERS.
- III. IMPOSITION OF ADD HAS HAD ADVERSE EFFECTS ON ALL THE DOWNSTREAM USERS OF THE PUC AS DURING PEAK SEASON, INDIAN PRODUCERS, WHO ARE ALSO CAPTIVE CONSUMERS, DO NOT SUPPLY THE PUC TO OTHER PLAYERS IN THE MARKET, EFFECTIVELY ELIMINATING COMPETITION. THE APPLICANT HAS BEEN FINED BY THE COMPETITION COMMISSION OF INDIA BY IMPOSING PENALTY OF ₹302 CRORE ON GRASIM INDUSTRIES LTD., FOR ABUSING ITS DOMINANT POSITION IN THE MARKET FOR SUPPLY OF VISCOSE STAPLE FIBRE (VSF). IF ADD IS CONTINUED, A SIMILAR SITUATION MAY ARISE WITH RESPECT TO THE PUC. INDIAN INDUSTRY HAS GROWN IN ALL ASPECTS AFTER THE IMPOSITION OF ADD, HENCE CONTINUATION OF ADD IS NOT WARRANTED.
- IV. FURTHER, IMPACT OF ADD SHOULD BE ANALYSED VIS-À-VIS LINEN FABRIC/TEXTILE AND NOT LINEN APPAREL.
- V. THE APPLICANTS HAVE PROTECTION OF ADD ON FLAX FABRIC AND ARE NOW SEEKING EXCESS PROTECTION ON THE RAW MATERIAL FLAX YARN. THE DOWNSTREAM USERS IN INDIA ARE HAVING TO IMPORT FLAX YARN AND FLAX FABRIC BOTH BY PAYING ADD IN PEAK SEASONS AS APPLICANTS AND OTHER INDIAN PRODUCERS ARE MORE FOCUSED ON CATERING TO THEIR OWN CAPTIVE DEMAND.
- VI. AS A RESULT OF STRONG PROTECTION AFFORDED TO DOMESTIC INDUSTRY, THE SUBJECT IMPORTS DECLINED FROM 9,371 MT IN POI OF ORIGINAL INVESTIGATION TO 3,407 MT IN POI OF PRESENT REVIEW. IMPORT PRICE FROM CHINA ALSO ALMOST DOUBLED IN THE POI OF CURRENT REVIEW COMPARED TO ORIGINAL INVESTIGATION.
- VII. THE IMPACT ANALYSIS CARRIED OUT BY THE DOMESTIC INDUSTRY IS INACCURATE BECAUSE IT IS BASED ON THE PRICE OF LINEN APPAREL, RATHER THAN THE PRICE OF LINEN FABRIC/TEXTILE.
- VIII. THE DOWNSTREAM USERS ARE HEAVILY IMPACTED BY THE NON-SUPPLY OF THE PUC BY INDIAN PRODUCERS DURING PEAK DEMAND.
- IX. THE ANTI-DUMPING DUTY IS NOT IN PUBLIC INTEREST. THERE ARE ONLY FEW PRODUCERS IN THE DOMESTIC MARKET, THERE IS A HIGH LIKELIHOOD THAT THEY WILL DOMINATE THE MARKET AND WOULD CREATE BARRIERS FOR MARKET ENTRY.
- X. DOMESTIC PRODUCERS SUCH AS JAYA SHREE TEXTILES, RAYMOND, LINEN ART AND WFB HAVE THEIR OWN FABRIC PRODUCTION UNITS AND ARE FOCUSED ON SUPPLYING THE PUC TO THEM DURING THE PEAK DEMAND PERIODS IN THE YEAR. THIS LEAVES THE USER INDUSTRY WITH VERY LIMITED SUPPLIES FROM THE DOMESTIC MARKET WHO WILL IMPORT FROM CHINA AS THE DOMESTIC INDUSTRY IS IN NO POSITION TO MEET 100% OF THE INDIAN USER INDUSTRY'S DEMAND DURING THE PEAK SEASON TIME.

**L.2. Submissions by the domestic industry**

119. The following submissions were made by the domestic industry with regard to public interest:

- I. THERE IS NO EVIDENCE OF ANY ADVERSE IMPACT ON THE CONSUMERS. NEITHER HAVE THE CONSUMERS PARTICIPATED IN THE INVESTIGATION AND HAVE NOT DEMONSTRATED ADVERSE IMPACT OF ADD.
- II. THE PRICE INCREASE IN THE PUC WERE ABSORBED BY THE MARKET WITHOUT ANY ADVERSE EFFECTS.
- III. DEMAND FOR THE PRODUCT INCREASED DESPITE INCREASING PRICES.
- IV. THE PRICE OF CHINESE PRODUCERS ALSO INCREASED AND THE SAME WERE ABSORBED BY THE MARKET COLLECTIVELY AND CUMULATIVELY ESTABLISH THAT THERE WAS NO ADVERSE EFFECT OF ADD ON THE MARKET.
- V. EVEN IF IT IS CONSIDERED THAT THE IMPACT IS REQUIRED TO BE CALCULATED ON FABRIC INTERESTED PARTIES HAVE PROVIDED; NO QUANTIFICATIONS, NO EVIDENCE THAT THE DOMESTIC INDUSTRY INDEED INCREASED THE PRICES BY THE QUANTUM OF ADD.
- VI. PRICE UNDERCUTTING WITH ADD IS SIGNIFICANTLY NEGATIVE ESTABLISHING THAT CONSUMERS DID NOT PAY HIGHER PRICES BECAUSE OF ADD.
- VII. INDIAN INDUSTRY AS A WHOLE HAS CAPACITY SUFFICIENT TO CATER TO THE ENTIRE INDIAN DEMAND INCLUDING CAPTIVE.
- VIII. NO EVIDENCE HAS BEEN PROVIDED BY THE PARTY TO SHOW THAT THERE IS SUPPLY CONSTRAINT BY THE INDIAN PRODUCERS, IT IS A WILD ALLEGATION.
- IX. THE ALLEGATIONS THAT SINCE ONE APPLICANT IS INVOLVED IN A COMPETITION COMMISSION OF INDIA'S (CCI'S) INVESTIGATION AND WAS LIABLE TO PAY FINE, IS NOT CONNECTED TO THE PRESENT REVIEW INVESTIGATION AT ALL. THE SAME IS A DIFFERENT INVESTIGATION PERTAINING TO A SEPARATE PRODUCT ALTOGETHER.
- X. IMPORTS FROM CHINA HAVE INCREASED SIGNIFICANTLY WHEN COMPARED TO THE BASE YEAR OF THE PRESENT INJURY PERIOD.
- XI. TOTAL NUMBER OF INDIAN PRODUCERS MANUFACTURING THE SUBJECT GOODS HAVE INCREASED FROM 4 IN THE OI TO 8 IN THE PRESENT REVIEW INVESTIGATION. THE DUTIES BY PROVIDING A LEVEL PLAYING FIELD AGAINST DUMPED AND INJURIOUS IMPORTS FROM CHINA PR HAVE GIVEN THE INDIAN INDUSTRY MORE REASON AND CONFIDENCE, SO MUCH SO THAT THE INVESTMENTS MADE BY THE INDIAN INDUSTRY HAVE INCREASED AROUND 15 TIMES AS COMPARED TO THE INVESTMENT IN THE OI.
- XII. AS A RESULT, THE CAPACITY AND THE UTILISATION HAS IMPROVED DUE TO EXISTENCE OF LEVEL PLAYING FIELD, IN-TURN INCREASING THE EMPLOYMENT, THE PRODUCTION PROCESS IS HIGH EMPLOYMENT GENERATING.
- XIII. THE SELF-RELIANCE OF THE INDUSTRY HAS IMPROVED FROM 1/3RD IN THE OI TO COMPLETE IN THE POI IN TERMS OF CAPACITY TO CONSUMPTION RATIO.
- XIV. THE EXTENSION OF THE ANTI-DUMPING DUTIES IS ESSENTIAL TO ENSURE A LEVEL PLAYING FIELD IN THE INDIAN MARKET, THE VIABILITY OF DOMESTIC PRODUCTION OF THE LIKE ARTICLE, AND PREVENT INDIA FROM BECOMING SOLELY IMPORT RELIANT ON THE PRODUCT.
- XV. PRESENCE OF A VIBRANT DOMESTIC INDUSTRY IS ESSENTIAL TO ENSURE A FAIR AND COMPETITIVE INDIAN MARKET, WHICH IN ITS ABSENCE WOULD BE COMPLETELY DOMINATED BY CHINESE IMPORTS.



XVI. IT IS IN THE INTEREST OF THE PUBLIC AT LARGE TO HAVE A STRONG, COMPETITIVE DOMESTIC PRODUCTION OF THE PRODUCT. ENCOURAGING DOMESTIC MANUFACTURING ACTIVITIES IS ESSENTIAL TO MAKE INDIA THE MANUFACTURING POWERHOUSE IT AIMS TO BECOME. ENCOURAGING DOMESTIC PRODUCTION WILL BOOST EMPLOYMENT AND INCREASE THE GDP OF THE COUNTRY.

XVII. THE IMPACT IS VERY NEGLIGIBLE RANGING FROM 0.7% TO 2.8% ONLY.

### L.3. Examination by the Authority

120. The Authority notes that the purpose of imposition of anti-dumping duty, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Continuation of anti-dumping measures does not aim to restrict imports from the subject country in any way. The Authority recognizes that the continuation of anti-dumping duties might affect the price levels of the product in India. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the imposition of anti-dumping measures. On the contrary, continuation of anti-dumping measures would ensure that no unfair advantages are gained by dumping practice, prevent decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of the subject goods.
121. The Authority considered whether continuation of anti-dumping shall have any adverse impact on the interest of the public. In order to determine such impact, the Authority weighed the impact of the continuation of duties on the availability of the goods in the Indian market, the impact on the users of the product as well as the domestic industry and the impact on the general public at large. This determination is based on the submissions and evidence submitted over the course of the present investigation.
122. The Authority issued initiation notification inviting views from all the interested parties, including importers, consumers and others. The Authority also prescribed a questionnaire for the users/ consumers to provide relevant information about the present investigation including any possible effects of anti-dumping duty on their operations. The Authority issued gazette notification inviting views from all the interested parties, including importers, consumers and other interested parties. Authority also prescribed a questionnaire for the consumers to provide relevant information with regard to present investigations, including effect of ADD on their operations. The Authority sought information on, inter-alia, interchangeability of the product supplied by various suppliers from different countries, ability of the domestic industry to switch sources, effect of ADD on the consumers, factors that are likely to accelerate or delay the adjustment to the new situation caused by imposition of ADD, impact of repealing or maintaining the present duty. The Authority notes that barring one importer, i.e., Texventures LLP, no consumer and importer of the product under consideration filed the questionnaire response or attended the oral hearing. Texventures LLP has also not filed user questionnaire response. The authority notes that there is no evidence showing that imposition of ADD and its existence over last five years has had any significant adverse effect either on the consumers or at public at large.
123. The submissions made by the other interested parties with respect to the impact of the duty have been considered. The authority notes that the present investigation is a sunset review investigation, and therefore before considering the impact of the proposed duties on consumers, the Authority should first consider the impact of the duty that was imposed earlier. In a situation where the ADD has been in place for last more than four years, the increase in the price of the product (after due adjustments for raw material price movements) and the impact of the same is the best indicator of the likely impact of the proposed duty on the consumers. This impact is required to be determined considering the increase in price of the domestic and imported product post imposition of duty. It is seen that there is no material increase in the price of the product either by domestic industry or by Chinese producers, barring the increase that is reported on account of an increase in raw material cost. Further, the return on investment of the domestic industry has improved since the base year, however, is still not very high. It can therefore be concluded that neither the price of the domestic industry nor the price of import has increased by the quantum of anti-dumping duty that was earlier imposed. Therefore, it would not be appropriate to consider that the price of the product would increase in future by the quantum of anti-dumping duty because of the continuation of duty.
124. The domestic industry has highlighted that the number of producers has increased from about 4

- producers in 2018 to 8 producers at present. The industry has installed capacity of more than 20,410 MT from merely 6,378 MT. In order to achieve this growth, the Indian industry has invested more than Rs. 1,500 crores in the product. With the increase in capacities, the employment generated by the Indian industry has increased and the industry is providing employment to about 5300 individuals directly and is expected to increase by double in coming years.
125. The domestic industry has been able to improve in last 5 years and have been able to expand capacities considering the growth in the domestic market. New plants have been set up and new market players have entered the market. Since, these companies have just started producing, they have not been able to set a foothold in the Indian market and are thus vulnerable. Imports at low prices from China would make it difficult for these nascent companies to survive. If the newly established production capacity is under-utilized and does not generate the required ROI, the company will incur losses. In such a case, dumping of product under consideration is likely to adversely impact the performance of the Indian industry.
  126. The additional investments and increase in capacity have had a positive impact on the employment offered by the Indian industry. It is seen that there has been an increase of around 2.5 times in employment as compared to the original investigation. The number of employees has more than doubled in the POI as compared to the original investigation. It has been claimed that the Indian industry of the subject goods is the highest employment generator in both (a) textile fibre/yarn and (b) linen garment industry.
  127. In view of the foregoing, the Authority notes that the Indian industry has achieved growth as a result of imposition of duty. However, since the industry continues to be vulnerable and there is likelihood of recurrence of injury if the anti-dumping duty is removed, continuation of anti-dumping duty would be in the interest of the industry.
  128. The Authority has also examined the impact of the continuation of duty on the interests of the users. The Authority notes that the imposition of duty does not restrict imports, but only ensure that the goods are available at fair prices. The Indian industry has enhanced their capacities and can cater to almost the entirety of demand.
  129. There are imports from other countries as well. Therefore, even if there are no imports from the subject country, the domestic supply is more than sufficient to cater to the Indian demand. Imposition of anti-dumping duty would not restrict imports from the subject country in any way, and, therefore, would not affect the availability of the products to the consumers.
  130. The Authority also notes that there are a number of producers in India, and the producers have capacities exceeding the domestic demand. Therefore, there is significant price competition between the domestic producers. This ensures that the users have ample availability of the products at competitive prices. No undue advantage of the antidumping duty is possible in such a situation.
  131. The opposing interested parties have not provided any information on how the ADD is adversely impacting the downstream industry and end customers. The domestic industry has provided calculations on the impact of duty on the garments, which is almost negligible. It is also noted in this regard that the subject goods are premium textile fabric product which is majorly used and worn by the high-income group of society. Linen products are not used by the public at large. Thus, the impact of the ADD on these segments will be too low. The interested parties have argued that the impact should be seen on the fabric manufacturer, it is seen in this regard that the subject goods constitute a major part of the total cost of fabric, and thus it is legitimate that the fabric manufacturer pass on any increase in cost to the end customer. One of the applicants, M/s Grasim Industries Limited (Jaya Shree Textiles), is a producer of both flax yarn and flax fabric. It has certified that the price of fabric is dependent on yarn and that the price of fabric follows the movement of the price of yarn.
  132. The Authority further notes that the definitive measures may have an impact on certain users but that should be balanced against the risk of a discontinuation of the domestic industry activity. Not imposing measures will lead to less reliable and unstable sources of supply, particularly when India and China are known to be the major players in flax yarn. The Authority, therefore, concludes that the imposition of duty would be in the larger public interest.

**Justification for continuation of duties****i. The product is a premium textile product meant for high income group of the society due to high maintenance cost.**

133. The subject goods is a premium textile fabric product. It is noted that linen is a very premium textile which is majorly used and worn by the elite section of the society. Linen products are not used by public at large. It has been submitted by the applicants that the usage of linen is limited not due to the cost of the product, rather high cost of regular maintenance is the primary reason for limiting the usage only by the elite segment of the society. Thus, this is not a product that goes into the fabric that is used by the public at large.

**ii. Duties have been beneficial to development and growth of the industry in the Country in the form of capital investment, capacity creation, employment generation, and country becoming Atma-Nirbhar.**

134. The total number of Indian producers manufacturing the subject goods have increased, from four (4) in the original investigation to eight (8) in the POI. Four new producers have set up around 14,032 MT capacity since the original investigation. The installed capacity in India stands at 20,410 MT as against 6,378 MT in the original investigation POI.

135. Investments made by the Indian industry increased around 15 times as compared to the investment in the original investigation. The investment has increased from about Rs. 120 Crores at the time of original investigations to more than Rs. 1,500 Crores in the present POI.

136. The product is a heavily capital-intensive. While the average capital employed by the domestic industry was around Rs. 1 lac per MT, the capital investment in the fresh capacities is around Rs.15 lacs per MT of capacity.

137. The product is a heavily employment intensive. The average employment in the domestic industry is 3 persons per MT. Considering the capacities installed by the domestic industry and Indian industry, this implies an employment of about 5,300 persons in yarn industry itself. The domestic industry contended that the product under consideration involves highest employment (per MT of capacity) in the value chain as compared to other textiles products such as viscose and polyester.

**iii. Product provides highest employment per unit of production in all textile yarn**

138. The production of flax yarn due to the process involved is high employment generating in nature. It provides highest employment per unit of production in all textile yarns. It is seen that the requirement is of 3 persons/MT for manufacturing.

139. The reason for the heavy employment in this industry is due to elaborate process involved in making flax yarn (which is unlike any other yarn/fibre spinning). The employment generated by the flax yarn industry is even higher than the employment generated by the downstream industries in fabric and garmenting. While fabric industry generates 2/3rd employment as compared to yarn, the garment industry generates a mere 1/5th of employment generated by yarn industry.

**iv. Demand-supply gap bridged:**

140. There was a significant demand-supply gap in the product at the time of original investigations. Where, the demand in the original investigation's POI was 15,080 MT, the installed capacities in India were only 6,438 MT. Whereas the demand has since increased to 20,688 MT by the time of the present POI, the installed capacities have increased to 20,410 MT. The duties imposed have thus resulted in increase in capacities to meet the demand for the product in the country. Further, the demand-supply gap was bridged by investments made by new domestic producers. Thus, the country is now self-sufficient in the product.

**v. The additional investments made by the industry needs to be protected from unfair trade**

141. The Indian industry has made fresh investment in the region of Rs. 1,500 crores. The investment was made by new producers. The profitability of the domestic industry was the best in the present POI. Considering the per unit profit before interest earned by the domestic industry in the present POI, it is

seen that the fresh investments would be able to earn a return of 22% should these investments earn similar profit before interest as earned by the domestic industry. Any reduction in the profitability from the POI levels would imply significantly adverse profitability of the new investment. The new investment needs protection from dumped imports which are likely to resume at intensified volumes in the event of cessation of duties.

**vi. The Indian industry is vulnerable**

142. The Indian industry is vulnerable to material injury, as is evident from the profitability of the domestic industry and the fresh investments undertaken by the Indian industry. It is seen that the volume of dumped, injurious and price-attractive sales by the responding Chinese producers alone is significant and constitutes a significant share of Indian demand. The Authority has found that the installed capacities with known producers in China are in the region of 70,000 MT, whereas the capacities installed by the responding exporters alone are in the region of 34,500 MT. Thus, considering the volume of dumped, injurious and price-attractive sales by the responding Chinese producers, the Authority considers that the volume of dumped, injurious and price-attractive sales by all Chinese producers is at least the double of what has been found for the responding exporters. This would be significantly more than the entire Indian demand. While the existing ADD has prevented the Chinese producers from increasing their volumes beyond the present volumes, cessation of existing ADD shall lead to a significant increase in these volumes. The Indian industry is clearly vulnerable to injury in the event of cessation of ADD.

**vii. China is the largest producer of the subject goods**

143. Various articles and publications submitted by the domestic industry shows that China is the largest manufacturer and exporter of flax yarn. Globally, at present, India and China are known to be the major producers of the subject goods. Yet, the installed capacities in China have been quantified at 70,000 MT, as against installed capacity of 20,410 MT in India. Further, whereas the demand-supply situation in India is balanced, the Chinese producers are faced with excess capacities.

**viii. India is a key destination of exports for China**

144. Analysis of questionnaire responses filed by the participating Chinese producers show that exports to India ranks amongst top three in global export destinations for these companies. Further, demand for the subject goods in India appears highest after Chinese domestic market, thus making India a lucrative market. Kingdom group has time and gain publicly stated that India is a key market and exports of the group have declined after imposition of ADD.

**ix. No adverse impact on consumers**

145. Anti-dumping duties were imposed on the product in 2017. No user has participated in the investigation and filed requisite response. There is no evidence of any adverse effect of ADD earlier imposed on the downstream product or ultimate consumer. The domestic industry has quantified impact of ADD in the region of 0.73% to 2.8% and has contended that the cost of the product in anyway is not a major deterrent for the consumers. The primary cost for the consumer is recurring maintenance cost rather than one time purchase cost for the product.

146. The PUC is a premium textile fabric product. It is largely purchased by high income group of the society. The information provided by the domestic industry and the analysis thereof shows that while a garment made out of flax could be available at a price band of the garments made of other fabric, yet garments made of linen fabric are not preferred by public at large owing to high maintenance cost. The domestic industry contended that the PUC is largely used by only the upper income group because of this high maintenance cost.

147. The petitioners have contended, and the opposing parties have not refuted, that production of flax yarn provides highest employment amongst all textile yarns, when measured in terms of per unit of production.

148. It is noted that the investment by the domestic industry per unit of production is in the region of 15 lacs/MT and the same is much higher as compared to other yarns of polyester, viscose, acrylic or other man-made fibre. The domestic industry submitted that the high employment in the PUC is because of the nature of production process as opposed to other manmade yarns.

**M. CONCLUSION**

149. Having regard to the contentions raised, submissions made, information provided and facts available before the Authority as recorded above and on the basis of the above analysis of likelihood of continuation/recurrence of dumping and consequent injury to the domestic industry, the Authority concludes that:

- I. BEING A REVIEW INVESTIGATION, THE SCOPE OF THE PRODUCT UNDER CONSIDERATION HAS NOT BEEN ENHANCED AND HAS BEEN KEPT THE SAME AS THE ORIGINAL INVESTIGATION. ACCORDINGLY, THE PUC IS BEING DEFINED AS “FLAX YARN OF BELOW 70 LEA COUNT”.
- II. DESPITE IMPOSITION OF ANTI-DUMPING DUTY, THE IMPORTS FROM THE SUBJECT COUNTRY HAVE DECLINED SINCE THE ORIGINAL INVESTIGATION, BUT REMAINED SUBSTANTIAL IN ABSOLUTE TERMS AS WELL AS RELATIVE TO DI’S PRODUCTION AND INDIAN DEMAND.
- III. THE LANDED VALUE OF THE IMPORTS WITHOUT ADD IS UNDERCUTTING INDIAN PRICES, THE DOMESTIC INDUSTRY IS THEREFORE ONLY COMPETING DUE TO THE PRESENCE OF DUTIES.
- IV. THE DOMESTIC INDUSTRY REMAINS VULNERABLE DUE TO THE LIKELIHOOD OF RECURRENCE OF DUMPING OF THE SUBJECT GOODS FROM THE SUBJECT COUNTRY.
- V. THE INFORMATION ON RECORD SHOWS LIKELIHOOD OF CONTINUATION/RECURRENCE OF DUMPING AND INJURY IN CASE THE ANTI-DUMPING DUTY IN FORCE IS ALLOWED TO CEASE AT THIS STAGE. THE LIKELIHOOD ANALYSIS SHOWS THAT SIGNIFICANT EXPORTS OF THE SUBJECT GOODS FROM THE SUBJECT COUNTRY TO THIRD COUNTRIES OTHER THAN INDIA ARE AT DUMPED & INJURIOUS PRICES. AND THERE IS SIGNIFICANT PRICE ATTRACTIVENESS TO MAKE EXPORTS TO INDIA AS PRICE TO THIRD COUNTRIES ARE BELOW THE PRICE TO INDIA. THESE FACTORS CUMULATIVELY INDICATE STRONG LIKELIHOOD OF DIVERSION OF EXPORTS OF THE SUBJECT GOODS FROM THE SUBJECT COUNTRY TO INDIA IF THE EXISTING ANTI-DUMPING MEASURE CEASES TO EXIST.
- VI. THE AUTHORITY NOTES THAT THE IMPOSITION OF ANTI-DUMPING DUTIES ON THE PRODUCT UNDER CONSIDERATION HAS LED TO SIGNIFICANT INCREASE IN NUMBER OF DOMESTIC PRODUCERS. DESPITE PROVIDING ENOUGH OPPORTUNITIES TO USERS TO QUANTIFY THE IMPACT OF ADD AND ELABORATE ON HOW IMPOSITION OF ADD WILL ADVERSELY IMPACT THEM, NONE OF THE USERS HAVE PROVIDED RELEVANT INFORMATION. THE OTHER INTERESTED PARTIES HAVE NOT ESTABLISHED IMPACT OF ADD ON THE USER INDUSTRY WITH VERIFIABLE INFORMATION.
- VII. FROM THE INFORMATION ON RECORD, IT IS ALSO SEEN THAT THE IMPACT OF ADD ON THE CONSUMERS IS QUITE INSIGNIFICANT. THEREFORE, THERE IS NO REASON TO BELIEVE THAT CONTINUATION OF PRESENT MEASURE IS LIKELY TO LEAD TO INCREASE IN THE PRICES OF THE PRODUCT UNDER CONSIDERATION IN THE COUNTRY.

150. In view of the above the Authority finds that there is a likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury in the event of cessation of the existing anti-dumping duties, and therefore, recommends continuation of anti-dumping measures for a further period of five years.

**N. RECOMMENDATIONS**

151. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all the interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, the exporters, the importers, the users and the other interested parties to provide information on the aspects of dumping, injury and the causal link and also on likelihood of dumping and injury to the domestic industry.

152. Having concluded that there is positive evidence of likelihood of dumping and injury if the existing anti-dumping duties are allowed to cease, the Authority is of the view that the anti-dumping duty in force on the imports of the product under consideration from the subject country is required to be continued further. Considering the facts and circumstances of the case, as established hereinabove, the Designated Authority considers it appropriate to recommend extension of the anti-dumping duties on the imports of the subject goods from the subject country. Accordingly, the anti-dumping duties for producers from China is recommended as per the duty table below.
153. Thus, in terms of provision contained in Rule 4(d) and Rule 17(l) (b) of the AD Rules, the Authority recommends the continued imposition of the existing anti-dumping duties, so as to remove the likelihood of dumping and injury to the domestic industry. Accordingly, definitive anti-dumping duty equal to the amount mentioned in column 7 of the duty table below is recommended for the imposition for five (5) years from the date of the Notification to be issued by the Central Government, on all imports of the subject goods originating in or exported from the subject country.

DUTY TABLE

S. No.	Heading/ Subheading	Description of Goods	Country of Origin	Country of Export	Producer/ exporter	Duty Amount (USD/KG)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	5306, 5306 1090, 5306 2010, 5306 2090, 5306 1010	Flax Yarn of below 70 Lea Count (or below 42 nm)	China PR	Any including China PR	Jiangsu Jinyuan Flax Co., Ltd./ Zhejiang Jinyuan Flax Co., Ltd./ Zhejiang Kingdom Linen Co., Ltd.	2.42
2.	-do-	-do-	China PR	Any including China PR	Yixing Sunshine Linen Textile Co., Ltd.	2.29
3.	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Any other than the producers at Sl. No. 1-2	4.83

\*Note - Customs classification is only indicative, and the determination of anti-dumping duty shall be made as per the description of the PUC

#### FURTHER PROCEDURE

154. An appeal against the order of the Central Government that may arise out of this recommendation shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act.

ANANT SWARUP, Designated Authority